शोध पत्रों को प्रकाशित करने के लिए विधि मान्य आई.एस.एस.एन 2321-9645

विश्व स्नेह समाज

वर्ष 23, अंक 09, जून 2024

एक रचनात्मक क्रान्ति

हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी भाषा और साहित्य का प्रचार-प्रसार

(कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश आदि के संदर्भ में)

मूल्य 125/-रू

एक कप चाय स्नेहाश्रम के नाम

परम आत्मीय सुधीजन

सादर अभिवादन

जैसा कि कुछ सुधीजनों द्वारा यह प्रश्न आया था कि क्या हम प्रयागराज में निर्माणाधीन स्नेहाश्रम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था दे सकते हैं कि यदि कोई अपने स्वजन के नाम पर कोई भूमि या निर्माण में कोई भाग चिन्हित कराते हुए कोई योगदान दे रहे हैं तो क्या उनके स्वजन की स्मृति को संजोने हेतु शिलापट्ट लगाया जा सकता है और इसके लिए क्या योगदान राशि है। इस विषय पर कार्यसमिति में निम्नांकित निर्णय लिया गयाः

1- एक वर्गफीट भूमि हेतु मात्र रुपये 5100/- का योगदान।

2- एक वर्गफीट भूमि निर्माण लागत सहित के लिए मात्र रु011000/- का योगदान।

3- एक शैय्या के बराबर भूमि हेतु मात्र रु0 31000/- का योगदान।

4- एक शैय्या के बराबर भूमि एवं निर्माण लागत तथा सुसज्जित शैय्या आलमारी सहित के लिए रु0 51000/-का योगदान।

5- इच्छुक दानकर्ता एक से अधिक शैय्या हेतु योगदान कर सकते हैं।

6- बिन्दु 4 के योगदानकर्ता के नाम का शिलापट्ट शैय्या के सिरहाने की दीवार में लगाया जाएगा तथा 11000/- या इससे अधिक का सहयोग करने/करवाने वालों का नाम गेट के पास शिलापट्ट पर लगाया जाएगा।

7- सहयोग मासिक/त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक रुप से स्वघोषित राशि भी दिया जा सकता हैं।

8- इसी तरह से नगद न देकर अलमारी/पंखा/चारपाई बिस्तर सहित/पुस्तकें आदि भी देकर इस पुनित कार्य में सहयोग कर सकते है।

निर्माण हेतु योगदान देने वालों के नाम चित्र सहित लगाए जाएंगे।

स्नेहाश्रम

(वृद्धाश्रम, नारी आश्रय एवं निराश्रित आश्रय, पुस्तकालय, प्रधान कार्यालय)

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा संचालित संपर्कः 9470263190, 9335155949

9335155949 पर गूगल पे करे अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में खाता आईएफएससी : यूबीआईएन553875 बचत खाता संख्या : 538702010009259 में विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज। आना नाम, पता और फोटो हमें ईमेल कर देवे।

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

मासिक, वर्ष : 23, अंकः 09
जून : 2024

पत्रिका वर्तमान अंक के सम्पादकीय समूह एवं अन्य सदस्य

मुख्य संरक्षक
श्री जुगुल किशोर तिवारी
(आईपीएस), उप पुलिस महानिरीक्षक

संरक्षक सदस्य
श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय

सम्पादक
गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

प्रबंध सम्पादक
श्रीमती जया शुक्ला

सहयोगी संपादक
डॉ० सीमा वर्मा

ब्यूरो
निगम प्रकाश कश्यप

सम्पादक मंडल (वर्तमान अंक)

- डॉ० सुमा टी.आर.
- डॉ० वंदना अग्निहोत्री
- डॉ० अर्चना चतुर्वेदी
- डॉ० सरस्वती वर्मा
- श्रीमती वैशाली सालियान
- श्री रामकृष्णा के. एस.

संपादकीय कार्यालयः
एल.आई.जी.–93, नीम सराय कालोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद –211011 का0: 09335155949
ई–मेलःvsnehsamaj@rediffmail.com

सभी पद अवैतनिक हैं

पत्रिका में प्रकाशित रचना का कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं है।

प्रिंट लाईन-विश्व स्नेह समाज राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, यूपीहिन्दी/2001/8380, सर्वाधिकार सुरक्षित है। स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुर्न प्रकाशन प्रतिबंधित है। स्वतत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक और संपादक गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी के द्वारा भार्गव प्रेस बाई का बाग, इलाहाबाद से प्रकाशित किया।

नोटः
पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं, समाचारों इत्यादि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। इसके लिए लेखक, रचनाकार, सूचनाकार स्वयं ही उत्तरदायी हैं। जन-जन को सूचना मिलने के उद्देश्य से सभी के विचार, संदेश, आलोचना, शिकायत छापी जाती है। पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद का निपटारा केवल इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, की अदालतों में होगा।

विशेष :
हिन्दी मासिक विश्व स्नेह समाज के सभी अंक विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान की वेबसाइट www.vhsss.in पर पीडीएफ प्रारुप में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार अवलोकन कर सकते है। कुछ अंक की साफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं होने के कारण अपलोड नहीं किया गया है।

इस अंक में.....

1— अपनी बात- शादी-ब्याह : बढ़ता दिखावा-घटता अपनापन..... - गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी 03
2— राज्यों में संपर्क सूत्र हिंदी - डॉ० वंदना अग्निहोत्री 06
3— कर्नाटक में हिंदी प्रचार प्रसार में संस्थाओं का योगदान - डॉ० सुमा टी.रोडनवर 09
4- विभिन्न हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु किये गए उपक्रम - डॉ० सीमा वर्मा 12
5- हिन्दी भाषा : प्रयोग की समस्या - डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके 15
6- हिंदी के प्रचार-प्रसार में दक्षिण भारत का योगदान - डॉ० नागरत्ना एन.राव 18
7- दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसार : एक अवलोकन - डॉ० तस्लीमा 21
8- कर्नाटक में हिन्दी कार्य में कन्नड़ साहित्यकार तथा कलाकार का योगदान - डॉ. विनोद रोडनवर 23
9- गुजरात राज्य में हिन्दी भाषा के बढ़ते कदम एवं अवरोध - डॉ० अर्चना चतुर्वेदी 26
10- दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का प्रचार-प्रसार - पूनम ब्राले 28
11- हिन्दी एवं तेलुगु भाषा : तुलनात्मक साहित्यिक परिशिष्ट - डॉ. रेमी जायसवाल 31
12- हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार तथा परिचर्चा : तमिलनाडु के संदर्भ में - प्रा. पूर्णिमा उमेश झेंडे 33
13- हिन्दी का अन्य भारतीय भाषाओं से साम्य और वैषम्य - नेहा उदासी 36
14- पश्चिम बंगाल में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी - सोमेश सिंह तोमर 39
15- उत्तर पूर्वी राज्यों में हिंदी भाषा एवं साहित्य की स्थिति - शिवानी मोहन ब्रजवासी 42
16— केरल में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार - जयकला.ए, 45
17- दक्षिण में हिन्दी का प्रचार - स्मिता मिठोरा 47
18— हिन्दी में मराठी का विकास कैसे? - हिना 49
19- हिंदी को दक्षिण भारत की दक्षिणा - कुसुम के. आर. 51
20— हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का अंतर-संबंध - गौरव गौतम 54
21— कर्नाटक के प्रसिध्द हिन्दी नाटककार-जि.जे हरिजीत - मनोज कुमार 57
22— हिन्दी के प्रचार प्रसार में जनसंचार माध्यमों का योगदान - डॉ० सुकन्या मेरी जे. 60
23— हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा और साहित्य..... - डॉ.ममता सत्यनारायण, डॉ.ज्योत्स्ना विमला 64
24— तेलुगु और हिन्दी भाषा में साम्यभाव - डॉ.वैशाली सालियान 68
25— राजभाषा कैसे बने राष्ट्रभाषा! - डॉ. सुबिया फैसल 71

गीत/ग़ज़ल/कविता

26— गौरैया -स्वरा त्रिपाठी, जीतना बाकी अभी -पुष्पा श्रीवास्तव, कृपा सिंधु -लक्ष्मीकांत वैष्णव 20,35,53
27— उसका सूरज, नहीं माँ -डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके, चुप्पी -रश्मि लहर 74,75
32— सीता की व्यथा -डॉ० कैलाश नाथ चतुर्वेदी, नित्य अवतरण है -डॉ० कृष्णा मणिश्री 75,76
33- आज की स्त्री -डॉ० शाफिया फरहिन, लिखना है गर -संतोष शर्मा 'शान' 76,77
34— मेरी नन्हीं परी -कनुप्रिया चतुर्वेदी, आदिवासी कैसे बने -रामकृष्णना के. एस. 77,78
36- हिन्दी -नम्रता ध्रुव, यह जीवन क्या है? -अनीता सक्सेना, मातृभूमि -सीमा रानी प्रधान 79,87

कहानी/लघु कथा

37- लघु कथा : फ्रीडम -रश्मि लहर 44
38— संस्मरण : सेंस -डॉ० रंजीत सिंह अरोड़ा 81
39— संस्मरण : होली, प्रकृति और आत्मा -डॉ० रश्मि चौबे 88
40— कहानी : मजहबी रिश्ता -ममता एच.वी 85
41— साहित्य समाचार 25,30,41,53, 59,67

अपनी बात

शादी-ब्याह : बढ़ता दिखावा-घटता अपनापन

हमें यह जानना होगा कि अगर समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसकी वजह क्या है? आज लोगों को पहले की तुलना में पैसे कमाने के ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं। पहले लोग अपनी सीमित आमदनी में भी संतुष्ट रहना जानते थे। अब वे सोचते हैं कि हमारे पास और क्या होना चाहिए, जिससे समाज में हमारा स्टेटस ऊंचा नजर आए। मुझे याद है, बचपन में जब किसी परिवार को अपने लड़के/लड़कियों की शादी करनी होती थी, लड़की वाले किसी न किसी विश्वासपात्र पुरुष के माध्यम से बात आगे बढ़ाते थे, थोड़ी बहुत जानकारी गाँव में जाकर अपने रिश्तेदारों से एकत्र कर लेते थे। कुछ संतुष्ट होने पर दो-चार रिश्तेदारों, परिचितों को लेकर लड़के वालों के घर जाते थे, आने की सूचना मिलने पर लड़के के परिवार का मुखिया अपने कुछ पट्टिदारों, परिचितों को बुला लेते थे, उनका आपस में अभिवादन, परिचय के बाद बातचीत प्रारंभ होती थी। लड़की वालों को विदा करने के बाद परिवार का मुखिया अपने पट्टिदारों, परिचितों से उस रिश्ते के बारे में विचार विमर्श करता था। लड़की के परिवार व संस्कार के बारे में परिचितों के माध्यम से जानकारी घर बैठे मिल जाती थी। इससे अपनत्व व सद्भाव बना रहता था। लड़के का तिलक हो या लड़कियों की बारात आनी हो, किरोसिन ऑयल का पेट्रोमेक्स, एक सामान्य सा लाउडीस्पीकर, जिस पर कुछ मधुर भजन, संगीत, गाने, एक साधारण सा टेंट। मेहमानों के लिए घर-घर से एकत्र की गई चारपाई, बिस्तर, तकिया, बर्तन, दूध, दही कुछ तो एकत्र किए जाते थे लेकिन अधिकांशतः लोग खुशी-खुशी दे जाते थे कि गांव में मेहमान आएंगे, तो कोई कमी न हो। अपने घरों से लोग नए-नए चद्दर, सामान देते थे। उनका मकसद यह रहता था कि अगर कोई कमी होगी तो पूरे गांव, मोहल्ले की बेइज्जती होगी। जिस घर में बारात आनी है, उस घर में न्यूनतम एक माह पहले से गाँव की, पास पड़ोस की महिलाएँ एकत्र होकर गेहूं-चावल साफ करना, मसाला तैयार करने में सहयोग करना मंगल गीतों के साथ प्रारंभ हो जाते थे। खास रिश्तेदार घर बेटियाँ, भांजे-भगिनी, ममहर व उनसे सम्बन्धित रिश्तेदार, फुफहर व उनसे सम्बन्धित रिश्तेदार, ददिहाल से सम्बन्धित लोग 15 दिन से लेकर एक माह पहले सहयोग करने आ जाते थे। ब्याह वाले घर के पास से गुजरने वाले दूसरे गांव/मोहल्ले के लोग भी मंगल गीतों को सुनकर समझ जाते थे कि इस घर में कोई शादी है। गांव का गरीब से गरीब परिवार भी अपनी यथाशक्ति शादी वाले घर में सहयोग करना अपना कर्तव्य समझता था। रिश्तेदारों के एकत्रित बच्चों के झुंड का कौतूहल कितना रमणीय होता था। व्यवहार में भी मेहमानों की उपयोगी वस्तुएं चावल, दही, चिउरा, आलू, आदि लाकर सहयोग करना, बारातियों/मेहमानों को बैठाकर खिलाना, खाना खिलाने में गांव के लोगों को द्वारा पानी, पत्तल, भोजन के एक एक सामान को परोसने की ललक। अतिथि देवो भव का जीता जागता नमूना होता था। लड़की की शादी में आये हुए बारातियों/मेहमानों के भोजनोपरान्त ही गांव के लोगों का भोजन ग्रहण करना। भोजन में सीमित व्यंजन होते थे, लेकिन उन सीमित व्यंजनों में मिठास होती थी। उनमें एक अपनत्व था, एक परिवार की शादी यानि पूरे गांव के प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का जुड़ाव रहता था। त्रिदिवसीय बारात में कितना सामंजस्य और अपनत्व होता था। पहले दिन सूर्यास्त के पूर्व बाराती पहुँच जाते थे। द्वारचार, वैवाहिक कार्यक्रम, दूसरे दिन भोजनोपरान्त वर-वधू पक्ष का आपस में परिचय और शास्त्रार्थ, यानि एक तरफ बाराती और दूसरी तरफ घराती और उस गाँव ज्वार के लोग। शास्त्रार्थ में दोनों पक्ष के लोगों द्वारा

विद्वतजनों को आमंत्रित किया जाता था कि कहीं शास्त्रार्थ में हार न जाएं। दोनों पक्षों में जीतने की ललक होती थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लड़की के गाँव के लोग बैठकर शास्त्रार्थ से ज्ञानार्जन करते थे। क्या अदभुत दृश्य होते थे? तमाम वेद-पुराणों से लेकर सामाजिक बिन्दुओं की बातें होती थी। तीसरे दिन विदाई से पूर्व मिलना यानि वर और वधू के नाते-रिश्तेदारों का एक दूसरे से परिचय और गले मिलना, जिससे आपस में परिचय व अपनत्व बढ़ता था। लेकिन अब तो रात्रि में 10 बजे बारात पहुंची, 12 बजे तक घराती-बराती सब गायब, दो-चार खास रिश्तेदार व कुछ खास दोस्त बस। सुबह 7–8 बजे तक सब कुछ समाप्त। वर पक्ष, वधू पक्ष के खास रिश्तेदारों से भी अनजान-अनभिज्ञ। आज पेट्रोमैक्स की जगह पर लाखों रुपये के सजावटी लाईटें, लाउडस्पीकर की जगह कर्ण भेदक ध्वनि वाले डी.जे, एक साधारण टेंट की जगह लाखों के मंहगे मंहगे अतिथि भवन, गांव या मोहल्लों के लोगों का जुड़ाव सिर्फ व्यवहार देने तक सीमित है। जहां लड़कियों की शादी तय करने के लिए गांव व रिश्तेदारों का एक झुण्ड जाता था, लेकिन आज पड़ोसियों को भी शादी की सूचना शादी का निमंत्रण कार्ड मिलने के बाद पता चलती है।

हम बात कर रहे है- शादी समारोहों में होने वाली भारी-भरकम व्यवस्थाओं और उसमें खर्च होने वाले अथाह धन राशि के दुरुपयोग की, घटते अपनत्व की। टेंट, सामाजिक भवन सब बेकार हो चुके हैं। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियाँ होने की परंपरा चली और अब शहर से दूर महंगे रिसोर्ट में शादियाँ होने लगी है। पांच सितारा, 7 सितारा होटलों व रिसॉर्ट में लाखों रुपये खर्च करके शादी के सेट बनाए जा रहे है। जहाँ अपनत्व कम, दिखावे की बू अधिक आती है। बारातियों का स्वागत घराती नहीं बल्कि होटलों के अनजान सजे धजे बैरा करते है, कौन खाना खाया, कौन नहीं खाया, यह पूछने वाला कोई नहीं है। शहर व गाँव से दूर होने वाले इन समारोहों में, जिनके पास अपने चार पहिया वाहन होते हैं, वही पहुंच पाते हैं और मेजबान भी यही चाहते हैं कि सिर्फ चार पहिया वाले मेहमान ही आयोजन में शरीक हो।

देखा-देखी मध्यम व निम्न वर्ग भी शादियों में ऋण लेकर, खेत, घर बेचकर पानी की तरह पैसे बहाने लगा है। फिल्मी अंदाज में फिल्माएं जाने वाले सगाई, जयमाल व शादी समारोह के कार्यक्रम फिल्मी अंदाज में और फिल्म समाप्त होते ही कुछ दिनों, महीनों में धरातल पर आते ही टूटने लगते है। पहले सीमित संख्या में सुनाई पड़ने वाले तलाक के मामले में अब सैकड़ों और हजारों की संख्या में सुनाई व दिखाई पड़ने लगे है। इसका भी सबसे बड़ा कारण नाते-रिश्तेदारों का दूर होना, अपनत्व का न होना ही है। कुछ लोगों को सिर्फ महिला संगीत, कुछ को रिसेप्शन, तो कुछ अति महत्वपूर्ण परिवारों (नाते-रिश्तेदार नहीं बल्कि धन-वैभव, उच्च पदस्थ परिवार) को सभी कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। इस आमंत्रण में अपनापन नहीं बल्कि मतलब के व्यक्तियों या परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। अगर आपका सगा रिश्तेदार जो निहायत गरीब है, उसको निमंत्रण भी नहीं जाता। यानि प्रत्येक कार्य व रिश्तों की बुनियाद धन और स्वार्थ पर खड़ी की जाने लगी है। यानि अब वैवाहिक आयोजन पारिवारिक नहीं बल्कि वैभव प्रदर्शन के साधन बन गए हैं। जबकि विवाह एक ऐसा संस्कार है, जिसको मानवीय व सामाजिक मूल्यों की मर्यादा का पालन करते हुए सम्पन्न करना अपेक्षित होता है। इसलिए विवाह को सोलह संस्कारों में स्थान मिला है। शादियों में मानसिक संतुष्टि नहीं बल्कि मानसिक अवसाद पनपने लगा है। शादी समारोह में रस्म से ज्यादा दिखावा हो रहा है। पूजा-पाठ, मंत्रोच्चारण और सात फेरे से ज्यादा नृत्य-गीत में लोग मशगूल रहते हैं।

निश्चित ही आपका पैसा, आपने कमाया, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाएं, पर किसी दूसरे की देखा देखी नहीं। ऋण लेकर अपने और परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिए। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो जरूरी काम है, वह करो। दिखावे से बचें।

आज हम आपके बीच विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा 1996 से त्रैमासिक तथा 2001 से

मासिक रुप से प्रकाशित विश्व स्नेह समाज के विशेषांकों के प्रबल इतिहास की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए "हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी एवं साहित्य का प्रचार-प्रसार" नामक विशेषांक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक को आप तक पहुंचाने में पत्रिका की सह संपादिका डॉ सीमा वर्मा जी की कड़ी मेहनत व लगन को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ संपादक मंडल के सदस्या डॉ० वंदना अग्निहोत्री जी का सर्वाधिक आलेखों को एकत्र करने में, साथ ही डॉ० सुमा टी.आर., डॉ० अर्चना चतुर्वेदी का आलेखों को एकत्र करने में सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद। डॉ० सरस्वती वर्मा, श्री रामकृष्ण के.एस., श्रीमती वैशाली सालियान जी का संपादकीय सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करते हुए इस अंक के विद्व लेखकों को भी लेखकीय सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। साथ ही यह आशा करते हैं कि इस अंक की सफलता का श्रेय आप सब पाठकों की पाठकीय प्रतिक्रियाओं को जाएगा। पाठकों के प्राप्त विचार एवं सुझाव ही हमारे अमूल्य धरोहर हैं, जिससे हम अंकों को निखारने पर विचार करते हैं। पुनः आप सभी का आभार।

गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

कुछ याद उन्हें भी कर लो

(विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान के पदाधिकारी)

सस्थापक संरक्षिका

स्व० राजरानी देवी

संस्थापक अध्यक्ष

संरक्षिका

डॉ० राज बुद्धिराजा

निवर्तमान अध्यक्ष

संरक्षिका

स्व० बी.एस.शांताबाई

श्री पवहारी शरण द्विवेदी

डॉ० शहाबुद्दीन नियाज़ मुहम्मद शेख

राज्यों में संपर्क सूत्र हिंदी

भारत विश्व को 'अनेकता में एकता' का संदेश देने वाला राष्ट्र है और अनेकता में एकता की अवधारणा को धरातल देने के मामले में शीश मुकुट है।

-डॉ. वन्दना अग्निहोत्री

सम्प्रतिः प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष-हिन्दी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, **अध्यक्ष**-हिन्दी अध्ययन मंडल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर **सदस्य** -सिंधु शोध पीठ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय केन्द्रीय अध्ययन मंडल-भोपाल, **संपादनः** शोध प्रवाह व शोध जिज्ञासा (आईएसबीएन), निबन्ध सौरभ पत्रिका, **अन्य :** अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता, अतिथि एवं अध्यक्ष के रूप में सहभागिता, लगभग 50 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आलेख वाचन, विश्व हिंदी मंच द्वारा 'हिंदी सेवी सम्मान', प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मान, वरिष्ठ शिक्षाविद् का राज्य स्तरीय सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं माधव महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा 'साहित्य भूषण' सम्मान।

संपर्कः 194, सुखदेव नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, म०प्र० मो०: 9926477787 ईमेलः vandana.agnihotri1958@gmail.com

भाषा और संस्कृति भारत की ऐतिहासिक परंपरा की साझी विरासत है, जिन्हें किसी भी प्रकार से अलग करना संभव नहीं है। संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम ही भाषा की वर्तमान परिपक्व अवस्था के रूप में प्राप्त होता है। संस्कृति के द्वारा ही अनेक भाषाओं का सतत विकास होता है। भारत एक समृद्ध संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत वाला देश है, जिसके अंक में कई भाषिक परंपराएं फली फूली और आगे बढ़कर विकसित होती गई। भाषिक विविधता के मामले में इतना संपन्न शायद ही कोई अन्य राष्ट्र हो। सांस्कृतिक एकता के बारे में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि "सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं।"[1] सांस्कृतिक एकता जनमानस के हृदय से उपजती है, कोई बाह्य तत्व इसके लिए उतना कारगर नहीं होता जितनी मानस की आंतरिक प्रेरणा।

भारत विश्व को 'अनेकता में एकता' का संदेश देने वाला राष्ट्र है और अनेकता में एकता की अवधारणा को धरातल देने के मामले में शीश मुकुट है। "अनेकता में एकता की यह खोज यात्रा ही हमें राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के समर्थन तक ले जाती है। सिंधी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, गुजराती, अवधी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, नेपाली, डोंगरी आदि बहुसंख्य भाषा भाषियों सहित दक्षिण भारत का भी बहुत बड़ा समुदाय हिंदी समझता है।"[2] अतः समस्त भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संपूर्ण भारत के विभिन्न अहिन्दी राज्यों में वर्तमान में हिंदी को एक संपर्क भाषा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। हिंदी 'भारत की भाषा' कहलाने के लिए दिन प्रतिदिन नए सोपान चढ़ रही है। "वर्तमान में यदि हिंदी के 'भाषा रूप' पर चर्चा करें तो हिंदी आज राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपनो को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है।"[3] ऐसे में इस राष्ट्रीय एकता का आरंभ भारतीय राज्यों के मध्य व अहिन्दी राज्यों में हिंदी के दैनिक प्रयोग को बढ़ाकर किया जाना चाहिए। अन्य गैर हिंदी राज्यों में हिंदी का प्रसार कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य में हिंदी के अस्तित्व का अपना इतिहास है। "भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत अठारह बोलियों के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कहीं जा सकती है, हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है।"[4]

हिंदी के भाषायी महत्व को संविधान निर्माण के समय व स्वतंत्रता के बाद भी समझा गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि "हिंदी को दो रूपों में देखना है- एक तो अन्य प्रादेशिक भाषाओं के ही समान प्रादेशिक भाषा के रूप में और दूसरा एक सार्वदेशिक सरकारी भाषा या दूसरी भाषा के रूप में।"[5] इस तरह हर अहिंदी प्रदेश की प्रादेशिक या राजकीय भाषा के बाद हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही इसे सार्वदेशिक अर्थात संपूर्ण भारत की सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय राज्य में हिंदी भाषा की जड़े स्वतंत्रता के पूर्व से ही जम चुकी थी। कश्मीर के प्राचीन वैभव को देखें तो हिंदी की जननी संस्कृत के पंडितों का पांडित्य कश्मीर में देखने को मिलता है। भामह, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, वामन जैसे प्राचीन संस्कृत आचार्यों की कर्मभूमि कश्मीर ही रही। ऐसे ही पंजाब क्षेत्र में भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित गुरुनानक व गुरु गोविंद सिंह के भक्ति काव्य का प्रचलन हिंदी में आज भी है। आधुनिक काल में आकर श्रद्धाराम फिल्लौरी जैसे पंजाबी मूल के लेखकों ने भी हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। आज पंजाब की 9% जनता हिंदी बोलती है, विशेष कर हरियाणा और राजस्थान से सटे इलाकों में। डॉ. नरेश धीमानी ने 'भारती' नाम से हिंदी फॉन्ट बनाकर तकनीकी क्षेत्र में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त डॉ. विनोद कालरा, प्रो. बलवेंद्र सिंह का नाम भी हिंदी योगदान मंक प्रसिद्ध है।

उत्तराखंड एवं हिमाचल क्षेत्र के पहाड़ी हिस्सों में भी हिंदी बोलने वाली जनसंख्या का एक बड़ा तबका निवास करता है, यहां विद्यालयो में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। उत्तराखंड में 43.36 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है।

हिंदी के समान ही गुजराती का उद्गम भी शोरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी और गुजराती दोनों शोरसैनी अपभ्रंश की शाखाएं हैं। गुजरात

गैर हिंदी राज्यों में हिंदी का प्रसार कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य में हिंदी के अस्तित्व का अपना इतिहास है।

की लगभग सात फीसदी जनसंख्या हिंदी बोलती है। भक्ति कालीन हिंदी संत दादू दयाल का क्षेत्र भी गुजरात माना जाता है, इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ 'सिद्धहेम शब्दानुशासन' से ख्याति प्राप्त हेमचंद का आविर्भाव भी गुजरात से माना जाता है। 'गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद' से 'रैन बसेरा' मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। हिंदी साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इस पत्रिका का योगदान उल्लेखनीय है। 'सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट' भी हिंदी के लिए समर्पित संस्था है।

महाराष्ट्र राज्य की कई संस्थाओं का उदय ही हिंदी के विकास एवं प्रचार के लिए हुआ। कई मराठी विद्वानों ने हिंदी के साहित्य पर अनुवाद का कार्य किया। 'महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी' हिंदी विकास में संलग्न है, हिंदी मंच से राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' (1936), 'महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे' (1945) तथा 'बंबई हिंदी विद्यापीठ' (1938) आदि संस्थाएं महाराष्ट्र में हिंदी की स्थिति सुधारने के लिए कार्य कर रही है।

पूर्व के बांग्ला व ओड़िया भाषी राज्यों में 'उड़ीसा राष्ट्रभाषा समिति, पुरी' हिंदी के विकास के लिए कार्यरत है। हिंदी के उपन्यासों का तो मूल ही बांग्ला 'कादंबरी' से माना गया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में चैतन्य महाप्रभु का नाम उल्लेखनीय है, जिनका संबंध बंगाल से है। इसके अतिरिक्त शरतचंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर इत्यादि के साहित्य को हिंदी अनुवाद द्वारा हिंदी में स्थान मिला है। साथ ही वर्तमान समय में बहुत सी हिंदी रचनाओं को बांग्ला व ओड़िया में अनुवाद करके बंग जनता के बीच लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

दक्षिण भारत में हिंदी के प्रयोग की जड़े गहरी है। "भारतीय भाषाओं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा फारसी इन सब के योगदान से दक्षिण में हिंदी का श्री गणेश हुआ।"[6] इस क्षेत्र में कई संस्थाएं जैसे 'हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद' (1932), 'मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, बेंगलुरु' तथा 'कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, बेंगलुरु' (1952)

आदि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए स्थापित की गई। महात्मा गांधी द्वारा मद्रास में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना की गई, जिसका योगदान हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। "डॉ. वीलिनाथन ने सुदर्शन व कौशिक की कहानियों का तमिल अनुवाद कर हिंदी साहित्य तक तमिल जनता की पहुंच सुनिश्चित की, साथ ही 200 से अधिक मौलिक हिंदी निबंधों का लेखन व प्रकाशन किया।"[7] दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण शास्त्री, मेडिचर्ल वेंकटेश्वरराव, के. वी. रामनाथ, के. भास्करन नायर आदि अनेक हिंदी सेवियों के नाम आदर से लिए जाते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का प्रचार तब हुआ जब महात्मा गांधी असम गए, वहां बाबा राघवदास हिंदी प्रचारक के रूप में नियुक्त किए गए। 'असम राष्ट्रभाषा समिति, गुवाहाटी' में स्थापित की गई। हिंदी साहित्य के महान लेखक अज्ञेय, देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, विष्णुचंद्र शर्मा ने अपनी कृतियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का वर्णन किया।

समस्त भारत में वर्तमान में हिंदी एक मजबूत भाषा के रूप में उभरी है, प्रत्येक भारतीय राज्य की संपर्क भाषा के रूप में एक मजबूत छवि के साथ उभर कर सामने आई है। हिंदी को भारतीय मानस अपने हृदय से स्वीकारे ना कि किसी दबाव या सरकारी नियम के फलस्वरुप। यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि "जन जिस भाषा में सांस लेता है और 'जनमन' जिसे अपनाता हैं वही उसकी उन्नति का साधन है।"[8] अतः हमें जनता पर किसी भाषा आधिपत्य को थोपने की अपेक्षा हिंदी को सर्व सम्मति से अपनाने पर जोर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भाषिक अराजकता न फैले।

देश की समृद्धि के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयामों के समान ही भाषिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। इसे इनसे अलग करके नहीं देखना चाहिए। "दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता, जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले कारण।"[9] अतः समाज में जितना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन है, उतना ही भाषिक परिवर्तन भी। भारत के प्रत्येक राज्य को दबाव की अपेक्षा सौहार्द्र से साथ लाने का प्रयास करना ही हिंदी के इस स्वप्न को साकार कर हिंदी को संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है।

कश्मीर के प्राचीन वैभव को देखें तो हिंदी की जननी संस्कृत के पंडितों का पांडित्य कश्मीर में देखने को मिलता है। भामह, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, वामन जैसे प्राचीन संस्कृत आचार्यों की कर्मभूमि कश्मीर ही रही।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1—रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, तृतीय संस्करण 2006, पृ.-X (भूमिका)

2—राजभाषा भारती, जनवरी- मार्च 1994, अंक-64, पृ. 32

3—मो. मजिद मिया, राजभाषा हिंदी : प्रयोग एवं समस्याएं, उत्कर्ष प्रकाशन, पृ. 11

4—रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022, पृ. 17

5—राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन, 1996 पृ. 333

6—डॉ. अर्जुन चव्हाण, मिडिया कालीन हिंदी : स्वरुप एवं संभावनाएं, राधाकृष्ण प्रकाशन 2005, पृ. 82

7—साहित्य कुंज (https://m.sahityakunj.net//entries/view/hindi-ke-prachar-prasar-mein-dakshini-ka-yogdan)

8—डॉ. अर्जुन चव्हाण, मिडिया कालीन हिंदी : स्वरुप एवं संभावनाएं, राधाकृष्ण प्रकाशन 2005, पृ. 07

9—बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022, पृ. 19

संपादक के नाम पाती

आप सभी पाठकगण पत्रिका में प्रकाशित लेखो पर अपने विचार या कोई सुझाव नीचे दिये गये ई-मेल आईडी पर भेज सकते है। स्थान की उपलब्धता के हिसाब से हम आपके विचारों को शामिल करने का प्रयास करेंगे।

vsnehsamaj@rediffmail.com

-संपादक

कर्नाटक में हिंदी प्रचार प्रसार में संस्थाओं का योगदान

-डॉ. सुमा टी. रोडनवर
असोसियेट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु, मंगलूरु विश्वविद्यालय, कर्नाटक मो०: 8088545787
ईमेलः sumanraj06@gmail.com

कर्नाटक का हिंदी से परिचय सदियों पुराना है। कुछ प्राचीन सिक्कों में देवनागरी लिपि का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि कर्नाटक में हिंदी का संबंध अति प्राचीन है। शताब्दियों से हिंदी का प्रभाव यहां के समाज पर दिखाई देता है। कर्नाटक धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे उडुपी, गोकर्ण, श्रवणबेलागोल आदि है, यानि धर्मशाला और मठों में हिंदी का प्रचार प्रसार था। भारत के अनेक जगहों से लोग यहां आते रहते थे। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के शासनकाल में हिंदुस्तानी दक्षिणी रूप का प्रचलन था। इसके उपरांत उनके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल में अर्थात 1782 से 1799 तक भी दक्षिणी में हिंदी का अस्तित्व रहा। अपने पिता की तरह टीपू सुल्तान भी हिंदुस्तानी भाषा में प्रवीण था और धारा प्रवाह हिंदुस्तानी बोल सकता था।

उसी प्रकार अन्य प्रांत के लोग, जो कर्नाटक में आकर बस गए थे, विशेष कर मारवाड़ी व जैन समाज। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक में हिंदी को काफी बढ़ावा दिया। उनके प्रयास से कर्नाटक में कई जगह हिंदी माध्यम के विद्यालय बने। इसी दौरान बेंगलुरु, मैसूर, मंगलौर, बेलगाम तथा गुलबर्गा आदि में आर्य समाज की शाखाएं खुली। आर्य समाज साधुओं ने कर्नाटक में हिंदी की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्नाटक के मंगलौर, कारवार आदि इलाके समुद्री व्यापारियों से जुड़े थे, अतः व्यापारियों से व्यवहार करने के लिए हिंदुस्तानी भाषा की आवश्यकता थी। इसी प्रकार आज भी कर्नाटक में हिंदी का हिंदुस्तानी रूप सर्वत्र प्रचलित है।

सन् 1924 में कर्नाटक में हिंदी का प्रचार सही मायने में शुरू हुआ। सन् 1922 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से कर्नाटक के उत्साही नौजवान हिंदी प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़े, जिनमें श्री योग नरसिंहय्या, श्री स्वामी सत्यदेव, श्री सुब्ब नरसिंह शास्त्री, श्री डी के भारद्वाज, श्री सिद्धनाथ पंत जैसे उत्साही युवक शामिल थे।

सन् 1924 को बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ, महात्मा गांधी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में उन्होंने आम जनता से राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखने की अपील की। उसे समय महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया जिसका असर कर्नाटक की जनता पर गहरा पड़ा। उन्होंने भाषण में कहा था कि "एक खास नियम के अनुसार हर प्रांतों की अदालतों और धारा सभाओं का कामकाज उसी प्रांत की भाषा में जारी हो जाना चाहिए। अपील की आखिरी अदालत की जबान हिंदुस्तानी करार दी जाए लिपि, चाहे देवनागरी हो या फारसी, मध्यवर्ती सरकार और बाडी धारा - सभाओं की धारा भी हिंदुस्तानी हो। अंतर्राष्ट्रीयराज्य व्यवहार की भाषा अंग्रेजी रहे।" इस भाषण से कर्नाटक में हिंदी प्रचार को एक नई दिशा मिली।

महात्मा गांधी के प्रभाव के स्वरूप कर्नाटक में पांच स्वैच्छिक संस्थाएं आरंभ हुई, जिन्हें उपाधि प्रदान करने का अधिकार दिया गया, इनके नाम निम्न प्रकार से हैं-

1— दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़
2—कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु
3— कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति
4— मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बेंगलुरु
5— बेलगाम विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण

समिति।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़ : महात्मा गांधी ने 1918 में अपने पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण का प्रथम हिंदी प्रचारक बनाकर प्रचार कार्य शुरू करने का आदेश दिया और उन्हें मद्रास भेजा। मद्रास आकर देवदास गांधी ने श्रीमती एनी बेसेंट, डॉ० सीपी रामस्वामी अय्यार, श्रीनिवास शास्त्री आदि नेताओं की सहायता से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का बीजारोपण किया। उनके अथक प्रयास से दक्षिण भारत में धीरे-धीरे हिंदी प्रचार का कार्य जोर पकड़ने लगा। इन प्रचारकों के निस्वार्थ प्रयत्न से शीघ्र ही दक्षिण भारत में हिंदी लोकप्रिय होने लगी, तो उसके लिए एक हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। इसी सभा का विकसित रूप "दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा" है। जिसका मुख्यालय मद्रास घोषित किया गया और महात्मा गांधी जी को सभा का आजीवन सदस्य स्वीकार किया गया।

सन् 1934 में महात्मा गांधी जी के आदेश अनुसार काका कालेलकर जी ने कर्नाटक राज्य का भ्रमण किया। सन् 1936 में कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा का बेंगलुरु में जन्म हुआ। लेकिन बाद में प्रांतीय सभा का कार्यालय बेंगलुरु से धारवाड़ स्थानांतरित किया गया और उसी साल यानी 1937 को धारवाड़ में कर्नाटक हिंदी विद्यालय खुला, जिसके आचार्य नागप्पा जी थे। सन् 1984 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा शिक्षा स्नातक बी. एड कॉलेज भी शुरू हुआ, जो आज बी.एड के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इस संस्था की बदौलत 10 हिंदी स्नातक महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिनके अपने निजी भवन है -

1— लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बेंगलुरू

2— एम. ए. वासुदेव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मंगलौर

3— श्री बसवेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर

4— डा. बी.डी. जत्ती शिक्षा स्नातक कॉलेज, दावणगिरी

5—महावीर शिक्षा स्नातक कॉलेज, हासन

6— पं.के.सी सारंगटमठ शिक्षा स्नातक शिक्षा सनातन कॉलेज, बिजापुर

7—सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज, कोप्पल

8— महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शिवमोग्गा

9—राजीव गांधी शिक्षा स्नातक ऑफ एजूकेशन, धरवाड़

10— बी जत्ती शिक्षा स्नातक कॉलेज बेलगाम, बेलगाम।

सन् 1984 में धारवाड़ में उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, स्नातक उत्तर केंद्र की भी स्थापना हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार के चारों प्रांत के अपने मुख्य पत्र-पत्रिकाएं भी है। प्रतिवर्ष यहां हिंदी दिवस, विचार गोष्ठियाँ, कार्यशाला और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस संस्था का हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1934 में महात्मा गांधी जी के आदेश अनुसार काका कालेलकर जी ने कर्नाटक राज्य का भ्रमण किया। सन् 1936 में कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा का बेंगलुरु में जन्म हुआ। लेकिन बाद में प्रांतीय सभा का कार्यालय बेंगलुरु से धारवाड़ को स्थानांतरित किया गया और उसी साल यानी 1937 को धारवाड़ में कर्नाटक हिंदी विद्यालय खुला, जिसके आचार्य नागप्पा जी थे।

कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति : सन् 1936 में कर्नाटक में महिलाओं के लिए बेंगलुरु में हिंदी प्रचार कार्य उत्सव के साथ बढ़ने लगा। श्रीमती आर मुत्तु बाई माने जी ने घर से ही हिंदी की पाठशाला शुरू की। गांधीजी के हिंदी के प्रति प्रेम को देख 1953 में डॉ.पी.आर. श्रीनिवास शास्त्री ने कुछ महिलाओं को संगठित कर हिंदी प्रचार प्रसार के लिए "कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति" की स्थापना की, जिसके वे सलाहकार रहे। महिलाओं द्वारा संचालित यह सुसंगठित व सुव्यवस्थित संस्था है। 1948 में इसका पंजीकरण भी हुआ। यह कर्नाटक के संपूर्ण जिलों में राष्ट्रीय भावना से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही है।

इस संस्था का संचालन एक कार्यकारिणी समिति द्वारा होता है। अनेक विद्यार्थी यहां से हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर अध्यापक बन हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। 28 जिलों में यह संस्था राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही है।

कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति : सन् 1937 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखा श्री निट्टूर श्रीनिवास राव, सिद्धनाथ पंत और श्री काका कालेकर ने बेंगलुरु में स्थापित की थी। सन् 1939 में मैसूर राज्य में हिंदी का प्रचार न के बराबर था। ना ही कोई संस्था इस पर काम कर रही थी। श्री दिवाकर ने इस उद्देश्य से मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति के उप समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष श्री अब्ले सुब्रह्मण्य अय्यर और एन नागेश्वर थे। सन् 1948 में स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार के कर कमल से इसका शिलान्यास हुआ। यह संस्था गांधी जी के हिंदी तत्वों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संस्था थी। कर्नाटक के एकीकरण के बाद इस संस्था का नाम "कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति" कर दिया गया। इसका मकसद देश की भगत भावात्मक एकता के लिए भारत जैसे बहु भाषा देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार कर उसे जनमानस तक पहुंचना है। यह संस्था भी हिंदी का प्रचार प्रसार आज भी बड़े पैमाने पर कर रही है।

मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलुरु: महात्मा गांधी जी की प्रेरणा पाकर डॉ. भारद्वाज ने कर्नाटक के कुछ हिंदी प्रेमियों को संगठित कर सन् 1943 में "मैसूर हिंदी प्रचार परिषद" की स्थापना की। डॉ० भारद्वाज ने इस संस्था के माध्यम से घर-घर जाकर आम जनता को हिंदी का महत्व समझाया और उसके प्रसार का महत्वपूर्ण काम किया। उस युग में अधिकतर महिला वर्ग ने इस अनुष्ठान में अपना अनुपम योगदान दिया था। उन्होंने हिंदी सीखी और आसपास के लोगों को हिंदी सीखने का काम भी किया, जिसके कारण आज हिंदी सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और उसके फल स्वरुप राज्य सरकार ने इस परिषद की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की। स्वर्गीय पी.वी. नरसिंहराव कुछ समय तक इसके अध्यक्ष भी रहे थे। यह संस्था आज भी अनेक शहरों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही है। हिंदी प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के कारण प्रधान सचिव रामसंजीवय्य जी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम जी ने सम्मानित भी किया था।

बेलगांव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति : स्व एच.वी पावर हिंदी प्रेमी थे, उन्होंने अपने अन्य हिंदी प्रेमी ईश्वरप्पा कोंगी, स्व एल आई बोल्लिगट्टी, स्व कलावंत हिंदी अध्यापक की सहायता से 1997 में बेलगांव में बेलगांव व्यापारी विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति की स्थापना की, जिनका पंजीकरण भी हुआ है। यह संस्था अनेक हिंदी गोष्ठियों का आयोजन, हिंदी प्रचारकों का सम्मेलन करते हुए तथा हिंदी शिविर चलाते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी प्रसिद्धि इस बात की है कि दिन ब दिन हिंदी प्रेमी इस संस्था से जुड़ रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य हिंदी के जरिए राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और अहिंदी भाषा भाषाई को हिंदी सिखाना, कन्नड़ के श्रेष्ठ कृतियों का हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी प्रशिक्षण कॉलेज चलाना आदि है। इस संस्था का भी हिंदी के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में हिंदी के प्रचार प्रसार में इन संस्थाओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा।

संदर्भ :

भारतवाणी - अप्रैल-1997- संपादक, चंदुलाल दुबे
भाषा साहित्य और संस्कृति- विमलेशकान्ति वर्मा मालती

रचनाकार : लक्ष्मीकांत वैष्णव
मूल्य : 100/
प्रकाशक :
विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
प्रयागराज, उ०प्र०

विभिन्न हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु किये गए उपक्रम

-डॉ० सीमा वर्मा,
(लेखिका एवं कवयित्री) 5 काव्य संग्रह, 1 कहानी संग्रह, शोध ग्रन्थ प्रकाशित
सहयोगी सम्पादक, विश्व स्नेह समाज पत्रिका
संपर्कसूत्र-73880288888
ईमेल-drseemavarma40@gmail.com

हिंदीतर राज्य अर्थात, वे राज्य जहाँ उस राज्य की मातृ भाषा ही सम्प्रेषण की भाषा है तथा हिंदी भाषा उस राज्य की इतर भाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राज्य में हिंदी भाषा को व्यवहार में लाने हेतु सीखने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, वे राज्य हिंदीतर राज्य की श्रेणी में आते हैं।

इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हिंदी भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 60% भूभाग में हिंदी बोली जाती है और इस देश की कुल आबादी का 40% देशवासी हिंदी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कि हिंदीतर राज्यों में हिंदी का प्रचार और प्रसार होना चाहिए तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हिंदीतर राज्यों की मातृ भाषा की अवहेलना या उपेक्षा हो, बल्कि समझने वाली बात यह है कि भाषा के मुख्य तीन स्वरूपों के आधार पर भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा के मुख्यतः तीन स्वरुप हैं- प्रयोजनपरक, सांस्कृतिक तथा ज्ञानात्मक। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किसी भी भाषा के महत्त्व अथवा प्रयोजन को कम नहीं करता। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा सीखना भी आवश्यक है और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अपने देश के साहित्य /वांग्मय को विश्व पटल पर रखने का न केवल सुगम मार्ग है, वरन अद्यतन बनाए रखने का साधन भी है। सांस्कृतिक स्वरुप में भारत की हर भाषा समान महत्त्व रखती है। सांस्कृतिक संवहन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति हेतु तथा पारंपरिक प्रदेयों के संरक्षण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सभी भाषाओं का समुचित विकास होता रहे। अब प्रश्न उठता है- प्रयोजनमूलकता का। विश्व पटल पर भारतीयता की पहचान बनाने के लिए आवश्यक है कि एक समर्थ भाषा भारतीयता का प्रतिनिधित्व कर सके और यही कारण है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राजकीय प्रयोजन के लिए सभी भाषाओं के बीच से हिंदी भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाएँ संस्कृति की भाषाएं हैं, परन्तु हिंदी भाषा संस्कृति भाषा होने के साथ-साथ प्रयोजनमूलक भाषा भी है।

स्वतंत्रता से पूर्व के सभी प्रयत्न देश को एकताबद्ध करने हेतु राष्ट्रभाषा के लिए थे, जिससे हिंदी भाषा के माध्यम से देश को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया जा सके। यह कहना अतिश्योक्ति कदापि नहीं होगी कि "हिंदी के रूप में सिद्ध आभ्यंतर एकता और वाह्य विशिष्टता की राष्ट्रीय चेतना पर स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ दोहरा दबाव पड़ा।" हर भाषा न केवल विभिन्न बोलियों को अपने भीतर समेट कर एक समग्र इकाई के रूप में उभरती है, बल्कि सामाजिक धरातल पर संपर्क भाषा के रूप में उनके बोलने वालों के बीच संपर्क साधने के साथ साथ एक समाज के सदस्य होने की धूमिल धारणा को भी प्रखर करती है। हिंदी कम से कम 6 राज्यों और 2 संघीय प्रदेशों की प्रमुख भाषा है यथा राजस्थान 91.73%, हरियाणा 89.42%, उत्तर प्रदेश 88.54%, बिहार 79.77%,

दिल्ली 75.97%, चंडीगढ़ (55.96%)। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा भी है और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा पढ़ते लिखते और बोलते भी हैं।

हिंदीत्तर राज्यों को "ग" क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें केरल, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, और गोवा शामिल हैं लेकिन इन सभी राज्यों को हिंदीतर राज्य कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इनमें से कई की मातृभाषाएं कहीं न कहीं हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है परन्तु दक्षिण भारत के विशेषकर चार राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश और तमिलनाडु की मातृ भाषाएँ क्रमशः मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषा है, जो द्रविड़ परिवार की है और इनका हिंदी से कोई भी भाषाई संयोजन नहीं है। दक्षिण के इन चारों भाषाओं की अपनी अपनी विशिष्ट लिपियाँ हैं, सुसमृद्ध भाषा शब्द भंडार, व्याकरण और समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। इन विसंगतियों के बावजूद भी इन राज्यों में हिंदी को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए साहित्यिक योगदान के साथ साथ अपनी शिक्षा प्रणाली में भी हिंदी को ऐच्छिक अथवा अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है।

प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरुप इसके व्यावहारिक बोलचाल के स्वरुप से भिन्न होता है और चूंकि इसका प्रयोग तकनीकी (कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन, अखबार, फिल्म, विज्ञापन आदि जनसंचार माध्यम) आदि के अतिरिक्त शेयर बाजार, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा के प्रयोग से और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, विज्ञप्ति, राजपत्र आदि में प्रयुक्त हिंदी भाषा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संवाद सेतु का कार्य किया है। यह तथ्य बिलकुल स्वाभाविक है कि हिंदीत्तर राज्यों की मौलिक एवं मातृ भाषा में ही विचारों का जन्म होता है और उसी भाषा में कार्यान्वयन भी होता है फिर भी हिंदी भाषा को राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक कारणों से इन राज्यों में अपनाया गया है।

इंदौर में संपन्न "हिंदी साहित्य सम्मलेन" के अधिवेशन में 19 मार्च 1918 को अध्यक्ष के रूप में गांधीजी ने अपने भाषण में कहा था, "जब तक हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को उनके योग्य स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं।" दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रचार की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए गांधीजी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था।

दक्षिणी भूभाग में स्थित राज्यों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु महात्मा गांधी के प्रयत्नों के कोइ भी अनभिज्ञ नहीं है। डॉ० के. संगीता, जो हैदराबाद विश्विद्यालय में सहायक प्राध्यापिका के पद पर रही है, अपने लेख में लिखती हैं, कि दक्षिण भू-भाग पर मुसलमान शासकों के आगमन और उनके शासन के दौरान दक्खिनी हिंदी के नाम से एक भाषा का प्रचलन जनभाषा के रूप में हुआ था और उत्तर दक्षिण के कई बोलियों के जुड़ने से यह आम आदमी की भाषा के रूप में प्रचलित हुई। "दक्षिणी हिंदी मुख्यतः हिंदी का ही पूर्व रूप है, जिसका विकास ईसा की चौदहवीं शती से अट्ठारहवीं शती तक दक्षिण के बहमनी, कुतुबशाही और आदिल शाही आदि राज्यों के सुलतानों के संरक्षण में हुआ था। वह मूलतः दिल्ली के आसपास की हरियाणा एवं खड़ी बोली ही थी, जिस पर बृजभाषा, अवधी और पंजाबी के साथ साथ मराठी गुजराती तथा दक्षिण की सहवर्ती भाषाओं तेलुगू तथा कन्नड़ आदि का भी प्रभाव पड़ा था और इसने अरबी, फारसी तथा तुर्की आदि के भी शब्द ग्रहण किए थे। यह मुख्यतः फारसी लिपि में ही लिखी जाती थी, इसके कवियों ने इस भाषा को मुख्यतः हिन्दवी, हिंदी और दक्खिनी ही कहा था। इसे एक प्रकार से आधुनिक

हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा कहा जा सकता है।"

तमिल के सुविख्यात राष्ट्रकवि सुब्रमन्यम भारती के द्वारा अपने सम्पादन में प्रकाशित तमिल पत्रिका इंडिया के माध्यम से हिंदी सीखने की अपील की गयी थी। इंदौर में संपन्न "हिंदी साहित्य सम्मलेन" के अधिवेशन में 19 मार्च 1918 को अध्यक्ष के रूप में गांधीजी ने अपने भाषण में कहा था, "जब तक हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को उनके योग्य स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं।" दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रचार की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए गांधीजी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था, जहाँ से असंख्य की तादाद में हिंदीत्तर जनता ने हिंदी भाषा को अपनाने तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया और पूर्ण निष्ठां के साथ गाँव गाँव में हिंदी का प्रचार किया गया।

हैदराबादी हिंदी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में बोली जाती है, जो दक्खिनी हिंदी से अलग भाषा है, जिसमें दक्खिनी, मानक, मराठी और तेलुगु का मिश्रण है। उदाहरण के तौर पर, **छोड़ दिया कि बच्चा है**, को हैदराबादी हिंदी में कहा जाता है, "उन बच्चा है बोल के छोड़ दिया इसी प्रकार, "हम लोग-हम लोगाँ, गली में -गलीच, कुछ भी मत खाओ-क्या भी नको खाओ आदि।

बम्बईया हिंदी का प्रयोग भारत की आरती राजधानी मुंबई में बोली जाती है। दरअसल मुम्बई मेंमराठी, गुजराती, राजस्थानी, सिन्धी तथा दक्षिण की कई भाषाएँ बोलने वाले लोगों के साथ साथ हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इन सभी के बीच जो हिंदी भाषा संपर्क की भाषा बनी, उसको बम्बइया हिंदी कहा गया। मुम्बई में महाराष्ट्र के पश्चिमी जिले के लोग और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोग श्रमिक के रूप में काम करने जाते हैं, इन्ही लोगो की मिश्रित भाषा बम्बइया हिंदी कहलाई। यह हिंदी किसी क्षेत्र की मातृ भाषा नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग बाजार, सड़क या फिर आपसी बोलचाल के लिए किया जाता है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के प्रसिद्ध उपन्यास मुर्दाघर तथा ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग करोड़पति (SlumdogMillionaire) में यही हिंदी प्रयुक्त हुई है। उदाहरण.....नहीं को नई, जगह को जागा, जब मैं दिल्ली में थी को जबी दिल्ली होती मैं आदि।

बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् पटना द्वारा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित दक्खिनी हिंदी काव्य धारा तथा आचार्य विनय मोहन शर्मा की हिंदी में मराठी संतों की देन पुस्तकों का प्रकाशन इस कोशिश से किया गया कि भारत के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विस्तार को एकाकार किया जा सके।

महाराष्ट्र में हिंदी के दो रूप की चर्चा करते हुए श्री विनय मोहन शर्मा कहते हैं, "महाराष्ट्र में हिंदी के दो रूप विकसित हुए-एक वह, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का थोड़ा बहुत मिश्रण और स्थानीय भाषाओं की छाया दिखाई देती है, इस रूप को दक्खिनी हिंदी अथवा रेख्ता कहा गया है और दूसरा वह जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि के मिश्रण के साथ मराठी का पुट परिलक्षित हुआ, इसे मराठी हिंदी के नाम से अभिहित किया जा सकता है।" राहुल सांकृत्यायन ने जिस तरह खड़ी बोली कविता की शुरुआत का श्रेय दक्खिनी काव्य धारा को दिया है, उसी तरह विनय मोहन शर्मा ने इस किताब में निर्गुण पद की शुरुआत का श्रेय नामदेव को दिया वह लिखते हैं- "यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की रचनाएं प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती परंतु जो कुछ प्राप्त है, उसमें उत्तर भारत की संत परंपरा का पूर्व आभास मिलता है और उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है, जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। संभवतः हिंदी जगत तक उनके संबंध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका, जिसके वह उत्तराधिकारी हैं।"

कलकतिया हिंदी कोलकता के बाजारों में बोली जाने वाली वह हिंदी है जो कोलकाता में बोली जाने वाली

शेष पृष्ठ 90.....पर

हिन्दी भाषा : प्रयोग की समस्या

-डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके
सुशिला सोसायटी, प्लॉट क्रमांक 5, जरी पटका, पोस्ट आफिस, अजय जीम के पीछे, जरी पटका रींग रोड, नागपुर–440014, महाराष्ट्र का0: 9145248527

बेबीलोन की एक प्रसिद्ध लोककथा है कि एक बार सभी बेबीलोन-वासियों ने एक मीनार बनाने का कार्य आरम्भ किया, मीनार काफी तेजी से बन रही थी ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी ही स्वर्ग को छू लेगी, यह देखकर ईश्वर को मनुष्य की धृष्टता पर क्रोध आ गया और उसने मानव के सम्मिलित प्रयत्न को विफल करने की ठानी और उनको बहुत सी भाषाएं प्रदान कर दी। सभी लोग भाषा की विभिन्नता के कारण संप्रेषण की समस्या से परेशान हो गये। भाषायी समस्या से समुचित संप्रेषण और तालमेल के अभाव में मीनार का निर्माण कार्य रूक गया और फिर कभी पूरा नहीं हुआ। अपूर्ण बेबीलोनी मीनार की यह कथा भाषा की समस्या के कारण आनेवाली बाधाओं की ओर इंगित करती है। भाषिक विविधता ने ही सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। भाषिक और सांस्कृतिक रूप से विभाजित विभिन्न देशों में विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं में भाषा की समस्या एक ज्वलंत महत्त्वपूर्ण समस्या है। भारत में भी साहित्य, समाज विज्ञान, विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्राद्योगिकी में उच्च स्तरिय शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था है किंतु यह संपूर्ण व्यवस्था विदेशी पद्धति और विदेशी भाषा में होने के कारण देश की अधिकांश जनता के लिए वह अनुपयोगी एवं अप्राप्य है। यह मात्र कुछ प्रतिशत लोगों की पूंजी बनकर रह गई है। एक ओर सुदूर गावों, वनों, पहाड़ों और सीमा प्रांत में बसा भारतीय समुदाय आज भी भाषागत विषमता के कारण अज्ञान के अंधकार में उपेक्षित पड़ा है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान और प्रौद्योगिक ज्ञान के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वैज्ञानिक समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय उपादेयता भी संदिग्ध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी या तकनीकी का विदेशी भाषा द्वारा प्राप्त जान उस फिश टैंक जैसा है जिसमें पानी का स्रोत कहीं बाहर से दिया गया है। फिश बैंक की मछलियों की तरह हम निरंतर सीमित दायरे में संवेदनहीन तैर रहे हैं। यह हमारा विकास नहीं है। अपितु मानसिक कुंठा का उत्कर्ष है। अतः यह हमें तय करना है कि संवेदनहीनता के साथ तैरते रहें या ज्ञान के क्षेत्र में हम स्वतंत्र चेतना का विकास करें? कभी सोचने का प्रयत्न करें कि फिश टैंक में जो जल रूपी ज्ञान बाहरी स्रोतों से आ रहा है वह यदि बंद कर दिया गया तब हमारी स्थिति क्या होगी? तब हम क्या करेंगे?

हिन्दी के प्रारम्भ और विकास पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि, हिन्दी के प्रारम्भिक स्वरूप का विकास उत्तर अपभ्रंश कालीन युग से ग्याहरवीं शताब्दी से हुआ। मुहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवनागरी का प्रयोग मिलता है। 1992 ई. में शहाबुद्दीन ने ब्रजमिश्रित भाषा का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी के शासन काल में हिसाब-किताब हिन्दी में होता था। शेरलाह सूरी के सिक्कों में नागरी और फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। अकबर हिन्दी में लिखते थे। 'पेशवे दप्तर' (सरकारी पत्र) में मराठी पत्रों के साथ पर्याप्त हिन्दी पत्र भी हैं।

'टाड कलेक्शन' (कर्नल टाड) में अठारवीं और उन्नीवसीं सदी के प्रारंभ के 86 प्रकार के सरकारी हिन्दी पत्र मिलते हैं। राजस्थान के विभिन्न रियासतों में पूरा पत्राचार हिन्दी में होता था। विदेशियों के आने के बाद भी यह परम्परा चलती रही।

1655 ई. में एडवर्डटेरी ने कहा था "हिन्दुस्तान देश की बोलचाल की भाषा अरबी-फारसी जबान से बहुत मिलती जुलती है पर बोलने में ज्यादा सुखकर और आसान है इसमें काफी खानी है और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है।" हिन्दी का पहला व्याकरण सन् 1698 में हालैंड निवासी जान जीगुआ केटलर ने 'हिन्दुस्तान भाषा' शीर्षक से डच में लिखा। इसके बाद 1745 में बेंजामीन शुल्ज तथा अल्फाबेतुम ब्रह्ममनिकुम ने 1771 ई. में लिखा। हेनरी टोमलन कोलबुक ने 1782 में जब वे बंगाल सर्विस में आए (आगे वे संस्कृत के विद्वान हुए) ने लिखा है "जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रान्त के लोग करते हैं जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते है इसी का यथार्थ नाम हिन्दी है ।"

हिन्दी के विकास में फोर्ड विलियम कॉलेज की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी स्थापना 4 मई 1800 ई. में मार्किस बलेलजी द्वारा की गई थी, इस कॉलेज में जॉन गिलक्राईस्ट की नियुक्ति दि. 01.01.1800 को हुई। इनका कार्यकाल केवल 4 वर्ष रहा, इसके बाद इसी पद पर कैप्टन माइंट, कैप्टन विलीयम टेलर, विलियम प्राइस जैसे अनेकों ने कार्य किये। Dr. Standford Arno की 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' में विलियम बेली का उदाहरण देते हुए हिन्दी को Communication के लिए सबसे सही माध्यम माना है। (राजभाषा हिन्दी -डॉ. भाटिया)

It in moreover the general medium by which persons communication their wants and ideas to each other of the truth indeed we ourselves are an evidence, as are the Portuguese, Dutch, French, Arabas, Turks, Greeks, Persian, Moguls and Chinese.

भाषिक और सांस्कृतिक रूप से विभाजित विभिन्न देशों में विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं में भाषा की समस्या एक ज्वलंत महत्त्वपूर्ण समस्या है। भारत में भी साहित्य, समाज विज्ञान, विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्राद्योगिकी में उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था है किंतु यह संपूर्ण व्यवस्था विदेशी पद्धति और विदेशी भाषा में होने के कारण देश की अधिकांश जनता के लिए वह अनुपयोगी एवं अप्राप्य है।

विलियम बटरवर्थ वेली (1782–1860) सिविल सर्विस के बड़े प्रतिभा सम्पन्न अधिकारी थे। उन्होंने 1800 में हिन्दुस्तानी की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1802 में हुई प्रथम वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिन्दी में प्रथम 1500 रु. नगद तथा मेडल प्राप्त किया, बंगला में भी प्रथम रहे, विषय था - 'हिन्दुस्तान में कार्यवाही के लिये हिन्दी जबान और जबानों से जीआद दरकार है।'

सन् 1803 तें हिन्दुस्तानी में अनुवाद की व्यवस्था कर दी गई थी। (every regulation with the original notes shall be translated in the Hindustanee)

मैकाले और पूरी ब्रिटीश सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भारत में अंग्रेजी का प्रतिशत 1951 तक केवल एक था यह विडंबना है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी का प्रभाव यहाँ बढा है। जबकि भारत में उच्चशिक्षा की सुदीर्घ परम्परा रही है। इतिहासकार प्राचीन भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा की पुष्टि करते हैं। प्राचीन भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा, तक्षशिला, उदण्डूपूर विश्वविद्यालयों का इस संदर्भ में उदाहरण दिया जा सकता है। नालंदा वि.वि. में एक साथ लगभग 10,000 छात्र तत्त्वमीमांसा, खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करते थे। भारत में शैक्षणिक इतिहास लगभग 1765 ई. से आरम्भ होता है अठारहवीं शताब्दी में सम्पूर्ण विश्व की पुरातन व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही थी और सर्वत्र परिवर्तन की प्रवृत्ति मुखरित हो रही थी। ऐसे समय पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक परम्पराओं और ज्ञान

विज्ञान ने एक दूसरों को प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश इन्हीं दिनों विभिन्न कारणों से भारत तथा अन्य पूर्वी देशों की प्रगति अवरूद्ध थी। इनकी उद्योग विद्या का या तो ह्रास हो गया था या विकास की नई स्थितियों के अनुरूप अपने को नहीं बना सके थे। यह अवस्था अनेक दशकों तक बराबर चलती रही और भारत के गौरवशाली परम्परा के पतन का कारण बनी, इस अवस्था की चर्चा करते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था- "भारत अंधकार के संकुचित गर्त में जा पड़ा, एकाग्रता और मिथ्याभिमान को पकड़ बैठा, दिमाग से दिवालिया हो गया, भौचक्का होकर सिर्फ भूत की दुहाई देने लगा और इस तरह अपना सारा तेज गंवा बैठा तथा उसके पास भावी पीढ़ी को देने के लिए कोई संदेश न रह गया।" इसी समय नई तकनीकी और राजनैतिक साहसिकता के कारण पश्चिम नये युग में प्रविष्ठ हुआ और वह भौतिक सम्पत्ति तथा अधिकार प्राप्त करके पूर्व से कहीं आगे निकल गया और इस प्रकार भौतिक और औद्योगिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके पश्चिम ने भारत में प्रवेश किया। पश्चिम के सम्पर्क के फलस्वरूप हमारा परिचय अंग्रेजी से हुआ जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को नये और सशक्त रूप में यहां लाई और उसने यहां नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया।

जैसा कि सब जानते हैं भारत की आधुनिक शिक्षा पद्धति का निर्माण न केवल भारत के सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक स्थितियों ने किया अपितु सम- सामयिक इंग्लैंड की सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक गतिविधियों ने भी किया है। कई भारतीय संस्थाओं की योजनाएं इंग्लैड की सदृश्य संस्थाओं के आधार पर बनाई गई हैं। इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करते हुए नवीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना हुई है और हम यह भी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन हेतु योग्य कर्मचारियों का निर्माण करना था और वही परम्परा आज भी कायम है। (भारतीय शिक्षा का इतिहास - जे.पी. नायक एंड सैय्यद नुरूल्ला)

मानव सभ्यता का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास चाहे जितना हो जाए। उसके भावों, विचारों और संकल्पनाओं के संप्रेषण और विचार विनिमय का माध्यम भाषा ही रहेगी। मानव जीवन के विविध कार्यकलापों में अपनी महत्त्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका के कारण भाषा से जुड़े प्रश्नों ने मनुष्य को हमेशा आकृष्ट किया है। भाषा का प्रयोग यदि विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, तो वह न केवल रूढ़ियों, कुसंस्कारों और आपसी मतभेद को नष्ट करने में सक्षम है अपितु आपसी सद्भावना चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। वर्तमान समय में भारत भाषा की अत्यंत जटिल समस्या से ग्रस्त है। इस समस्या के कारण देश में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है तथा प्रशासनिक कार्य की भाषा, लोक-सम्पर्क की भाषा और शैक्षणिक माध्यम की भाषा में व्याप्त असमानता के कारण देश का समुचित विकास भी बाधित हो रहा है, भारतीय भाषाओं में अपेक्षित सामंजस्य के अभाव के कारण स्वन्तत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि हमारा देश आधुनिक विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त विकसित है, किन्तु इस क्षेत्र में प्रदर्शित विशाल ढ़ांचा सरकार द्वारा किए गये भारी पूंजी निवेश का परिणाम है, न कि हमारी अपनी मौलिक वैज्ञानिकता क्षमता का। कोई भी ऐसा विशाल ढ़ांचा वैज्ञानिक प्रगति की गारंटी नहीं दे सकता जब तक देश में मौलिकता का विकास न हो और यह मौलिकता अपनी या निज भाषा में सोच- विचार से ही संभव है। आधुनिक भारत में स्वभाषा के मौलिक चिन्तन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति काफी हद तक अवरूद्ध रही है। अब तक की सारी प्रगति आयातित ज्ञान विज्ञान पर आधारित रही है। हम तकनीकी जनबल की संख्या गिनाकर और संस्थापनों की पूंजीगत सुविधाएं

शेष पृष्ठ 93 पर ....

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में दक्षिण भारत का योगदान

प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी भी भाषा का हो, जब वह विदेश जाता है तो उसकी पहचान और संवाद 'हिन्दी' से ही होती है। ऐसे में भारत का अभिन्न अंग 'दक्षिण भारत' हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भला कैसे पीछे रहता? हिन्दी भाषा के आधार पर भारत दो भागों में बंटा हुआ है- उत्तर भारत और दक्षिण भारत। 'हिन्दी' उत्तर भारतीयों की मातृभाषा है तो दक्षिण भारतीयों की अर्जित भाषा है। कुल मिलाकर 'हिन्दी' जातीय एकता की भाषा है।

डॉ० नागरत्ना एन.राव
असोसियेट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय कालेज मंगलूरु-575001, कर्नाटक
9945959416

'भाषा' अभिव्यक्ति का माध्यम है जो भिन्न मतों, विचारों, मदेतो लोगों को जोड़ने का काम करती है। कभी कभी कोई भाषा, बहुभाषी राज्यों, राष्ट्रों को एकसूत्र में बांधने में सहायक होती है। ऐसी ही एक सुमधुर भाषा है- हिन्दी। हिन्दी बहुभाषी भारत और विश्व को जोड़ "वैश्विक कुटुम्बकम्" की परिकल्पना को सार्थक करती है। "भाषा, मानव की पहचान है तो 'हिन्दी' भारत की अद्‌भुत पहचान है।"

बहुभाषी भारत के 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग आधी से अधिक जनसख्या 'हिन्दी' बोल और समझ सकती है। हिन्दी भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा तथा भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त बाईस भाषाओं में से एक राष्ट्रभाषा है। भारत के अलावा फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मलेशिया, अमरीका, जर्मन, यूरोप आदि देशों में हिन्दी बोली और पढ़ायी जाती है। भारत और फिजी की राजभाषा हिन्दी, हिन्दुस्तान की भाषा है जिसमें भारतीयता का भाव है। तभी प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी भी भाषा का हो, जब वह विदेश जाता है तो अपनी पहचान और संवाद 'हिन्दी' से ही होती है। ऐसे में भारत का अभिन्न अंग 'दक्षिण भारत' हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भला कैसे पीछे रहता? हिन्दी भाषा के आधार पर भारत दो भागों में बंटा हुआ है- उत्तर भारत और दक्षिण भारत। 'हिन्दी' उत्तर भारतीयों की मातृभाषा है तो दक्षिण भारतीयों की अर्जित भाषा है। कुल मिलाकर 'हिन्दी' जातीय एकता की भाषा है।

दक्षिण में हिन्दी : दशा और दिशा : दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रवेश और विकास चौदहवी से अठारहवीं शती तक बहमनी, कुतुबशाही, आदिलशाही आदि के काल से हुई। दक्षिण के राज्यों में सुल्तानों के संरक्षण में हिन्दी पनपी। दक्षिण में हिन्दी को आपनाने और विकसित होने के कई कारण हैं-

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन : इस दौरान हिन्दी संपूर्ण देश की एकता की भाषा बनी। हिन्दी पत्रिकाओं में कविता और लेख लिखे गए जिससे देशभर में भारत की स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दी। तब सारा भारत हिन्दी के कारण एक हुआ। महात्मा गांधीजी जिनकी मातृभाषा गुजराती थी उन्होंने 'हिन्दी' के माध्यम से देश भर में आजादी की लहर दौड़ायी। गांधीजी ने जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठायी तो वे शब्द हिंदी के थे। वर्तमान में 21 वी शताब्दी में समाज सुधारक अण्णा हजारे जी ने देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी तो वह - हिंदी में ही था। जो भी हो हिन्दीतर भाषी लोगों ने हिन्दी के प्रचार में जितना योगदान दिया उतना हिन्दी भाषियों ने नहीं। हिन्दी भाषियों ने सदा हिन्दीतर भाषी लोगों की हिन्दी की सहजता और मौलिकता पर सवाल उठाया लेकिन हिन्दी सदा ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सेतु बनी है।

पर्यटन के कारण : वर्तमान में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें दक्षिण भारतीयों की अहम भूमिका रही है। पर्यटन ने हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि की है। उत्तर से जब भारतीय या विदेशी दक्षिण की पहाड़ियों, जंगलों और समुद्र किनारों के सौन्दर्य का आनन्द उठाने आते हैं तब वे हिन्दी में बात करते हैं। उनसे संपर्क बनाए रखने हेतु दक्षिण भारतीयों ने हिन्दी बोलना शुरू किया। इससे आर्थिक प्रगति होने के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ जैसे केरल मंदिरों का नगर है, तमिलनाडु सौन्दर्य नगरी है तो कर्नाटक का मैसूर सांस्कृतिक नगर आदि।

विस्थापन की अनिवार्यता : आज शिक्षा और व्यवसाय की आवश्यकता के कारण लोग अपनी जन्म भूमि छोड़ कर्मभूमि की ओर अग्रसर है। इस अनिवार्यता के कारण वह अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीख लेता है। इस प्रकार देश में ही नहीं, विदेशों में भी हिन्दी का प्रचार हुआ। जैसे उत्तर भारत से आने वाला व्यक्ति दक्षिण में आकर हिन्दी का प्रयोग करता है और दक्षिण का व्यक्ति उत्तर भारत में जाता है तो वह हिन्दी सीखकर बोलता है। दक्षिण भारत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है तो उत्तर भारत व्यापार और व्यवसाय के लिए। इस कारण दक्षिण के बेंगलुरू, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नै आदि क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा।

राजभाषा विभाग में कार्यान्वयन : हिन्दी भारत की राजभाषा है। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी राजकाज की भाषा है। इन कार्यालयों ने अनिवार्य रूप से हिन्दी के प्रयोग के सारे रास्ते खोल दिए। इस प्रकार दक्षिण के सभी केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग होता है।

स्कूल, कालेजो में हिन्दी का प्रयोग : हिन्दी भारत की भाषा है। स्कूलों में मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ एक राष्ट्रभाषा हिन्दी भी सिखायी और पढ़ायी जाती जाती है। स्कूल से आगे फिर कालेजों और विश्वविद्यालयों में श्री हिन्दी पढ़ाई जाती है। दक्षिण के लगभग सभी विश्वविद्यालयो में हिन्दी विभाग है जहां हिन्दी में स्नातकोत्तर की डिग्री और शोध कार्य होते हैं। इतना ही नहीं हर वर्ष हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। समग्रतः दक्षिण में हिन्दी का माहौल शिक्षा संस्थाओं में भी है। दक्षिण के लोगों की हिन्दी एकदम संस्कृत निष्ठ एवं शुद्ध है।

राजनैतिक प्रतिभागिता : भाषा विविधता के कारण भारत ने सदा ही समस्याओं का सामना किया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक देश है और इसी कारण राजनीतिक गतिविधियों के लिए ये राजनेता आम लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं। दक्षिण के नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए अपनी मातृभाषा को छोड़ हिन्दी को अपनाया है। भारतीय राजनीति में दक्षिण के राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत के राष्ट्रपति पद पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेकटरमण, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तमिलनाडु से थे। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पी.वी. नरसिंह राव आंध्र प्रदेश से थे तो देवेगौड़ा कर्नाटक से थे। श्री पी. वी. नरसिह राव तो भारत के चौदह भाषाओं के ज्ञाता थे। वर्तमान में भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक से है। इन सभी ने राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी का प्रयोग किया है और करते है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई क्रांतिकारियों ने देश की एकता के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जैसे सुब्रह्मण्य भारती, वीर सावरकर आदि।

रक्षा दल में शामिल होकर : प्रत्येक देश का अपना एक रक्षा दल होता है। भारत का भी है जिसमे भू -दल, नौसेना, वायुसेना, बी.एस. एफ. आदि शामिल है। इनमें दक्षिण के कई सैनिक है, जिनका तबादला उत्तर भारत में होता है। तब वे हिन्दी ही बोलते है। हिन्दी उनकी संपर्क भाषा होती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन्हें इस बात के लिए गौरवान्वित भी किया जाता है। आर्मी में तो हिन्दीतर क्षेत्रो के कई रेजीमेंट हैं-मद्रास रेजीमेंट, मराठा रेजीमेंट आदि। इनमें देश-सेवा के साथ-साथ हिन्दी का प्रचार प्रसार भी होता है।

हिन्दी साहित्य में दक्षिण भारतीयों की भूमिका : हिन्दी भाषी तो हिन्दी में लिखते ही है लेकिन दक्षिण भारतीय ने भी हिन्दी में मौलिक लेखन किया है जैसे कन्नड़ में नागप्पा, प्रभाशंकर प्रेगी, जि. जे. हरिजीत, ललिताम्बा आदि। तमिल में सुब्रह्मण्य भारती, मलयालममें विश्वनाथ अय्यर, ए. अरविन्दाक्षन, गोविन्द शेणॉय, जी. गोपीनाथन, एन. चन्द्रशेखर नायर

देव केरलीय आदि तेलुगु मे बालशौर्य रेड्डी आदि। इनके अलावा अन्य कई लेखकों ने दक्षिण की भाषा के साहित्य को हिन्दी में अनूदित कर 'हिन्दी' को भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य का विस्तृत फलक दिया।

इस प्रकार दक्षिण में हिन्दी के प्रयोग को देखा जाए तो उत्तर से ज्यादा यहां प्रयोग किया जाता है। यह दक्षिण वालों के रोजी-रोटी की भाषा है, जनप्रिय भाषा है। दक्षिण मे हिन्दी की आवश्यकता को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 1918 में मदास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से दक्षिण के विद्यार्थियों ने हिन्दी की परीक्षाएं दी। इसके अध्यक्ष श्री बी.डी जत्ती, कर्नाटक से थे, वे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। आज यदि हम अपने सारे भेदभावों को परे रखकर हिन्दी का प्रयोग करेंगे तो भविष्य में भाषा की दृष्टि से हिन्दी के माध्यम से भारत में एकता की संभावना है। अब हिन्दी के कारण देश को दो टुकड़ों में बांटने के बजाय संपूर्ण देश की पहचान बने 'हिन्दी'।

शीघ्र प्रकाश्य, शीघ्र प्रकाश्य.....

गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी की विभिन्न विधाओं की ऑन लाईन और मुद्रित संस्करण

नहीं करुंगा शादी

(व्यंग्य आलेखों का संग्रह, रु0 150/)

गौरैया

मेरे घर में छोटी बगिया,
रहती है उसमें गौरैया।
मीठे मीठे गीत वो गाती,
गा-गा कर वो मुझे जगाती।
उड़कर फिर वो नीचे आती,
आकर फिर वो दाना खाती।
छोटे-छोटे पंख से उड़कर,
आसमान को छूने चलती।
दसों दिशाओं में वो जाती,
आकर फिर वो गीत सुनाती।
गौरैया है सखी हमारी,
लगती है वो मुझको प्यारी।
मैं रखती हूँ उसका खाना,
आकर चुगती है वो दाना।
मेरे घर में छोटी बगिया,
रहती है उसमें गौरैया।

-स्वरा त्रिपाठी
विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

1996 से त्रैमासिक एवं 2001 से मासिक के रूप में निरन्तर प्रकाशित

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

हिन्दी मासिक

एक प्रति–15/रुपये, वार्षिक –150/रुपये, पंचवर्षीय–750/रुपये, आजीवन–1500/रुपये, संरक्षकः 11000/रुपये

पताः एल.आई.जी–93, नीम सराय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद–211011, मो0: 9335155949,
ई-मेलः vsnehsamaj@rediffmail.com

दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसारः एक अवलोकन

कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार कहा जाता है। इन चार भाषाओं की अलग-अलग लिपियाँ है। विशाल शब्द भंडार, व्याकरण तथा समृद्ध साहित्यिक विरासत भी है। अपने मातृभाषा के प्रति लगाव के साथ ही अन्य प्रदेशों की भाषा के प्रति भी यहाँ के जनता में निस्संदेह आत्मीयता की भावना है। दक्षिण भारत भाषा की सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है।

मेरे शब्द में अनंतकाल से मिली रहती है
अनगिनत कामनाएँ
और दुरूख के तीव्र कोलाहल
मेरी भाषा में पड़ी रहती है
सभी छोटी-छोटी आशा और
आकांक्षाएँ।

यही संबंध है- मनुष्य और भाषा के बीच। मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा ही एक जरिया है कि अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाया जा सके। भाषा एक ओर संप्रेषण की बहुमुखी व्यवस्था है तो दूसरी ओर सोचने विचारने का माध्यम ,तीसरी ओर भाषा ही साहित्यिक सर्जना का कलात्मक माध्यम है।

भारत के दक्षिण भूभाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत के अंतर्गत केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि शामिल है। कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, आंध्र में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल भाषा प्रचलित है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार कहा जाता है। इन चार भाषाओं के अलग-अलग लिपियाँ है। विशाल शब्द भंडार, व्याकरण तथा समृद्ध साहित्यिक विरासत भी है। अपने मातृ भाषा के प्रति लगाव के साथ ही अन्य प्रदेशों के भाषा के प्रति भी यहाँ के जनता में निस्संदेह आत्मीयता की भावना है। दक्षिण भारत भाषा की सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है।

धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक के कारण उत्तर भारत के लोग दक्षिण में आने जाने की परंपरा शुरु हुई। साथ ही दक्षिण में हिन्दी भाषा का बोलबाला भी आरंभ हुआ। हिन्दीतर क्षेत्र के धार्मिक और व्यापारिक केंद्रों में व्यवहार के माध्यम के रूप में हिन्दी का धीरे-धीरे प्रचलन हुआ। इस प्रकार दक्षिणी भाग पर मुसलमान शासकों के आगमन और इस प्रदेश पर उनके शासन के परिणाम एक भाषा विशेष के रूप में 'दक्खिनी हिन्दी' का प्रचलन 14 वीं से 18 वीं सदी के बीच हुआ। जिसे दक्खिनी हिन्दी कहा जाता है। बहमनी, कुतुबशाही, आदिलशाही आदि शाही वंश के शासकों के दौर में बीजापुर,

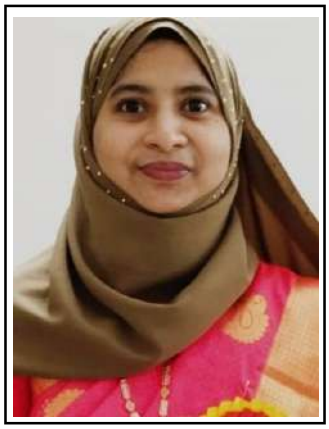

-डॉ. तस्लीमा
प्राध्यापक : स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, विश्व विद्यालय कॉलेज, मंगलुरु, कर्नाटक

गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीदर आदि प्रदेश में दक्खिनी हिन्दी का विकास हुआ। यह बोली जनभाषा के रूप विकसित हुई। इस भाषा में कई बोलियों के शब्द जुड़ जाने से आम आदमी की भाषा के रूप में प्रचलित हुई। हैदरअली और टीपू के शासनकाल में कर्नाटक के मैसूर रियासत में, अर्काट नवाबों के शासन काल में, तमिलनाडु के तंजावुर प्रांत में, आंध्र के कुछ सीमावर्ती प्रान्तों में, मराठा शासकों के द्वारा भी दक्खिनी हिन्दी काफी प्रचलित हुई

परंतु दक्खिनी हिन्दी में प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन भी हुआ है।

दक्षिण भारत में प्रमुखतः धार्मिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक के कारण ही हिन्दी का प्रचार-प्रसार हुआ। यह भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बन गयी। उत्तर से दक्षिण तक पहुँचकर हिन्दी भाषा में कई शैलियाँ, कई शब्द और रूप परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के संग्राम में हिन्दी भाषा ने ही देश को एकता के सूत्र में बाँधा है। साथ ही दक्षिण में हिन्दी एक सशक्त एवं स्वीकृत भाषा के रूप में हिन्दी काफी प्रचलित हुई। आधुनिक काल अर्थात 19वीं-20वीं सदी के दौरान हिन्दी को दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्धि मिली। एकता की भाषा के रूप में हिन्दी के महत्व को समझकर कई विद्वानों ने इसे अपनाकर, अपनी वाणी के रूप में देश के जनता तक पहुँचाया। उसमें श्रीकृष्णवीर नागेश्वर राय, वेंकटेश्वर शर्मा, बाला कृष्णराव, अलु सिरौजी, बोदराज वेंकट सुब्बाराव, डॉ.चालसानी सुब्बाराव, सुंदर रेड्डी, डॉ.एस, शेषरत्नम, डॉ.षणमुखन, भीमसेन निर्मल, डॉ.सरगकृष्णमूर्ती, डॉ.सूर्यनारायण बानु, जी.जे.हरिजीत, डॉ.रामचंद्रन नायर, डॉ. विश्वनाथ अय्यर, डॉ. एन.जी.देवी, के.एम मालती आदि कई साहित्यकारों का नाम प्रमुख है।

आर्य समाज के संस्थापक महासागर दयानंद सरस्वती ने हिन्दी का प्रबल समर्थन किया था। उन्होंने हिन्दी को आर्य भाषा की संज्ञा देकर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' की हिन्दी में रचना की। स्वामी जी द्वारा संस्थापित आर्य समाज ने जहाँ एक ओर समूचे भारत में भारतीयता एवं राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचार भी किया, दूसरी ओर चार हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित कराकर भाषा का भी प्रबल प्रचार किया। जब आंध्र में निजाम शासन के दौरान आर्य समाज गतिविधियों पर रोक लगाई जाने पर राज्य की सीमा पर यानी सोलापुर से इन पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करके बड़ी चुनौती के साथ राज्य में उनका प्रसार किया गया। दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार में आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

तमिल के प्रसिद्ध राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती ने सन् 1906 में अपनी तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से जनता से हिन्दी सीखने की आग्रह किया। साथ ही अपनी पत्रिका में हिन्दी लेखन के लिए कुछ पृष्ट भी छोड़ दिये। उनके नेतृत्व में ही सन् 1907—1908 के बीच मद्रास के जनसंघ के तत्वाधान में हिन्दी कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए कई कदम उठाए थे। वे हमेशा कहा करता थे कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले भारतीयों के लिए हिन्दी सर्वप्रयुक्त व्यवहारिक भाषा है। गाँधीजी के यही संकल्पना के फलस्वरूप ही दक्षिण में हिन्दी प्रचार सभा का सूत्रपात हुआ। आज इस सभा के कई संस्थाएँ पूरे दक्षिण में स्थित है। इस सभा के द्वारा विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं तथा उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के माध्यम से औपचारिक उपाधियाँ भी प्रदान की जा रही हैं।

हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में भारतीय लोगों को एकता में जोड़ने का सशक्त माध्यम बन गई है। हिन्दी भाषा के ज्ञान के अभाव में न तो हमारा सामाजिक विकास संभव है न ही मानसिक। आज संपूर्ण दक्षिण भारत ने इस सत्य या विचार को अपनाया है। भाषा जोड़ने का काम करता है नाकि तोड़ने का। इस प्रकार हिंदी दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों से जोड़ने की भाषा बन गयी है।

शीघ्र प्रकाश्य, शीघ्र प्रकाश्य, शीघ्र प्रकाश्य.....
गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी की विभिन्न विधाओं की ऑन लाईन और मुद्रित संस्करण

आपकी बात

(विभिन्न विषयों यथा सामाज, साहित्य, राजनीति से सम्बन्धित लेखों का संग्रह, मुल्य रु0 200/)

संस्कार गुरु की पाठशाला

(संस्कार से सम्बंधित वैकल्पिक प्रश्न-उत्तर, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से सम्बंधित प्रश्न और तथ्यपरक विस्तृत उत्तर रु0 100/)

कर्नाटक में हिन्दी प्रचार कार्य में कन्नड़ साहित्यकार तथा कलाकार का योगदान

हिन्दी के प्रचार में उस समय कन्नड़ के साहित्यकार, कलाकार, मुद्रण कलाकार, टंकण कलाकार, पत्रकार, खादी के प्रचार के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके महत्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

-डॉ. विनोद टी. रोडनवर
एसिस्टेंट प्रोफेसर, पी. शंकरांनद आर्टस एण्ड कामर्स कॉलेज, कुडची कर्नाटक

(आजादी के पूर्व)

महात्मा गाँधीजी ने हिन्दी का महत्व बढ़ाकर हिन्दी को नवचेतना दी, और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को यह संदेश दिया था -"Hindi not in the place of the mother tongue, but in addition to it."

सन् 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के काकिनाडा अधिवेशन मे डॉ.हर्डिकर ने (कर्नाटक में) स्वयंसेवकों का संगठन हिन्दुस्तानी सेवा दल के रूप में किया था। दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को हिन्दी पढ़ाई जाती थी। काकिनाडा अधिवेशन में श्रीजमुनालाल बजाज आए थे। वे ही उस समय हिन्दी सम्मेलन के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिन्दी सीखने पर बल दिया। मंगलूर, धारवाड़ा और कर्नाटक के अन्य लोग इस अधिवेशन में आए थे। उनमें हिन्दी सीखने का जज्बा पैदा हुआ। उस सभा में सन् 1918 में महात्मा गाँधीजी ने इन्दौर वाले अधिवेशन में राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में जो घोषणा की थी, उसे दुहराया गया। वहाँ सभी लोगों ने एकमत होकर हिन्दी प्रचार की कसम खाई। श्री कर्नाड सदाशिवराव भी इस सम्मेलन में थे, वे बड़े प्रभावित हुए। कार्नाड सदाशिवराव कर्नाटक के दक्षिण जिला मंगलूर के कॉंग्रेसी नेता थे। काकिनाडा से मंगलूर लौटकर उन्होंने हिन्दी प्रचार कार्य को संगठित किया। उनके प्रयत्न से ही मंगलूर में हिन्दी प्रचार कार्य सुदृढ हो गया। महात्मा गाँधी सन् 1924 में बेलगाँव में काँग्रेस अधिवेशन मे अध्यक्ष के रुप में आए थे, उस समय अपने भाषण में कहा था। "अखिल भारतीय पैमाने पर कार्य करने वालों को हिन्दी सीखनी ही होगी," यह आदेश गाँधीजी के ह्रदय से निकला, वह सारे कर्नाटक में ही नहीं, सारे भारत में गूँज उठा। कर्नाटक में हिन्दी प्रचार को गति मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में इस अधिवेशन में गाँधी जी ने सर्वप्रथम हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया।

स्वाधीनता आंदोलन के साथ-साथ हिन्दी भाषा आंदोलन पूरे जोरों पर था। कर्नाटक राज्य भी इससे भी अछूता नहीं रहा। हिन्दी के प्रचार में उस समय कन्नड़ के साहित्यकार, कलाकार, मुद्रण कलाकार, टंकण कलाकार, पत्रकार, खादी के प्रचार के कार्यकर्ता, स्वातंर्त्य संग्राम के कार्यकर्ता आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके महत्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता।उन्होंने हिन्दी प्रचार में अपना तन-मन लगा दिया। ऐसे महान लोगों की चर्चा करना अनिवार्य है।

कुछ ऐसे भी प्रचारक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन हिन्दी प्रचार में लगा दिया। उनकी पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं थी, वे कहती, "मेरे पति ने हिन्दी प्रचार को लेकर अपना सारा जीवन व्यर्थ किया।" वे अपने बाल-

बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाए। अमीर बच्चों की तरह हिन्दी प्रचारकों के बच्चे न इंजीनियर बन पाते न डॉक्टर। वृद्धावस्था में उन्हें हिन्दी प्रचारकों के नाम पर न कोई वेतन मिलता था, न जीविका के लिए कोई साधन। फिर भी वे खुश थे। वैभवमय जीवन से बेहतर हिन्दी प्रचार कार्य उन्होंने प्रामाणिकता से किया। यहाँ पर कुछ महान कन्नड़ साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, कार्यकर्ताओं का वर्णन संक्षिप्त रुप में किया जाएगा।

हिन्दी प्रचार में कन्नड़ साहित्यकारों का योगदान :

1—श्री.के. संपद्रिरिराव : अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे। कन्नड़ भाषा पर भी उनका अधिकार उतना ही था, जितना अंग्रेजी भाषा पर। इन्होंने सी.राजगोपालाचार्य की उपनिषद कहानियों एवं महाभारत की अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद कन्नड़ में किया। संपद्रिरि राव महात्मा गाँधी की रचनात्मक कार्यो में निष्ठा रखने वाले शिक्षक थे। इन्होंने प्रथम सन् 1934 में हिन्दी को अनिवार्य रुप से प्राथमिक स्तर से हाईस्कूल स्तर तक पढाने व्यवस्था की थी। कोई भी नेता बेंगलूर में अंग्रेजी में भाषण देते तो संप्रद्रिरिराव उसका अनुवाद हिन्दी में उतनी ही स्पष्ट और गंभीरता से करते थे। वे कन्नड़ के महान समर्थक थे पर हिन्दी प्रचार के लिए मार्गदर्शक बने थे। सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति में रहकर हिन्दी प्रचार के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया।

2—डॉ.डी.के.भारद्वाज : डी.के भारद्वाज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। कन्नड़ के महान पंडित थे। इन्होंने अंग्रेजी और कन्नड़ का कोष तैयार किया था। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इनके लेख छपा करते थे। महात्मा गँधी की प्रेरणा से उन्होंने कर्नाटक में हिन्दी का प्रचार किया। इनके घर में हिन्दी प्रेमियों का जमघट लगा करता, हिन्दी प्रचार के बारे में जहाँ जोर-शोर से चर्चा होती। भारद्वाज हिन्दी प्रचार की आवश्यकता पर बल देते और विरोधी भावना को कम करते थे। भारद्वाज जी ने मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनकर हिन्दी प्रचार कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

3—श्रीमति पी.जानकम्मा : पी. जानकम्मा शिवानंद शर्मा जी की शिष्या थी, जिनके प्रोत्साहन से ही जानकम्मा जी ने बेंगलूर के अपने घर हिन्दी वर्ग चलाना शुरु किया। श्रीमती जानकम्मा पर महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यों का गहरा प्रभाव था। हिन्दी वर्ग में आनेवाले सभी लोगों को कुछ घंटे चरखे से सूत कातना पड़ता। जानकम्मा विधवा थी, अपनी दो बेटियों के साथ वे हिन्दी वर्ग चलाती। उन्होंने 'हिन्दी शिक्षण समिति' नाम से एक पंजीकृत समिति भी बनाई। उन्होंने अतिरिक्त कर्नाटक राज्य में कन्नड़ के अनेक महान साहित्यकार है, जिन्होंने हिन्दी प्रचार कार्य को प्रोत्साहन दिया। जिनका नाम यहाँ आदर से ले सकते हैं जैसे -श्री सिध्दय्य पुराणिक, श्री.हं.प. नागराजय्या, श्री.एन.एस.रामप्रसाद, श्री.के.ज्वालनय्या, श्री. बी.वी.कारंत, श्रीमती बी.के सुबलक्ष्मी, श्री. कटील गणपति शर्मा, श्री.एस श्रीकंठमूर्ति, डॉ. शरसचन्द्र चुलकीमठ, डॉ.कुसुम गीता, प्रो.एल.एस.शेशगिरिराव, वै. ललितांब, डॉ.सरोजिनी महिषि, टी. जी.प्रभाशंकर प्रेम, डॉ० तिप्पेस्वामी, प्रधानगुरुदत्त आदि।

हिन्दी प्रचार में कलाकारों का योगदान : कर्नाटक में हिन्दी प्रचार के लिए अनेक कलाकारों का योगदान रहा है। पंडित तारानाथ जी आयुर्वेदिक डहक्टर थे और कन्नड़ भाषा के प्रकांड विद्वान। साथ-ही-साथ वे हिन्दी प्रचार के महान कार्यकर्ता भी थे। सन् 1927—28 में महात्मा गाँधी बेंगलूर आये थे, तब उनके सम्मुख एक हिन्दी नाटक 'कबीरदास' खेला गया, जिसमें पंडित तारानाथ ने स्वयं कबीर का पात्र वहन किया था। महात्मा गाँधी ने समय निकालकर, इस नाटक को देखा और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। इस नाटक के उपरान्त डॉ.डी.के. भारद्वाज जी और श्री.बी पुट्टस्वामय्याजी ने 'नूरजहाँ, मेवाडपतन य' दुर्गादासय; शाहजहाँ आदि नाटकों का अनुवाद कन्नड़ में किया। प्रभात कलाकार श्री करिगिरि आचार्य नेशनल स्कूल के अध्यापक थे। उन्होंने भी हिन्दी प्रचार को महत्व दिया। श्री.टी.पी. कैलास जी स्वयं कन्नड़ के दास साहित्य का हिन्दी में अनुवाद कर छाया कलाकारों के कलाकार संघ के द्वारा नाटक प्रस्तुत करवाते थे। वे नेशनल हाईस्कूल के वार्षिकोत्सव में हिन्दी नाटक प्रदर्शन को प्रोत्साहन देते थे। टी.पी. कैलास जी से प्रभावित होकर श्री.बी.वी.कारंत जी हिन्दी के प्रचारक बने। आगे चलकर वे महान कलाकार और राष्ट्रीय स्तर के नाटक तथा

निर्देशक बने। सन् 1995 में हिन्दी प्रचार विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री. एस श्रीकंठ्मूर्ति ने अपने शिष्यों एवं मित्रों के सहयोग से राष्ट्रभाषा कला परिषद नामक संस्था की स्थापना की। उसके अध्यक्ष गुब्बी वीरण्णा थे। इस मंच पर अनेक कन्नड़ तथा हिन्दी नाटक एवं एकांकी का प्रदर्शन सफलता पूर्वक होता रहा। दो साल के बाद यह परिषद स्थगित हुई। आज भी ऐसे अनेक मंच हैं, जहाँ हिन्दी नाटक खेले जाते हैं।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में विशेषकर आजादी से पहले अनगिनत लोगों ने हिन्दी प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दिया, जिनमें कन्नड़ साहित्यकार, टंकणकार, पत्रकार, नाटककार, स्वातंत्र्य के कार्यकर्ता आदि थे, जिन्होंने बड़ी श्रध्दा से हिन्दी-प्रचार में अपना जीवन अर्पित किया। इनमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। इन सब के योगदान के कारण ही कर्नाटक में आज हिन्दी भाषा एक उन्नत मुकाम पर है।

संदर्भ :-

हिन्दी प्रचार सामचार : सितम्बर 2011
दक्षिण भारत में हिन्दी- डॉ.रामेश्चन्द्र शर्मा

उपाधियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित हैं

साहित्य जगत् में लोकप्रिय, विश्वसनीय एवं अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित **विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज** 2003 से लगातार साहित्यिकारों/पत्रकारों/समाजसेवियों/कलाकारों को सम्मानित करता आ रहा है। इस वर्ष निम्नांकित सम्मान प्रस्तावित है-

समग्र साहित्य के लिए संस्थान की सबसे बड़ी उपाधियां क्रमशः साहित्य रत्न(डी.लिट), साहित्य गौरव(डाक्टरेट/पीएचडी), साहित्यश्री हैं। इनके लिए कम से कम 100 पृष्ठों की किसी एक विषय पर लिखी गई पाण्डुलिपि जो 2020 के बाद लिखी गई हो, प्रकाशित/अप्रकाशित हो, पर दिया जाएगा। प्रत्येक के लिए दो हिन्दी साहित्य सेवी प्रस्तावक का होना आवश्यक है।

विभिन्न सम्मानों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं

विशिष्ट हिन्दी सेवी/हिंदी सेवी सम्मान (हिन्दी की विशेष सेवा के लिए), **राष्ट्रभाषा सम्मान** (हिन्दीत्तर भाषी राज्यों के हिन्दी प्रेमियों के लिए जो हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार व लेखन कार्य कर रहे है), **राजभाषा सम्मान**-(सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों द्वारा हिन्दी के विकास के लिए). **शिक्षकश्रीः** (शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए), **विधिश्री**-(विधि के क्षेत्र में रहते हुए हिन्दी सेवा के लिए) डॉ. होमी जहांगीर भाभा सम्मान (विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए), पत्रकार रत्न (पत्रकारिता/संपादन के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव), समाज शिरोमणि (समाज सेवा के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव), काव्य शिरोमणि (काव्य की किसी भी एक विधा पर एक पुस्तक न्यूनतम 100 पृष्ठीय पाण्डुलिपि/प्रकाशन), साहित्य शिरोमणि (समग्र साहित्य लेखन, एक पुस्तक न्यूनतम 100 पृष्ठीय पाण्डुलिपि/प्रकाशन) (प्रमाणिक विवरण भेजना अनिवार्य है) **आयु सीमा** : कोई बन्धन नहीं **अंतिम तिथिः 15 दिसम्बर 2024**

ईमेलः hindiseva15@gmail.com, वेबसाईटwww.vhsss.in

गुजरात राज्य में हिन्दी भाषा के बढ़ते कदम एवं अवरोध

गुजरात के लोग संस्कारी और सहयोगी होते हैं। वह भले ही हिंदी बोल ना पाएं पर समझ कर जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अन्य प्रदेशों से आने वाले हिंदी भाषियों को भी गुजरात ने अपनाया है। सभी प्रदेशों के प्रवासियों ने यहां अपना मुकाम हासिल किया है। गुजराती और हिंदी का भाषाई ढांचा समान होने के कारण हिंदी भाषा के विकास में कठिनाई नहीं है।

-डॉ. अर्चना चतुर्वेदी
विभागाध्यक्ष (कला संकाय)
श्री क्लॉथ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इंदौर, मध्य प्रदेश
मो०: 8962382252

अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय भाषाएँ एक दूसरे पर आधारित दिखायी देती हैं। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। सभी भारतीय भाषाएँ कहीं न कहीं संस्कृत से जुड़ी है। गुजराती भी हिन्दी की सहधर्मिणी है। प्रादेशिक संरचना एवं व्यापारिक आवागमन की दृष्टि से सौराष्ट्र प्रदेश में हिन्दी की पैठ गहराती जा रही है। बढ़ते हुए औद्योगीकरण के कारण अन्य प्रदेशों से आये हुए लोग गुजरात में बस रहे है जिसमें भाषायी शिथिलता बढ़ रही है। जहाँ पहले समय में लोग हिन्दी को सीखने में गुरेज करते थे, वहीं अब लगातार भाषायी अवरोध समाप्त हो रहा है। आज के समय में गुजराती बड़ी बहन के समान हिन्दी को प्रश्रय दे रही है। और हिन्दी अनुजा की तरह संपूर्ण कलाओं में खिलकर अपना क्षेत्र विकसित करने में सफल रही है। यह आज की समय की उपलब्धि है कि इस समय गुजरात में विद्यार्थी हिन्दी विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी. एच.डी. की उपाधि अर्जित कर रहे हैं। इस राज्य में आधे दर्जन से अधिक साहित्यिक पत्रिकाएँ निकल रही हैं। गुजरात राज्य में कुछ हिन्दी संस्थाओं का भी हिन्दी के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान है। जिनमें से अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, हिन्दी साहित्य परिषद् गाँधी नगर की हिन्दी साहित्य एकादशी का हिन्दी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, अकादमी की पत्रिका 'नूतन भाषा सेतु' जिसके संपादक 'अंबाशंकर नागर' थे उन्होंने हिन्दी भाषा के लिये महती कार्य किए। डॉ. रामकुमार गुप्ता का भी हिन्दी साहित्य के विकास में अनमोल योगदान है।

प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र में प्रकाशित 'नूतन राष्ट्रवीणा' हिन्दी के लेखकों को सतत् प्रोत्साहित कर रही है। 'हिन्दी साहित्य अकादमी' गांधी नगर तो हिन्दी के नवोदित रचनाकारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, जिससे उनकी रचनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। 'कच्छ जिले की 'ब्रजभाषा पाठशाला गुजरात' में हिन्दी को बढ़ावा देने में पूर्ण रूप से सहायक रही है। यहाँ के लोग सभी भाषाओं एवं संस्कृति को आसानी से अपना लेते है। भाषायी रूढ़िवादिता यहाँ कम ही दृष्टव्य होती है। गुजराती और हिन्दी का आपस में गहरा संबंध है क्योंकि दोनों ही भारतीय परिवार की भाषाएँ है। जिसमें अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएँ भी शामिल है। गुजराती और हिन्दी आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़े है। यदि हम उनकी शब्दावली का अवलोकन करते है तो हम देखते है कि अनेकों शब्दों का उच्चारण लगभग समान है, बस लिखते समय हिन्दी में शिरोरेखा का प्रयोग होता है जबकि गुजराती लिपि में यह पंक्ति अनुपस्थित रहती है। गुजराती और हिन्दी की शब्दावली में कई शब्द समान है। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो

जाती है।

हिन्दी	गुजराती
शांति	शांति
आनंद	आनंद
मार्ग	मार्ग
शहर	शहेर
दिल	हृदय
आग	आग

(टंकण सुविधा उपलब्ध नही होने के कारण गुजराती भाषा के शब्दों की शिरोरेखा हटा पाना संभव नही था कृपया गुजराती शब्दों के लिए शिरोरेखा मुक्त शब्द समझे जाए)

मुगल काल में फारसी के कई शब्द हिन्दी में आये और बाद में उनका चलन गुजराती में भी होने लगा। जैसे शहर, औलाद बीमा, नाश्ता, फायदा आदि शब्द इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गाँधी, जिन्हें हम बापू के नाम में जानते है वे मूल रूप से गुजराती को अपनाते थे। उन्होंने अपनी गुजराती कृतियों को हिन्दी में अनूदित करवाया, चाहे वह 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' हो अथवा 'हिंद स्वराज' हो इन पुस्तकों में उन्होंने हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित किया है।

यह बात तो समानता की है। पर कई जगह हिन्दी को अवरोधों का भी सामना करना पड़ता है। इसका मूल कारण है कि गुजरात में हिन्दी की शिक्षा सातवीं कक्षा तक ही होती है। उसके आगे का शिक्षण छात्र की इच्छा पर निर्भर करता है। गुजराती बोर्ड के विद्यार्थी हिन्दी के स्थान पर, अन्य भाषा पढ़ने में रुचि रखते हैं। जिस विद्यालय में जिस भाषा में शिक्षा दिलायी जाती है। विद्यार्थी उसी को अपनाता है। इसलिये उनकी रूचि हिन्दी भाषा में कम हो जाती है। बाजारवाद का बढ़ता प्रभाव भी हिन्दी भाषा के विकास में रोड़ा बनता है। उत्पादक गुजराती भाषा में ही उत्पाद का प्रचार करता है। साधारण जनता गुजराती ही समझती है। अतः हिन्दी के कदम रूक जाते है। सरकारी कामों में भी गुजराती का प्रभुत्व देखा जाता है। सभी प्रकार के सरकारी बिल, सरकारी कागजात कोर्ट के कागज आदि गुजराती में ही प्रस्तुत किये जाते है। अन्य प्रदेशों से आने वाले इन सबसे वंचित रह जाते है। पर अब स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। चलचित्रों के बढ़ते प्रभाव और बाजारवाद के बढ़ते कदम ने अवरोधों को कम किया है। गुजरात के लोग संस्कारी और सहयोगी होते है। वे भले ही हिन्दी बोल न पाये पर समझकर जवाब देने की पूरी कोशिश करते है। इस प्रकार सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। अन्य प्रदेशों से आने वाले हिन्दी भाषियों को भी गुजरात ने अपनाया हैं। सभी प्रदेशों के प्रवासियों ने यहाँ अपना मुकाम हासिल किया है। गुजराती और हिन्दी का भाषायी ढांचा समान होने के कारण हिन्दी भाषा के विकास में कठिनाई नहीं है।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में भाषायी दीवार टूट रही है। हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार बढ़ता जा रहा है। गुजराती भाषा के एक साथ हिन्दी का खुले दिल में स्वागत किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व अम्बानी परिवार का एक पारिवारिक कार्यक्रम जामनगर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रदेशों से अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आये तो पूरे कार्यक्रम में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गुजराती उनके कार्यक्रम में हावी रही। सभी अतिथियों ने भी अपनी अभिव्यक्ति हिन्दी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी दी जो भाषायी विविधताओं का परिचायक है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वह दिन अब दूर नहीं जब भाषायी विषमता अन्य प्रदेशों से भी समाप्त हो जायेगी।

संदर्भ –

1.डॉ. रानू मुखर्जी-आलेख - गूगल
2.गुजरात विद्यापीठ पुस्तकालय
3.http./ अनुवाद, गूगल.काम
4. http: | | /www

रचनाकार : हरिहर चौधरी
मूल्य : 100रुपये
प्रकाशक :
विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

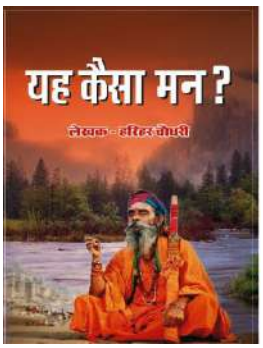

दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का प्रचार-प्रसार

- पूनम ब्राले (शोधार्थी)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
पता- 67/68, के. के. मिश्रा, स्वास्तिक नगर, महूनाका स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश
मो.-9770422264
ईमेलpoonam03jat@gmail.com

"संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है।"[1] रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इस कथन का आशय सरल शब्दों में समझा जाए तो साहित्य वह है, जो समाज की पुनर्रचना का दायित्व अपने कंधों पर लिए हुए हैं। साहित्य के द्वारा हम ऐसा समाज अपनी कल्पनाओं में सृजित करते हैं जैसा हम वास्तव में चाहते हैं तथा राजनीति व दर्शन की सहायता से उसे मूर्त रूप देते हैं।

साहित्य के संप्रेषण व उसके नैतिक प्रचार के लिए भाषा का प्रसार होना एक महती आवश्यकता है। किसी भाषा के उन्नत साहित्य को अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने, लोगों को उससे अवगत कराने व समस्या विशेष के प्रति जागृत करने में किसी संपर्क भाषा का होना बेहद आवश्यक है। वर्तमान समय के भारत में कई प्रकार की भाषाएं व बोलियां बोली जाती है, ऐसे में जब समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए किसी एक भाषा की कल्पना की जाती है तब हिंदी का नाम सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में आता है। भाषा के विषय में कहा जाता है कि "भाषा हमारी हिंदुस्तानी कौम की संस्कृति की धारक और संवाहक मां है।"[2] तब मां कोई ऐसी भाषा ही हो सकती है जिसमें सामंजस्य व संयोजन के द्वारा तारतम्य स्थापित कर सकने का गुण हों। इस प्रकार भारत के किसी भी अन्य भाषा भाषी क्षेत्र से संपर्क स्थापित करने में तथा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में हिंदी एक बेहतर माध्यम के रूप में स्वयं को सिद्ध करती है।

भौगोलिक विभाजन के अतिरिक्त भाषिक एवं सांस्कृतिक विभाजन या विविधता के आधार पर भारत का दक्षिणी हिस्सा हिंदी की अन्य बोलियां से कुछ दूर नजर आता है। दक्षिण भारत में भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा निवास करता है अतः ऐसे में यह हमारे देश की एकता के लिए एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है। कहा गया है कि "आप कहीं भी हो पर एक ही भाषा का प्रयोग करने से दूरियां दूर हो जाती है।"[3] दक्षिण भारत के निवासियों से एक भाषा अर्थात हिंदी में संपर्क स्थापित कर इन भाषिक दूरियों को दूर करने का प्रयास निरंतर जारी है। हिंदी की उत्पत्ति व साहित्य के उद्भव का इतिहास वैसे काफी पुराना है पर हिंदी शब्द के लिए बच्चन सिंह कहते हैं कि "हिंदी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया जाता रहा है इसलिए इस विशाल प्रदेश की भाषाओं को हिंदी कहा जाने लगा।"[4] वही हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंग भक्ति काल के उद्गम का आरंभिक स्वरूप दक्षिण में देखने को मिलता है- "भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद।" दक्षिण भारत में हिंदी के प्रयोग के आरंभिक साक्ष्य हमें 13वीं–14वीं शताब्दी में मिलते हैं। हिंदी को दक्षिण भारत में ले जाने का पहला श्रेय बहमनी एवं मुगल प्रशासकों को है। तब से ही दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा व साहित्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का आगमन केवल आधुनिक काल तक व स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार माध्यम तक सीमित नहीं रहा है। यह भारतीय कला एवं साहित्य के संवाहक के रूप में मध्यकाल से ही दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी और अब सांस्कृतिक वैभव एवं विरासत के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य कर रही हैं।

आधुनिक काल में आकर हिंदी

ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने व देश को जोड़ने वाली भाषा के रूप में स्वयं को दक्षिण भारत में स्थापित किया। अपनी मातृ भाषाओं तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम के साथ ही दक्षिण भारतीयों ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए व अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व उससे पूर्व कई विद्वानों ने हिंदी को दक्षिण में प्रचारित प्रसारित करने के लिए कई कदम उठाए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना हिंदी में कर अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। "तमिल के सुविख्यात राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने संपादन में प्रकाशित तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से 1906 में ही जनता से हिंदी सीखने की अपील की थी।"[5] इस प्रकार दक्षिण भारत में हिंदी ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसमें सी.पी. रामास्वामी अय्यर, डॉ. एनी बेसेंट, टी.आर. वेंकटराम शास्त्री, एन. सुंदरय्या आदि सक्रिय भूमिका में थे।

इस तरह स्वयं दक्षिण भारतीयों का ही एक बहुत बड़ा तबका हिंदी के विकास व प्रचार कार्यों में लगा हुआ था। संविधान निर्माण के दौरान जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात उठी तो उसके प्रमुख समर्थकों में दक्षिण भारतीय भी शामिल थे, सी. राजगोपालाचारी ने विरोधों के बावजूद अंत में हिंदी को बहुमत की भाषा के रूप में स्वीकारा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में हिंदी राजभाषा के दर्जे के साथ आगे बढ़ी व इसके प्रचार के लिए कई व्यक्तिगत व संस्थागत प्रयासों के साथ ही सरकारी प्रयास भी किए गए। संविधान लागू करने के समय डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि "आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी।"[6]

तमिल के सुविख्यात राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने संपादन में प्रकाशित तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से 1906 में ही जनता से हिंदी सीखने की अपील की थी। इस प्रकार दक्षिण भारत में हिंदी ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसमें सी.पी. रामास्वामी अय्यर, डॉ. एनी बेसेंट, टी.आर. वेंकटराम शास्त्री, एन. सुंदरय्या आदि सक्रिय भूमिका में थे।

हिंदी के प्रसार में कई संस्थाओं ने अपना योगदान दिया। विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, समीक्षा, पत्रिकाओं व उनके प्रकाशन के लिए 'केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम' में 1934 में के. वासुदेवन पिल्लै द्वारा स्थापित की गई। साथ ही दक्षिण के राज्यों में हिंदी के प्रचार के लिए महात्मा गांधी द्वारा 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास' की स्थापना 1918 में की गई। सभा की शाखाएं दक्षिण के चार प्रांतों-केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। यह सभा अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों को हिंदी सिखा चुकी है। 450 से अधिक हिंदी पुस्तक प्रकाशित व 52,000 हिंदी प्रशिक्षक व प्रचारक तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त 'मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बैंगलोर' (1943) तथा 'कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बैंगलोर'(1939) आदि हिंदी प्रचार के लिए स्थापित की गई संस्थाएं हैं।

वर्तमान समय में हिंदी को दक्षिण क्षेत्र में प्रसारित करने व संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं। "केरल के एक गांव चेल्लनुर ने हिंदी को बढ़ावा देने की जो पहल की है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। गांव के सैकड़ों लोग हिंदी सीख रहे हैं।"[7] आरिगपुडी व बालशौरी रेड्डी जैसे तेलुगु भाषी लेखकों ने हिंदी में सुंदर उपन्यास तथा कहानियां लिखी। भीमसेन निर्मल, संगमेशन, जी. सुंदर रेड्डी ने हिंदी में निबंध लेखन किया। कई तेलुगू भाषी साहित्यकारों ने 'हिंदी साहित्य के सामयिक चरित्र में आंध्र के सांस्कृतिक सूत्र' बुने हैं। तमिल क्षेत्र में तमिल भाषी लेखक सरस्वती रामनाथन, शंकर राजू नायडू तथा एस. एन. गणेशन ने हिंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। हिंदी के

साहित्यकार डॉ. रांगेय राघव भी तमिल भाषी थे। मलयालम भाषी लेखकों में चंद्रशेखर नायर कन्नड़ के नागप्पा का नाम हिंदी प्रचार में प्रसिद्ध है।

हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, शिमोगा, त्रिवेंद्रम, कोचीन और कालीकट जैसे शहरों में हिंदी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। दक्षिण के प्रत्येक राज्य में एम.ए., एम. फिल., पीएच.डी., डी.लिट. जैसी उपाधियां हिंदी में प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क कक्षाओं का संचालन, प्रकाशन, लेखन एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी इतर राज्यों की तुलना में हिंदी का प्रचार प्रसार एवं प्रयोग भारत की राजभाषा के रूप में दक्षिण में अधिक है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल होगा।

हिंदी हमारे देश में जन्मी बहुमत की भाषा है, जिसे हिंदी क्षेत्र के निवासियों ने हर परिवर्तन के साथ स्वीकारा है। "हिंदी न तो विदेशी, मुसलमानों के कारण पैदा हुई और न हीं फोर्ट विलियम के टकसाल में ढाली गई। यह स्वयं ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरुप विकसित होती हुई आधुनिक युग के भावों और अभिव्यक्ति का माध्यम बनी।"[8] भारत भर में लोगों के भावों व अभिव्यक्ति के लिए हिंदी यूं ही माध्यम के लिए दावा नहीं करती बल्कि उसके पीछे भारत की ऐतिहासिकता व विरासत को धारण करते हुए चलती है इसलिए संपूर्ण भारत को एक भाषा के छत्र के नीचे लाने की सच्ची अधिकारिणी भी है।

भाषा के सार्वभौमिक चुनाव की स्वतंत्रता के बावजूद देश की अपनी भाषा को त्याग कर किसी बाहरी भाषा पर निर्भर होना न केवल हमें उस पर वैश्विक स्तर पर निर्भर बना देगा बल्कि हमारी भाषिक विरासत से भी दूर कर देगा। इसलिए हिंदी को एक बड़े स्तर पर फैलाकर वैश्विक आयामों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थः

1—रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022, आमुख पृ.09

2—राजभाषा भारती, जनवरी-मार्च 1994, अंक-64, पृ. 32

3—डॉ. सी.ई. जीनी, पूर्वांचल प्रदेश में हिंदी भाषा और साहित्य, वाणी प्रकाशन 1990, (भूमिका)

4—बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022 पृ.41

5—डॉ. के. संगीता, गैर हिंदी राज्यों में हिंदी दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचलन, 24जुलाई 2015, https://ekhabartoday-com/newekt

6—अभिव्यक्ति-संविधान में हिंदी, https://www-abhivyaktihindi-org/snibandh/hindi_diwas/samvidhan_me_hindi-htm

7—दक्षिण भारत- हमारी भाषाएँ हमारी शक्ति, https://www-dakshinbharat-com/article/62290/our&language&our&power\amp¾amp

8—बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022 पृ. 47

सातवीं काव्य सम्राट प्रतियोगिता

पुरस्कार राशि 11000/रुपये मात्र

इस प्रतियोगिता में उम्र का कोई बंधन नहीं है. देश-विदेश का कोई भी रचनाकार इसमें प्रतिभाग कर सकता है. आपको अपनी एक छन्द बद्ध रचना पठनीय हस्तलिपि अथवा टंकित कराकर भेजनी होगी। रचना के साथ अपना पूरा नाम, पता, एक फोटो, ह्वाट्सएप नंबर अगर ई-मेल हो ईमेल आईडी भेजना होगा।

नियम एवं शर्तें: 1. रचना मौलिक होनी चाहिए तथा विवादित, राजनीति एवं धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए।. 2. प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। 3. द्वितीय चरण के विजेता को 11000/रुपये नगद एवं काव्य सम्राट की उपाधि I, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा शेष प्रतिभागियों को प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाएगा। 5. प्रतिभागियों को मांगे गये विवरण के साथ रुपये पांच सौ का चेक/डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट/आन लाईन अथवा सीधे संस्थान के खाते में जमा कर जमा रसीद की प्रति भेजना अनिवार्य होगा। ह्वाटसएप नं०: 9335155949,

हिन्दी एवं तेलुगु भाषा : तुलनात्मक साहित्यिक परिशिष्ट

भाषा भावाभिव्यक्ति तथा मनोभावों के संप्रेषण का माध्यम है। कुछ व्यक्तियों के साथ बात करने पर यह भी पता चलता है कि उन्हें व्यक्ति या वस्तु के लिंग का भी ज्ञान नहीं होता और वे लिखित भाषा में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मध्य भेद को न समझते हुए वाक्य में लिंग संबंधी प्रयोग में अशुद्धियां अवश्य कर जाते हैं।

-डॉ. रेमी जायसवाल
सहा. प्राध्यापिका (हिन्दी)-कला संकाय)
श्री क्लॉथ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज़, इंदौर, मध्य प्रदेश

भारत के बहुभाषायी पटल पर तेलुगु एवं हिन्दी दोनों ही भाषाएँ अपने-अपने भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा के रूप में गौरव रखती है। अलग-अलग भाषा परिवारों से संबंधित होने के बाद भी हिन्दी और तेलुगु में कई समान शब्दावली वाले शब्द है। तेलुगु शब्दावली के 80% शब्द संस्कृत से उपजे है, हिन्दी शब्दावली के एक वृहद भाग का उद्‌गम स्त्रोत संस्कृत ही है।

इतिहास साक्षी है कि दोनों भाषाओं की पृथक उपस्थिति उपरांत भी इनकी उत्पत्ति एक समान है क्योंकि दोनों भाषाएँ ब्राह्मी लिपि से विकसित है। लगभग सातवीं शताब्दी (ई.पू.) में आंध्रप्रदेश में चालुक्य राजाओं ने अपने शासनकाल में तेलुगु को आंध्रप्रदेश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। तत्कालीन शिलालेखों में इस तथ्य के प्रमाण अंकित है। इसी प्रकार प्राकृताभास/अपभ्रंश अथवा हिन्दी के पद्यो, का सबसे प्राचीन पता विक्रम शताब्दी के अंतिम चरण से स्पष्ट ज्ञात होता है किंतु स्थायी साहित्य सृजन के साक्ष्य विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में 'मुंज और भोजकालीन' समय से प्राप्त माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हिन्दी एवं तेलुगु भाषा एवं साहित्य का उद्‌भव संभवतः एक ही समय में हुआ था। हिन्दी एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का साहित्यारंभ किसी निश्चित साहित्य प्रवृत्ति पर आश्रित नही था अतः धर्म, नीति, श्रंगार, वीर रस आदि विषयों को उस समय की साहित्य धारा में देखा जा सकता हैं।

अतः हिन्दी में 'चंदबरदई' व तेलुगु में 'नेन्नय्या भट्‌ट' के प्रवेश तक साहित्य विविध विशयात्मक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह साहित्यिक विविधता संवत् 1050 विक्रम से लेकर संवत् 1200 वि. तक रही। तत्पश्चात् चंदबरदई का 'पृथ्वीराज रासो' के रूप में हिन्दी का प्रथम प्रबंध काव्य सामने आया, ऐसे ही समय में आंध्रप्रदेश के आदि कवि 'नन्नय्या' का महाभारत का 'उदात्तवस्तुक' 'आंध्रानुवाद' प्रस्तुत हुआ। इस ग्रंथ की अनुवाद पद्धति इतनी परिष्कृत, स्वतंत्र एवं सरस है कि पढ़ते समय मौलिक रचना की प्रतीति होती है। मूल पाठ से अन्यत्र मौलिक उद्‌भावनाओ से अनुप्राणित इस काव्य रचना में छंद, चरित्र-चित्रण, प्रसंग योजना एवं गद्य-पद्य का सम्मिश्रण, रस सृष्टि आदि के लिए बाद के कवियों ने 'नन्नय्या भट्‌ट' को अपना आदर्श स्वीकार किया अतः हिन्दी साहित्य के लिए 'चंदबरदई' तथा आंध्र साहित्य के लिए 'नन्नय्या भट्‌ट' अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य कर गए। दोनों की कविताओं में भारत के उज्जवल अतीत के शूरवीर योद्धाओं तथा महाप्राण चेतनाओ का गुणगान प्राप्त होता है। दोनों कवियों की काव्य शैली में प्रबंध काव्य के समस्त गुण दृष्टिगत होते है किंतु 'रासों' में पृथ्वीराज रासो का गुणानुवाद है और वहीं 'नन्नय्या' के काव्यसृजन में

अखिल भारतीय आदर्श का समावेश है।

स्पष्ट है कि दोनो भाषाओं के आदिकालीन साहित्य में वीर रस का प्राधान्य रहा। तत्पश्चात् संवत् 1375 से संवत् 1700 तक दोनों भाषाओं का मध्यकाल रहा जिसमें हिन्दी की भांति तेलुगु में भी भक्ति साहित्य की प्रधानता रही किंतु तुलनात्मक रूप से हिन्दी भाषा में भक्तिकाल रचनाएँ तेलुगु भाषा की तुलना में अधिक हैं। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी ने भक्ति मार्ग की भिन्न शाखाओं का जिस रूप में प्रतिनिधित्व किया है उसके सदृश्य तेलुगु साहित्य का भक्ति साहित्य कम है। तेलुगु भक्त कवि पोतन्ना, संत त्यागराज, वेमन्ना क्रमशः सूर, तुलसी, जायसी, कबीर की समकक्षता रख सकते है किंतु जायसी जैसे प्रेमयोगी का आंध्र साहित्य में नितांत अभाव है।

कृष्णधारा के कवियों में 'सूर एवं 'पोतन्ना' साम्य भाव से वर्णित है, वे पहले भक्त है और बाद में कवि किंतु पोतन्ना के काव्य में रचना पटुता मनोहारिणी है। सूर की कृष्ण संबंधी रचनाएँ ही है वही पोतन्ना के 'भागवत' में अनेक कथाओं का वर्णन है। कहीं-कहीं पोतन्ना की तुलना तुलसीदास से भी की गई है। दोनो साहित्यकारों की जन्मभूमि अलग अवश्य है, किंतु भावभूमि एक ही है इसी प्रकार महात्मा कबीर की सधुक्कड़ी भाषा एवं 'वेमन्ना' की ''आटवेलादि' (नर्तकी नाच उठती हैं) दोनो संतो की वाणी में संसार की निस्सारता, सत्य का स्पष्ट प्रतिपादन दृष्टव्य है। कबीर के दोहे, 'वेमन्ना,' के आटवेलादि के छंद भावो की एकरूपता को निरूपित करते है। इस भक्ति कालीन युग में हिन्दी भाषा में 'अष्टछाप' कवियो का प्रार्दुभाव हुआ एवं उसी समय तेलुगु में आठ प्रसिद्ध कवि हुए है जो 'अष्टदिग्गज' कहलाए। (अल्लासानी पेद्दना, नंदी थिम्मन, मढ़रयागिरी मल्लाना, धर्जाती अय्यलाराज, रामंभद्रुडु, पिंगली सुराणा, राजाराम भूषणुदे, तेनाली रामकृष्णा।)

इस युग की साहित्यिक सम्पदा देखकर दोनो भाषाओं का साहित्यिक स्वर्णयुग कहा जा सकता है। यह युग क्रमशः भक्ति से श्रृंगार रस में पर्यवसित हुआ दोनो भाषाओं का साहित्य भी तदनुसार परिवर्तित होता गया।

संवत् 1900 के पश्चात् आधुनिक काल को दोनो भाषा साहित्य का गद्यकाल कहा जा सकता है। गद्य की आवश्यकता एवं पूर्ति हेतु दोनो भाषा साहित्य में प्रवर्तक उपजे। हिन्दी में 'भारतेन्दु' तथा तेलुगु साहित्य में 'कुंदुकरि वीरेशलिंगम' क्रमश युग दिग्दर्शक बने। कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, प्रहसन, आदि सभी क्षेत्रों में 'वीरेशलिंगम्' के पद्चिन्हों पर उनके परवर्ती लेखक चलने लगे। इसी प्रकार स्वतंत्र युग निर्माता के तेलुगु भाषा में 'विश्वनाथ सत्यनारायण' जैसे यशस्वी लेखको का अविर्भाव रहा। हिन्दी का 'छायावादी काव्य' तेलुगु में 'भावकविता' के रूप के नाम से सुप्रसिद्ध है। हिन्दी की प्रगतिवादी कविता तेलगु में 'अभ्युदय' कविता के रूप में प्रतिष्ठित है।

इस प्रकार दोनो भाषाओं का साहित्य अत्यंत समृद्ध रहा है। गद्य एवं पद्य की विधाओं के साथ दोनो भाषाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारी भाषायी एकता के मूल में सांस्कृतिक अक्षुण्णता विद्यमान है। उत्तर की मथुरा, दक्षिण की 'मदुरा' है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपनी 'मातृभूमि' कविता में लिखा है।

'इसके करोड़ो मुख है,
परंतु दिल एक है।
इसकी अनेक भाषाएँ,
परंतु मन एक है।''

संदर्भ : 1—भारत की भाषाई विविधता : द इंडिया फोरम
2—राजभाषा भारती जनवरी मार्च 1992
3—विकिपीडिया htt.ps:/hi, mvikipedia.org
4—तेलुगु और हिन्दी भाषाई समानताएँ और अंतर
5—Quora http://www.quora.com

लेखक : वर्षा रानी जायसवाल
मूल्य : 250/रुपये
प्रकाशक :
विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार तथा परिचर्चा : तमिलनाडु के संदर्भ में

-प्रा. पूर्णिमा उमेश झेंडे
हिंदी विभाग प्रमुख, भोसला मिलिटरी कॉलेज, नासिक, महाराष्ट्र
मोबाइलः 9860060448

भारत की भाषायी विविधता हमारी सांस्कृतिक विविधता का मूलाधार है और हिंदी इस सांस्कृतिक समासिकता की संवाहक है। यही कारण है कि भारत के हर आंचल में हिंदी का बखूबी प्रयोग होता है। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक विचारों अथवा भावो की आदान-प्रदान में हिंदी ही प्रयुक्त होती है। इस दृष्टि से संविधान सभा द्वारा लिया गया निर्णय कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी बिल्कुल सही था। 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा तो मिल गया। पर राष्ट्रभाषा के नाम पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना है।

ऐतिहासिक संदर्भ : सन् 1916 में लखनऊ और सन् 1917 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार पर विशेष बल दिया। संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव पड़ा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी प्रसार के कार्यक्रमों को संघर्ष करने के बाद महत्व प्राप्त होने लगा। महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि जब तक दक्षिण के तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा भाषी भी हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक संपूर्ण भारत की एकता और सांस्कृतिक समानता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने 1917 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करते हुए दक्षिण भारत में विशेष रूप से हिंदी प्रचार का भार और नेतृत्व स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। लोकमान्य तिलक जी ने भी स्वयं हिंदी सीख कर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का और अहिंदी प्रांतों में प्रचार करने के काम को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिया। इस समय श्रीनिवास शास्त्री, कविंद्र रवींद्रनाथ ठाकुर, काका कालेलकर जी ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार को अधिक बढ़ावा दिया।

मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट, डॉ०सी.पी. रामस्वामी अय्यर, श्रीनिवास शास्त्री आदि नेताओं की मदद से दक्षिण में हिंदी प्रचार आंदोलन का श्री गणेश किया गया। परिणाम स्वरुप दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए "हिंदी प्रचार सभा" की स्थापना हुई। उसी का विकसित रूप आज 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' यह लोकप्रिय तथा सुप्रसिद्ध संस्था के रूप में है।

तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार : 'एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी' यह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई का मूल मंत्र है। हिंदी में मौलिक लेखन तमिलनाडु में स्वामी सत्यदेव के कल से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के कार्य में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्यकर्ता ऋषिकेश शर्मा, श्री ब्रजनंदन शर्मा, अवधनंदन शर्मा, श्री रामराव, एस महालिंगम, एन वें वेंकटेश्वरम, पी.आर. भास्करननायर, पी नारायण, श्री रघुवर दयाल मिश्र, एस धरमराजन, श्री कंठमूर्ति, ए राजगोपालन, एस. आर. सुंदरेस शर्मा आदि प्रमुख श्री पूर्णम सोमसुंदरम ने हिंदी में तमिल साहित्य का इतिहास लिखकर बहुत योगदान दिया है। आज तमिलनाडु में हिंदी के कई मौलिक लेख, निबंध, कविता, व्यंग रचना, लिखी जाती है। अनुवाद साहित्य के द्वारा हिंदी और तमिल के बीच तमिलनाडु के हिंदी लेखकों ने महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी की श्री वृद्धि में साहित्य अनुशीलन समिति संस्थान ने 1972 से बड़ा ही योगदान दिया है। इसी दिशा में हिंदी साहित्य अकादमी, भाषा संगम, हिंदी

हृदय, सत्यशीलता, ज्ञानालय, अनुभूति आदि संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्यकार, संस्था, अनुवाद इसके अलावा हिंदी प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। जिसमें उल्लेखनीय है हिंदी प्रचार समाचार, सुर सौरभ, दक्षिण दर्शन, चौथ चक्र, सुधार भारती आदि। चेन्नई तथा अन्य शहरों में अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं का अधिक बोलबाला है। परंतु कुछ साल पहले ही मद्रास में राजस्थान पत्रिका ने हिंदी प्रचार हेतु 'राजस्थान पत्रिका 'की मद्रास में एक नई शाखा खोल दी। यह हिंदी के प्रचार में एक मील का पत्थर है। हिंदी प्रचार में हिंदी प्रचार सभा का बहुमोल योगदान रहा है जिसमें हिंदीतर भाषी हिंदीतर साहित्य के विविध पक्षों पर लेख लिखकर हिंदी के प्रचार में सहयोग दे रहे हैं। सुधार भारती और चौथ चक्र आदि हिंदी की मासिक पत्रिकाओं ने समसामायिक हिंदी साहित्य की गतिविधियां उजागर होती है। हिंदी हृदय में अधिकतर कविताएं प्रकाशित होती है।

तमिल बहुत पुरानी भाषा है 2000 साल पहले से तमिल में उत्कृष्ट साहित्य मिलता है इसमें महत्वपूर्ण है पत्तुप्पाट्टू (10 लंबी कविताओं का संग्रह), एट्टुत्तोकै (आठ कविताओं का संग्रह) इन दोनों प्रसिद्ध काव्य संग्रह का तमिल विकास निदेशालय जो सरकारी संस्था है उनके माध्यम से हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है। साथी तमिलनाडु सरकार ने बहुत सारे प्राचीन ग्रंथो का तमिल से हिंदी में अनुवाद करके बड़ा योगदान दिया है।

कुछ साहित्य की रचना में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके द्वारा निर्मित हिंदी-हिंदी, तमिल-हिंदी, तमिल -अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-तेलुगू-हिंदी, कन्नड़-हिंदी, मलयालम-हिंदी आदि द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार में तेजी आई। जिसमें डॉ. सौम्या नारायण, डॉ. विष्णु प्रिया, डॉ.कामाक्षी सुब्रमण्यम, डॉ. विजया, डॉ. रवि कुमार, डॉ. बाल सुब्रमण्यम आदि का बहुमोल योगदान रहा। साथी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने हिंदी नाटकों एवं एकांकी का समय-समय पर मंचन करते हुए उसे हिंदी के प्रचार का एक सशक्त माध्यम बनाया जिसमें महत्वपूर्ण नाटककार रहे डॉ. सूर्य नारायण मूर्ति, डॉ. विष्णु प्रिया, डा. विजया आदि स्वतंत्रता सेनानी श्री.एस राजू शर्मा जी ने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में 'स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु का योगदान' यह हिंदी में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखकर तमिलनाडु के स्वतंत्रता संग्राम को लोगों तक पहुंचा।

अनुवाद साहित्य में श्री ह.कि बालम जी ने 'पांचाली की प्रतिमा' का हिंदी रूपांतरण और 'कामायनी' का तमिल पद्यानुवाद प्रस्तुत कर साहित्य सेतु का काम किया। सफल समीक्षक महेंद्र कुमार जैन जी ने हिंदी तर भाषियों के लिए सरल शैली में 'कबीर दोहावली' की टीका प्रस्तुत की। तमिलनाडु के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. रमेश चौधरी, अरिगपूडी, बालशौरी रेड्डी, डॉ. वसंन्ता, इब्राहिम शरीफ, डॉ.चावली सूर्य नारायण मूर्ति, डाक्टर इंदर राज वैद, डॉ.शेषन, आदि मूलतः तमिल साहित्यकार होने के बावजूद हिंदी में मौलिक साहित्य लेखन के साथ तमिल के बहुचर्चित मौलिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया।

मोटूरी सत्यनारायण जी मूलतः आंध्र के होने पर भी दक्षिण भारत के प्रयोजनमूलक भाषा के आंदोलन में सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। इस प्रकार चेन्नई के साहूकार पेट में स्वयं

महात्मा गांधी जी ने 1917 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करते हुए दक्षिण भारत में विशेष रूप से हिंदी प्रचार का भार और नेतृत्व स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। लोकमान्य तिलक जी ने भी स्वयं हिंदी सीख कर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का और अहिंदी प्रांतों में प्रचार करने के काम को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिया। इस समय श्रीनिवास शास्त्री, कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर, काका कालेलकर जी ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार को अधिक बढ़ावा दिया।

स्फूर्ति से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस साल भर मनाया जाता है।

हिंदी के प्रचार प्रसार में तमिलनाडु का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि समसामयिक हिंदी प्रचार में हिंदीतर भाषियों ने अपना योगदान अनुवाद, रूपांतरण, मौलिक साहित्य लेखन के माध्यम से आज भी दे रहे हैं दक्षिण में हिंदी प्रचार आंदोलन में कई उतार चढ़ाव, कई समस्याएं, कई चुनौतियां सामने आई। साथी कुछ संकुचित राजनेताओं के कारण हिंदी विरोधी आंदोलन भी चले आज भी हो रहे परंतु अब दक्षिण भारत के आम जनता ने खासकर जागरूक हिंदी का व्यवसायिक महत्व जान लिया आज हिंदी मजबूरी नहीं, जरूरत है। यह पहचान है। हिंदी भाषा के ज्ञान से रोजगार में उपलब्धि की संभावनाएं सबको दृष्टिगोचर हो रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा, टीवी चौनल, मोबाइल जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अकबरों की भी है। साहित्य के प्रति रुझान भले ही सीमित हो टीवी पर प्रत्यक्ष देखने सुनने के साथ छपे हुए अखबारों के समाचारों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के कारण साथ ही, पर्यटन व्यवसाय के कारण शिक्षित, अल्प शिक्षित व्यक्ति हिंदी के संपर्क में अधिक आ रहा है जिस कारण प्रगतीवादी का हिंदी प्रेम सहज स्वाभाविक है।

दक्षिण भारत के लोग साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजनमूलक हिंदी सीखना अधिक पसंद करते हैं। किंतु प्रशासनिक स्तर पर हिंदी की स्थिति और सुदृढ करने के लिए ठोस इच्छा शक्ति के साथ आत्मीय संवाद स्थापित करने की परम आवश्यकता है। अगर प्रयोजनमूलक हिंदी पर हम अधिक ध्यान देंगे तो हिंदी प्रचार बहुत आगे बढ़ सकता है। उस प्रचार प्रसार के साथ-साथ साहित्य सेवा में आदान-प्रदान का कार्य भी हो सकता है। आज हिंदी केवल हिंदी प्रदेश तक सीमित नहीं रही परंतु विशाल देश की संपत्ति बन गई है। इस दृष्टि से हिंदी तर भाषा लेखन का कार्य सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी की अनिवार्यता स्पष्ट है।

संदर्भ सूची :

1—समसामायिक हिंदी साहित्य विविध आयामखंड दो-पृष्ठ क्रमांक 5-दो गदाधर नारायण सिन्हा

2—तमिलनाडु में हिंदी साहित्य-पृष्ठ क्रमांक 509-के सुलोचना

3—हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में तमिलनाडु के मौलिक रचनाकारों का योगदान-पृष्ठ क्रमांक 515-डॉक्टर एन सुंदरम

4—समसामायिक हिंदी साहित्य विविध आयाम खंड 2-पृष्ठ क्रमांक 494-प्रहलाद श्रीमाली

जीतना बाकी अभी

गीत के हर बन्ध में तुम हार मत लिखना कभी,
जीतना बाकी है सूरज की अभी ऊंचाइयां।

प्रेम लिखना तो गुलाबों सा चटख ही हो सुनों,
और उसमें हर कली खिलने को बस बेताब हो।
तुम विरह की वेदना भी इस कदर लिखना सुनो,
नैन बरसे बस पिघल कर दूर से ही आग हो।

शीर्ष पर चढ़ने खातिर अनगिनत राहें लिखो,
और लिख देना हृदय की सिंधु सी गहराइयां।

तुम सफलता के सुनहरे पल ठहर कर बांध लेना,
फिर तनिक सी रोशनी से भी मधुर संवाद हो।
और लिख देना उतर कर खेत की भीगी फसल,
जिसमें माटी से मिला गाता हुआ अनुराग हो।

धैर्य लिखना और सुबकती पीर भी लिखना कहीं,
कर रही हो जो कहीं टूटी हुई तुरपाइयां।

- पुष्पा श्रीवास्तव शैली
बी 613, इंदिरा नगर,आवास विकास कालोनी।
रायबरेली 229001, उत्तर प्रदेश

हिन्दी का अन्य भारतीय भाषाओं से साम्य और वैषम्य

– नेहा उदासी
शोधार्थी– हिन्दी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
शोध निर्देशक– डॉ० वंदना अग्निहोत्री
मोबाइल– 9713842702
ईमेल–nehaaarushi95@gmail.com
पता– 332, श्रीराम प्रेम धाम मंदिर, वसणशाह कॉलोनी, बी.के. सिंधी कालोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001

सांसारिक जीवन में सुगमता से निर्वाह के लिए जिन तत्वों की अनिवार्यता होती है, 'भाषा' उनमें अपना विशिष्ट स्थान रखती है। भाषा सरस्वती के द्वादश नामों में से एक है। "भाषा के बारे में कुछ भी कहना अपनी छाया को पकड़ना है। यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि हम उसकी छाया हैं, अपना यथार्थ उसमें गढ़ते है, अपने को उसमें परिभाषित करते हैं।"[1] हमारी अस्मिता का गढ़ाव भाषा से ही होता है। भाषा अन्तस्चेतना के विचाराभिव्यक्ति एवं भाव विनिमय का साधन है। यही अपने भीतर समूची संस्कृति को सहेजकर रखने का कार्य करती है। यह भाषा ही है जो मनुष्य को मनुष्येतर योनि से भिन्न बना कर उसके अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करती है। "कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा ही जाति के धार्मिक और जातीय विचारों की रक्षिणी है, वही उसके गौरव का स्मरण कराती हुई, हीन से हीन दशा में भी उसमे आत्माभिमान का स्रोत बहाती है। किसी जाति को और सख्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।"[2]

भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता आंदोलन में भाषा ने जनमानस के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने तथा देशवासियों को एकता के धागे में पिरोने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें माध्यम का कार्य समाचार पत्र व पत्रिकाओं ने किया। एक स्थान के समाचार व भाव को अनूदित रूप में या स्थानीय भाषा में सार प्रस्तुत कर समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने देशवासियों के हृदय के तार को जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में यदि पूरे देश का आक्रोशित होना और केरल के मालाबार की घटना से पूरा देश का द्रवित होना यह बताता है कि भारत देश संवेदनात्मक रूप से एक था जिसमें भाषाओं के आपसी साम्य की महती भूमिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने वक्तव्य में जब निजभाषा की बात करते हुए कहते है – "निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल।।" – तो यहाँ निजभाषा से उनका तात्पर्य केवल नवप्रतिष्ठित खड़ी बोली हिन्दी से नहीं था, उनकी दृष्टि में निजभाषा का प्रसार वृहद् रहा, हिन्दी सहित अन्य समस्त भारतीय भाषाएँ मातृभाषा का रूप धारण कर निजभाषा की उस परिधि में समाविष्ट थी।

यहां निजभाषा के गौरव को अनुभव करवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय अंग्रेजों की तथाकथित आधुनिकता तथा षड्यंत्रकारी नीतियों से प्रभावित हमारा चिंतन 'जड़' हो चुका था, जो अपनी संस्कृति एवं मूल अस्तित्व के साथ-साथ मातृभाषा के प्रति भी हीनताबोध अनुभव करता हुआ उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। इस सुधार में परिष्कार का प्रयास नहीं वरन् बहिष्कार की तत्परता थी, जो स्वतंत्र भारत में दो रूप से देखने को मिली। पहला, अपनी मातृभाषा को भारत की अन्य भाषा से अलग करना। दूसरा, मातृभाषा का सैद्धांतिक गुणगान करते हुए व्यवहार में अंग्रेजी का अपनाना। इससे अंग्रेजी, जो स्वयं देशज भाषा के रूप में अपने मातृदेश में संघर्ष कर रही थी, वह भारत में भारतीय भाषाओं के विरुद्ध प्रभुत्व की वही ठसक लिए है, जो लैटिन भाषा लिए हुए थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषा के बीच अंग्रेजों ने

जो दरार बनायी वो खाई की ओर बढ़ती जा रही है। भारतीय भाषाओं के बीच की दूरी के पाटने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बीच जो साम्यता के गुणधर्म हैं, उनका प्रकटीकरण किया जाए। हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंतर्गुम्फन, व्याकरण, रूप शास्त्र, सृजन, शब्दसंपदा में साम्यता-वैषम्य भाषायी समरूपीकरण तथा विविधीकरण के प्रारूप का क्या मानक उपस्थित हुआ, वह आगे प्रस्तुत है।

भारतीय भाषाओं और हिन्दी भाषा का कई आधार पर साम्य और वैषम्य है यही वैषम्य विलक्षणता का पुट लिए भाषाओं का वैविध्य उत्पन्न करता है। भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत है तो यह कहना अनुचित ना होगा कि समस्त भारतीय भाषाएँ कालांतर से हिन्दी की सहोदरा हैं इसी कारण से आर्य परिवार की हिन्दी और द्रविड़ की तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि में कई संदर्भों में एकरूपता है। 1960–70 के दशक में भाषा के लिए कई सर्वेक्षण किए गए जिसके अनुसार भारत में करीब 1652 भाषाएँ हैं। इनमें से कई भाषाओं का हिन्दी से साम्य है।

देखा जाये तो सभी भाषाएँ हर प्रकार से समृद्ध है सृजनाधार भी है किंतु हिन्दी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह एक बड़े भूभाग को अपने आँचल में रक्षण देती है, तेलुगु इस क्रम में दूसरे स्थान पर है। हिन्दी और तेलुगु में कई समानताएँ है जैसे भाषा की वैज्ञानिकता की दृष्टि से हिन्दी में अक्षर के उच्चारण का लोप नहीं होता अर्थात् यह जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। तेलुगु भी ठीक इसी प्रकार से अक्षरलोप किए बिना पढ़ी जाती है। भारत की इन दोनों आधुनिक लिपियों का विकास भी एक ब्राह्मी लिपि से हुआ है, दोनों की वर्णमालाएँ विकसित है दोनों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का आधिक्य है। हिन्दी के लिए देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन है जबकि तेलुगु में 18 स्वर और 35 व्यंजन है। दोनों ही वर्णमालाओं में उच्चारण के लिए उपर्युक्त वर्ण है तथा स्पष्ट उच्चारण इन भाषाओं की एक विशिष्टता है। तेलुगु साहित्य एक स्वरांत भाषा है इसी कारण से यह श्रवणप्रिय प्रतीत होती है।

संस्कृत का अन्य भारतीय भाषाओं से अमिट संबंध है और हिन्दी संस्कृत की आत्मजा है इसी संबंध से हिन्दी और प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा तमिल में भी अंतर्संबंध है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यदि अध्ययन किया जाये तो यह दोनों भाषाएँ अलग अलग भाषा परिवारों से आती हैं। किंतु अपनी दृष्टि के प्रसार को यदि विस्तृत करके देखा जाए तो इनकी राजनीतिक, साहित्यिक, भाषा मूल की परिस्थितियां एक जैसी ही प्रतीत होंगी। सर्वविदित है कि भक्ति आंदोलन की मूल धारा दक्षिणभारत से प्रस्फुटित हो उत्तर भारत की ओर अग्रसर होती हुई यह भगीरथी अपने प्रखर वेग, फैलाव को प्राप्त हुई। सामाजिक एवं राजनीतिक षड़यंत्रों के गर्त में डूबे हुए सर्व विधि परास्त जनमानस को प्रबुद्धजनों, विचारकों की वाणियों ने

दक्षिण के आलवार, नयनार हो या उत्तर के अनेक परम्परा के सशक्त संत भाषाई विविधता रहते हुए भी भावों, कार्यों, सिद्धांतों के नाम पर सभी का एक्य था। इनके द्वारा रचित काव्य न केवल जन-जन का मार्गदर्शक बना बल्कि साहित्य को समृद्ध करने में, संस्कृति को सुरक्षित करने में भी इसकी महती भूमिका रही। भाषायी वैविध्य होने के बावजूद इनके भावों, कार्यों और काव्यों में समरूपता रही। यही कारण है कि दक्षिण के महान संत 'तिरुवल्लुवर' के कार्यों, प्रसिद्धि, सिद्धांत और मान्यता के कारण उनकी तुलना संत कबीरदास से की जाती है। बारह आलवारों में से एक आलवार "अण्डाल" को दक्षिण भारत की 'मीरा' कहा जाता है।

जागरूक करके इन परिस्थितियों से उभरने के लिए एक आधार प्रदान किया। इन्हीं की वाणियां परास्त मनोवृत्ति के मानव की पथ प्रदर्शक बनी। दक्षिण के आलवार, नयनार हो या उत्तर के अनेक परम्परा के सशक्त संत भाषाई विविधता रहते हुए भी भावों, कार्यों, सिद्धांतों के नाम पर सभी का एक्य था। इनके द्वारा रचित काव्य न केवल जन-जन का मार्गदर्शक बना बल्कि साहित्य को समृद्ध करने में, संस्कृति को सुरक्षित करने में भी इसकी महती भूमिका रही। भाषायी वैविध्य होने के बावजूद इनके भावों, कार्यों और काव्यों में समरूपता रही। यही कारण है कि दक्षिण के महान संत 'तिरुवल्लुवर' के कार्यों, प्रसिद्धि, सिद्धांत और मान्यता के कारण उनकी तुलना संत कबीरदास से की जाती है। बारह आलवारों में से एक आलवार "अण्डाल" को दक्षिण भारत की 'मीरा' कहा जाता है। यह विशिष्टता हिन्दी और तमिल को अन्य भाषाओं के परस्पर संबंध से विलक्षण बनाता है तथा दोनों के आपसी सांस्कृतिक संबंध भी अधिक प्रगाढ़ करता है।

व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाये तो संस्कृत व हिन्दी शब्दों के आधार पर तमिल में शब्द निर्माण बड़ी संख्या में हुआ। संस्कृत मिश्रित तमिल को मणिप्रवाल की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत भाषा में तीन लिंग है जबकि हिंदी में दो लिंगों का प्रयोग होता है (स्त्रीलिंग और पुल्लिंग)। तमिल में प्राणीवाचक शब्दों के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग तथा अप्राणीवाचक शब्दों के परिपेक्ष्य में नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। वचन के संदर्भ में भी हिंदी और तमिल की स्थिति एकसमान है।

'तोलकाप्पियम' ग्रंथ के प्रणेता 'तोलकाप्पियनार' को कई विद्वान 'तमिल भाषा के व्याकरण सिद्धांतों का जनक' मानते हैं। " 'तोलकाप्पियम' केवल व्याकरणिक ग्रंथ नहीं यह प्राचीनतम साहित्य कुसुम भी है जो तमिल भाषा, साहित्य, तमिल भाषियों के सामाजिक जीवन के विविध आयाम को प्रतिबिंबित करता है। यह युगीन इतिहास का बृहत् दस्तावेज भी है।"[3] इसी व्याकरणिक ग्रंथ के आधार पर हिंदी और तमिल के व्याकरण तत्वों की तुलना स्पष्टतया की जा सकती है।

इसी प्रकार से हिन्दी की अन्यान्य भारतीय भाषाओं से सांस्कृतिक, राजनीतिक आधारों पर कई रिश्तेदारियाँ है। भाषा सदैव मानव निर्धारित सीमाओं के पार जाकर अपने संबंध बनाती है। जैसे तमिल भाषी लोग जो श्रीलंका है या पंजाबी और बांग्ला भाषी लोग जो क्रमशः पाकिस्तान और बांग्लादेश में है वह भारतीयों से अपने को करीब पाते है। भाषा भौगोलिक रेखाओं का अतिक्रमण करती हुई पुष्प की सुगंध की तरह फैलती है तथा सूदूर बसी भाषा के घर आंगन को महकाती है। भाषा सदा से संस्कृति की सहवर्तिनी रही है तथा जैसे कवि गण/लेखक गण परकाया में प्रवेश कर चराचर के भावों को अपने भीतर आत्मसात करके अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार भाषा भी परसंस्कृति में प्रवेश करती हुई उस संस्कृति की शब्दसंपदा, ध्वनियां, गुण सहित दोषों को अपने भीतर समाविष्ट करती हुई नवीन सृजन करती है।

भारतवर्ष में शक, यवन, हूण, कुषाण, मुस्लिम सहित अनेक आक्रमण हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पदाक्रांत कर उसे समूल नष्ट करने का प्रयास किया किंतु भारतीय संस्कृति अपनी जिजीविषा के कारण सदा ही रूढ़ि का केंचुल उतार अपनी परम्परा को आधुनिकता के अनुरूप संवारती रही है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के प्रसार के क्रम में भारतीय संस्कृति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल तो नहीं हुए किंतु भारतीय संस्कृति को विकृत और विरूपित जरूर किया। निर्मल वर्मा के अनुसार "भारत में अंग्रेजी राज्य का सबसे अधिक दुखदायी प्रभाव यह नहीं था कि हम राजनीतिक रूप से गुलाम हुए, बल्कि यह कि इतिहास भी हमारी चेतना की पहली बार अतीत वर्तमान और भविष्य जैसे कठघरे में विभाजित कर दिया।"[4] भारत को विखंडित और विभाजित करने के लिए जिस तरह यूरोपियनों ने आर्यों के आगमन का झूठा सिद्धांत गढकर भारतीयों को आर्य और द्रविड़ नस्ल के रूप अलग करने का प्रयास किया जबकि यह

शेष पृष्ठ 93.....पर

पश्चिम बंगाल में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी

-सोमेश सिंह तोमर
शोधार्थी: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
शोध निर्देशक- डॉ० कुलदीप सिंह फरे
मोबाइल नं- 9584308950
ईमेल-devinesomesh01@gmail.com
पता : 18 अंबिकापुरी, बी.एस.एफ. सेंटर के सामने, एयरपोर्ट रोड़, इन्दौर, मध्य प्रदेश

किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता तथा प्रगति की संवाहक उस राष्ट्र की भाषा होती है। भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में भाषा की एक समृद्ध एवं विशाल श्रृंखला दिखाई पड़ती है। भारत की अधिकांश वर्तमान भाषाओं की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत भाषा की प्राचीनता विश्व की कई सभ्यताओं से भी पुरातन है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी वरन् भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई।"[1] संस्कृत से हिन्दी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, उड़िया आदि भारतीय भाषाओं ने अपना परिपक्व व व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त किया इसलिए जब एकरूपता की बात आती है तब ये सभी भाषाएं ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे के बहुत निकट बैठती है, ऐसी ही स्थिति वर्तमान में हिन्दी और बांग्ला भाषा के बीच बनती दिखाई देती है।

जब हिन्दी, हिन्दी भाषी व बांग्ला भाषी क्षेत्रों के लोगों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनती है तब ऐसे में बांग्ला क्षेत्र में हिन्दी या अन्य राज्यों के मध्य संवाद में हिन्दी के प्रति रुझान से कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता क्योंकि समन्वय हिन्दी का विशेष गुण है। "हिन्दी अन्य भाषाओं से दो अर्थों मे भिन्न है- क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ मेंद्य अन्य भाषाएं एकक्षेत्रीय है, जबकि हिन्दी बहुक्षेत्रीय है"[2] अतः हिन्दी का यह बहुक्षेत्रीय गुण ही इसे अन्य क्षेत्रों या अहिंदी राज्यों में संपर्क की भाषा के रूप में स्थापित करता है। दिनकर जी ने कहा है कि "बंगाल में भाषा को लेकर कोई सांप्रदायिक द्वंद्व नहीं है"[3] अर्थात बंगाल की ऐतिहासिक व राजनीतिक स्थिति इस विषय में बहुत कम विवाद उत्पन्न करती है क्योंकि ऐतिहासिक परिदृश्यों में देखा जाए तो हिन्दी साहित्य व भाषा के लिए बंगाल स्वर्णभूमि सिद्ध हुआ है। हिन्दी भाषा के आरंभकाल से लेकर वर्तमानकाल तक साहित्य की कई संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं, विद्वानों एवं रचनाओं की जन्मस्थली बंगाल ही रही है।

आदिकालीन हिन्दी साहित्य के समय से ही हिन्दी रचनाकर्मों का क्रम चल पड़ा था। सिद्ध साहित्य के चर्यापद की सृजनभूमि बंगाल ही रही, गीतगोविंद के रचनाकार जयदेव भी बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के राज्याश्रित थे ऐसे में हिन्दी-बांग्ला के संबंधों की प्राचीनता का अनुमान किया का सकता है। आगे चलकर बंगाल क्षेत्र में चौतन्य महाप्रभु जैसे महान संत हुए जिन्होंने भक्तिकालीन हिन्दी काव्य को अपना सर्वस्व दिया, कृष्णभक्त कवि कृष्णदास भी बंगाल के धरातल से संबंध रखते थे। आधुनिक काल तक आते-आते बंगाल में हिन्दी की पकड़ एक मजबूत रूप ग्रहण कर चुकी थी, जिसके कारण भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेताओं यथा राजा राममोहन राव, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने देश में सामाजिक सुधारों को प्रसारित करने में हिन्दी को माध्यम बनाया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की भी कई कृतियों का अनुवाद भवानी प्रसाद मिश्र, हंसकुमार तिवारी ने हिन्दी भाषा में किया। गोविंददास कविराज ने भी 'ब्रजबुली' में गीत रचना कर बांग्ला क्षेत्र में इसे प्रसिद्धि प्रदान की। बांग्ला पर 'ब्रजबुली' का भी प्रभाव माना जाता है जिससे हिन्दी व बांग्ला के मध्य भाषिक श्रृंखला स्थापित होती है व कई समान भाषिक विशेषतायें भी देखने को मिलती है। बांग्ला का सीधा प्रभाव महाकवि निराला

की सृजनात्मकता पर भी दिखाई देता है, जहां पश्चिम बंगाल में शक्ति की आराधना अधिक होती है, तब निराला की कालजयी रचना 'राम की शक्ति पूजा' भी शक्ति व बांग्ला रामायण से प्रभाव ग्रहण करती है जहां राम की अपेक्षा शक्ति का अधिक महत्व है।

"होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन!"
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। [4]

निराला के विषय में कहा गया है कि "बांग्ला का बहुत कुछ प्रभाव निराला की साहित्य सर्जना पर रहा और उस प्रभाव में निराला उत्तरोत्तर कुछ जोड़ते जाते है, घटाते नहीं, यह हिन्दी की अपनी शक्ति व निराला की अपनी तेजस्विता है।" [5]

"हिन्दी साहित्य के कई विद्वान जैसे राहुल सांकृत्यायन, निराला, लल्लू लाल जी, मृदुला गर्ग, शिवपूजन सहाय, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि की कर्मस्थली बंगाल ही रही" [6] स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भी बंगाल में हिन्दी कई समर्थकों ने कार्य किया मुंशी तारिणी चरण मित्र, केशवचन्द्र सेन, जस्टिस शारदाचरण मित्र, अमृतलाल चक्रवर्ती, नलिनी मोहन सान्याल आदि नाम इसी क्रम में आगे जुड़ते गए। वर्तमान समय में भी प्रियंकर पालीवाल, श्यामल भट्टाचार्य व प्रेमशंकर त्रिपाठी जैसे साहित्यकार बांग्ला व हिन्दी के समन्वय कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं।

हाल ही में लागू हुई नई शिक्षा नीति के चलते राज्य सरकारें भी हिन्दी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी बांग्ला के बाद हिन्दी को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाना इस तथ्य को और पुष्ट कर देता है। हिन्दी भाषा की पत्र-पत्रिकाओं के उदय का स्थान भी बंगाल ही रहा। जुगलकिशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ते से 'उदन्त मार्तण्ड' नामक हिन्दी का प्रथम साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया, हिन्दी का पहला दैनिक पत्र 'समाचार सुधावर्षण' भी कलकत्ता से श्यामसुंदर सेन द्वारा निकाला गया, जो स्वयं एक बंगाली थे। इस प्रकार हिन्दी के प्रति बंग भाषियों का रुझान वर्तमान समय की नवीन वस्तु न होकर पहले से चली आ रही परंपरा का हिस्सा प्रतीत होती है। हिन्दी के विकास व प्रचार प्रसार में जितना योगदान बंगभाषा क्षेत्र का है उतना शायद ही किसी अन्य क्षेत्र का हो। जैसा कि सर्वविदित है बांग्ला से हिन्दी में अनुवाद अधिक हुए है तथा हिन्दी से बांग्ला में अनुवाद उत्तरोत्तर बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि बंगाल में हिन्दी को ओर तेजी से संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। वर्तमान में हिन्दी के विकास में कई संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं जैसे 'पश्चिम बंगाल हिन्दी अकादमी' द्वारा हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु कई प्रकार के आयोजनों, पुरस्कारों व सार्थक प्रयासों को अमल में लाया जा रहा है। कोलकाता विश्वविद्यालय सहित राज्य के दस प्रमुख विश्वविद्यालयों में पृथक हिन्दी विभाग की स्थापना कर हिन्दी में एम.ए., एम.फिल, पी. एच. डी., जैसे शोधकार्यों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है।

इस तरह व्यक्तिगत, संस्थागत एवं सरकारी प्रयासों के द्वारा हिन्दी को बंगाल ही नहीं सम्पूर्ण भारत की संपर्क भाषा बनाने के सतत् प्रयास जारी है। हमें हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए निजी तौर पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत के विकास एवं प्रगति के लिए किसी बाहरी या विदेशी भाषा पर निर्भर होना हमें अपनी संस्कृति एवं निजभाषा से दूर करता है, इसी विषय में भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि-

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहू, भाषा माही प्रचार।।" [7]

अर्थात निजभाषा या देश की भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल है। इसलिए भारत में सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिए हिन्दी के विकास के प्रयास होना आवश्यक हो जाता है। हिन्दी भाषा के विकास की यह अनिवार्यता को भारतीय राज्यों व राज्य की जनता के लिए सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में देखा

जाना चाहिए, न कि भाषायी आधिपत्य के रूप में। किसी अन्य भाषा को दबा कर या नीचा दिखाकर स्वयं का विकास नहीं किया जा सकता, यह कथन समस्त भारतीय भाषाओं के लिए लागू होता है।

और अंत में हिन्दी की महिमा का गान करते हुए हिन्दी भारत की भाषा के रूप में माँ भारती का प्रतीक होकर निराला के शब्दों में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत होती है कि :

"भारती, जय, विजयकरे!
कनक -शस्य- कमलधरे!"[8]

संदर्भ ग्रंथ-

1-रामधारी सिंह 'दिनकर', संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, पृष्ठ-xiii

2—बच्चन सिंह, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, इंडिगो बुक्स, प्रयागराज, संस्करण 2018, पृष्ठ-15

3-रामधारी सिंह 'दिनकर', संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, पृष्ठ-324

4—सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', राग विराग, संपादक-रामविलस शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण 2020, पृष्ठ-104

5-https://www.youtube.com/live/l3SOfHzg1yg\si¾8FeeluYztRMK9Jlj

6-https://www.hindwi.org/location/india/west-bengal

7-https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C_ %E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7 %E0%A4%BE_%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A5%88

8—सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', राग विराग, संपादक-रामविलस शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण 2020,पृष्ठ—76

बच्चों से सम्मानों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं

साहित्य जगत् में लोकप्रिय, विश्वसनीय एवं अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित **विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज** 2003 से लगातार साहित्यिकारों/पत्रकारों/समाजसेवियों/कलाकारों को सम्मानित करता आ रहा है. इस वर्ष बच्चों के लिए निम्नांकित सम्मान प्रस्तावित है-

श्री गोरखनाथ दुबे स्मृति सम्मान (किसी भी कला-वादन /गायन/नृत्य आदि), श्रीमती दुलारी देवी स्मृति बचपना सम्मान (किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए), श्रीमती चन्द्रावती देवी स्मृति सम्मान (हिन्दी की किसी विधा में लेखन के लिए), श्रीमती राजरानी देवी स्मृति बचपना सम्मान (बहुमुखी प्रतिभा के लिए)

आयु सीमा : 20 वर्ष (31.12.2024 तक)

युवाओं से सम्मानों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं

काका कलाम सम्मान, कल्पना चावला सम्मान (विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखीय योगदान के लिए), निर्भया सम्मान-(महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गये कार्य के लिए), पत्रकारश्री (पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान), (प्रमाणिक विवरण भेजना अनिवार्य है)

आयु सीमा : 20 से 40 वर्ष (31.12.2024 तक)

अंतिम तिथिः 15 दिसम्बर 2024

संपर्क कार्यालयः

सचिव, विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
निकट किडन गार्डेन स्कूल, रामचन्द्र मिशन रोड, मुंडेरा,
प्रयागराज—211011, उत्तर प्रदेश
ईमेलः hindiseva15@gmail.com, www.vhsss.in

उत्तर पूर्वी राज्यों में हिंदी भाषा एवं साहित्य की स्थिति

भारत के मानचित्र में आठ राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम) को संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। ये राज्य अपनी वृहद सांस्कृतिक विरासत व भौगोलिक पहचान रखते हैं। इन राज्यों को गैर हिंदी श्रेणी में रखना, वर्तमान में पूर्ण रूप से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि हिंदी भाषा व साहित्य की जड़े कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों में दिखाई देती हैं।

-शिवानी मोहन ब्रजवासी
(शोधार्थी), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, पता-159, मोहन ब्रजवासी, गवली मोहल्ला, अमझेरा, जिला-धार, म. प्र, 454441 मो.:7441103297, ईमेलः shivanibrijwasi421@gmail.com

मानव विकास के क्रम में संवेदनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भाषा का विकास एक बड़ी उपलब्धि है। भारत एक सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों व भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विविधता पायी जाती है। मोटे तौर पर देखा जाये तो भारत के उत्तरी भाग में बसने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा तबका हिंदी बोलता है। हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि सम्मिलित है।

इन हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम तथा दक्षिण के कुछ राज्यों को गैर हिंदी, अहिन्दी, या हिंदी इतर राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन राज्यों का यह भाषिक विभाजन आरम्भ से ही अस्तित्व में नहीं था, न ही यह राज्य इस प्रकार 'एक भाषा एक राज्य' की अवधारणा पर बंटे हुए थे। स्वतंत्रता के पूर्व यह राज्य इस प्रकार विभाजित न होकर सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं से बंटे हुए थे, किन्तु स्वतंत्रता के दौर में संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए किसी एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो संपूर्ण भारत में सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो।

उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए किसी एक भाषा का होना आवश्यक था। "पारस्परिक संपर्क तथा भावों और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का होना जरूरी था, यह भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती थी।"[1] इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भारत की एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर कर सामने आई और यहीं से संपूर्ण भारत में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का क्रम आरम्भ हुआ।

भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अर्थात पूर्वोत्तर भारत, जो अपनी भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विरासत एवं मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के लिए भारत में अपनी विशेष पहचान रखता है, वह भी इससे अछूता नहीं रहा। अपनी समृद्ध मातृभाषाओं को सहेजे इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अंकुर तब पड़ा, जब वर्ष 1926 में पहली बार हिंदी विषय के रूप में असम राज्य में प्रारंभ की गयी। स्वतंत्रता आंदोलन के इस दौर में उत्तर पूर्व के लोगों ने भी हिंदी बोलने व सीखने के प्रति रुझान व्यक्त किया। वर्ष 1934 में जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलनों के चलते असम गए तब उन्होंने उत्तर पूर्व वासियों से हिंदी सीखने की

बात कही। अपने इस दौरे के बाद उन्होंने बाबा राघवदास को हिंदी प्रचारक नियुक्त किया व हिंदी के अध्ययन, अध्यापन को बढ़ावा दिया। इसी के साथ पूर्वोत्तर में हिंदी शिक्षण का क्रम चल पड़ा और लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन व हिंदी प्रचार दोनों में भाग लिया।

आगे चलकर अनेक असमिया युवक-युवतियां काशी विद्यापीठ हिंदी सीखने के लिए आये। इस प्रकार पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी भी एक ऐसी भाषा के रूप में स्थापित हुई, जो उनका अन्य हिंदी राज्यों से भाषिक सम्पर्क स्थापित कर सकती थी।

हिंदी भाषा के विषय में कहा गया कि "हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है कि भाषाओं के लम्बे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता।"[2] हिंदी की इस भाषिक विशेषता को इस अर्थ में समझा जा सकता है कि हिंदी अन्य भाषाओं के गुणों को स्वयं में समायोजित करने का गुण रखने वाली बहुरूपी भाषा है, जैसे दिमा हसाओ जिले की हाफलांग जनजाति की बोली, हिंदी के मिश्रित रूप के साथ 'हाफलंगी' का रूप धारण कर चुकी है। इस तरह अनेक पूर्वोत्तर भाषाओं के साथ घुल मिलकर हिंदी ने ऐसा स्वरूप प्राप्त किया कि वर्तमान समय में अधिकांश पूर्वोत्तरवासी शेष भारत से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी को प्राथमिकता देते हैं।

पूर्वोत्तर में हिंदी को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने वालों में नवीन चंद्र, खरगेश्वर मजूमदार, रजनीकांत चटर्जी व हेमकांत भट्टाचार्य का नाम विशेष स्थान रखता है, जिन्होंने पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार प्रचार व शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलकर इन्हीं के प्रयासों से "असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी" सन् 1938 में अस्तित्व में आई, जिसने पूर्वोत्तर में हिंदी की स्थिति सुधारने व उसे एक संपर्क भाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान भारत के मानचित्र में आठ राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम) को संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। ये आठों राज्य अपनी वृहद सांस्कृतिक विरासत व भौगोलिक पहचान रखते हैं। इन आठों पूर्वोत्तर राज्यों को गैर हिंदी श्रेणी में रखना, वर्तमान में पूर्ण रूप से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि हिंदी भाषा व साहित्य की जड़े कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों में दिखाई देती हैंद्य हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि माने जाने वाले सरहपा का जन्म असम क्षेत्र में ही माना जाता है। साथ ही हिंदी की सिद्ध शाखा के कई कवि जैसे लुइपा, दारिकपा, कारूपा, कुकुरिपा आदि का जन्म भी पूर्वोत्तर भारत में हुआ। अतः यह क्षेत्र मूल रूप से हिंदी से उतना अछूता भी नहीं है, जितना यह वर्तमान समय में मान लिया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में, "साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास है।"[3] और इस क्षेत्र के इतिहास के साथ हिंदी साहित्य के आरंभ का संयोजन काफी हद तक सटीक बैठता है।

हिंदी के लिए इस क्षेत्र में कई संस्थाएं कार्यरत हैं। 'मणिपुर हिंदी परिषद, इंफाल' में वर्ष 1953 में हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए स्थापित की गई। साथ ही 'मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' भी हिंदी के लिए स्थापित की गई। 'नागालैंड राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' भी नागालैंड में हिंदी के प्रचार के लिए कार्य कर रही है। "केंद्रीय हिंदी संस्थान, नागालैंड के हिंदी अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें प्रतिवर्ष नागालैंड से 20 से 30 हिंदी अध्यापक 'आगरा हिंदी संस्थान' आते हैं तथा प्रशिक्षण के बाद आगरा से यहां 'हिंदी के राजदूत' बनकर लौटते हैं।"[4] इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त केंद्र व पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा भी हिंदी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं। "आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई, साथ ही पूर्वोत्तर के नौ आदिवासी समुदायों ने अपनी बोलियों की लिपि को देवनागरी में बदल दिया है।"[5]

पूर्वोत्तर में हिंदी के वर्तमान प्रचारक में 'देवराज' का नाम भी

प्रसिद्ध है, जिन्होंने 'मणिपुर हिंदी परिषद, इंफाल' का आजीवन सदस्य बनकर हिंदी के विकास में योगदान दिया, साथ ही परिषद की त्रैमासिकी पत्रिका 'महिप' का कई वर्षों तक संपादन किया व मणिपुरी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रचारित करने का भी प्रयास किया। 'मिजोरम हिंदी प्रचार सभा', 'मणिपुर जनजाति हिंदी सेवा समिति', नागा हिंदी विद्यापीठ आदि हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मेघालय और त्रिपुरा में भी हिंदी सेवी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार संपूर्ण पूर्वोत्तर में वर्तमान में हिंदी के क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं।

जैसा कि हिंदी भाषा के विषय में कहा जाता है कि "हिंदी भारत के भौगोलिक देश की नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र की संपर्क भाषा मानी जाने की एकमात्र अधिकारिणी है।"[6] अर्थात हिंदी संपूर्ण भारत के लिए संपर्क भाषा के रूप में एक बेहतर छवि के रूप में सामने आई है। भारतवर्ष के अभिन्न अंग के रूप में पूर्वोत्तर भारत हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक अमूर्त रूप है। यह हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। "किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती।"[7] अतः संस्कृति के बिना भाषा के अस्तित्व की कल्पना भी व्यर्थ है।

वर्तमान समय में पूर्वोत्तर में हिंदी ने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है, फिर भी इसे एक समग्र संपर्क भाषा के रूप में स्थान दिलाने के लिए कई प्रयास किए जाने बाकी हैं। हिंदी को पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों से संपर्क का माध्यम बनाने में अभी भी कई बाधाएं शेष हैं, जिनका समाधान कर हिंदी को एक वैश्विक पहचान दिलाई जा सकेगी व हिंदी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ -

1—बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022 पृ. 40

2—रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022, पृ. 17

3—बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2022 पृ. 16

4—आर. के. सिन्हा, बात बोलेगी हम नहीं, प्रभात प्रकाशन 2019

5-https://thewirehindi.com/211965/asam-sahitya-sabha-aasu-against-hindi-as-compulsory-subject/

6—राजभाषा भारती, जनवरी-मार्च 1994, अंक-64, पृ. 32

7—आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, कमल प्रकाशन, पृ. 298

लघुकथा

फ्रीडम

सुबह से शीला तरह-तरह के व्यंजन बनाकर बच्चों को खिलाती जा रही थी। साठ वर्ष की उम्र में वो पच्चीस वर्ष की लड़की की तरह फुर्तीली हो गई थी। बहुत दिनों बाद सावन के महीने में उसके घर में बेटियों की हँसी गूंज रही थी। डिनर के लिए पूछने का विचार बना कर वह बच्चों के कमरे के बाहर पहुँचीही थी कि अन्दर से आती आवाज सुनकर वह ठिठक गई!

उसकी बड़ी बेटी श्वेता अपनी मौसेरी बहन से कह रही थी-"सेम टू सेम यार! मम्मी भी छोटे कपड़े पहनने पर बहुत टोका-टाकी करती थीं। वे तो इंस्टाग्राम की हर पोस्ट पर भी सीख देने लगती थीं। लो-कट की ड्रेस हो या लांग नेक का टॉप, उनका लेक्चर चालू रहता था!"

"तो तुमने इसका कोई हल निकाला क्या दी?"

बहन की बिटिया ने चहकते हुए पूछा-"ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल इस श्वेता के पास नहीं?" कहते हुए श्वेता मुस्कराई।

"बताओ न दी, कैसे बची तुम इस टोका-टाकी से?"

"बहुत आसानी से! बस हर ऑनलाइन ग्रुप से मां को ब्लॉक कर दिया! वे भी फ्री, हम भी फ्री!

-रश्मि लहर
इक्षुपुरी कालोनी,
लखनऊ-2
उत्तर प्रदेश
मो. 9794473806

केरल में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार

दक्षिण में अन्य राज्यों की तरह केरल मे भी हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से हुआ। सन् 1934 में केरल में हिंदी प्रचार-प्रसार सभा की स्थापना की गई। केरल में सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रचार- प्रसार करने का श्रेय दामोदरन उणी जी को जाता है। लेकिन कुछ विद्वान यह कहते हैं कि 18 वीं शताब्दी में ही हिंदी केरल में आई थी।

भारत एक विशाल देश है। यहां अनेक धर्म, रीति-रिवाज और भाषाएं प्रचलित है। परंतु इन विविधताओं के बावजूद भी अद्‌भुत एकता दिखाई देती है। हिंदी भाषा भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है और इसका प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का प्रसार उसकी समृद्ध और विविध संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम है, जो भारतीय समाज की गहरी और विशाल विरासत को उजागर करता है।

भारतीय आत्मा की भाषा हिंदी के लिए हिन्दीत्तर प्रांतों का योगदान कम नहीं है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है इस भाषा से ही केंद्र या राज्य सरकार अपना प्रशासनिक काम काज चलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके यादगार में पूरे भारत वर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है।

दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सन् 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें इंदौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की स्पष्ट व्याख्या की और हिंदीत्तर राज्यों में इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता का समर्थन किया। परिणामस्वरूप सन् 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई (मद्रास) में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है।

दक्षिण के अन्य राज्यों की तरह केरल में भी हिंदी प्रचार-प्रसार का कार्य जोर-शोर से शुरू हुआ। सन 1934 को केरल में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। केरल में सर्वप्रथम हिंदी प्रचार का कार्य शुरू करने का श्रेय दामोदरन उणी जी को जाता है। लेकिन कुछ विद्वान यह कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में ही हिंदी केरल में आई थी। केरल में हिंदी प्रचार की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अलग-अलग शाखाएं खोली गई। सन् 1939 के केरल में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखा गठन किया गया जिसका मुख्य केंद्र एर्नाकुलम है। यह सभा सन् 1948 से हिंदी प्रथम, हिंदी

-जयकला.ए,
शोधार्थी, मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलुरू, कर्नाटक

प्रवेश, हिंदी भूषण और साहित्याचार्य जैसी परीक्षाएं आयोजित करती हैं। केरल के स्कूल-कॉलेजों में भी हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में कई मलयालम लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाकवि गोविन्द शंकर कुरुप, एन्वीकृष्ण वारियर, वेन्निक्कुलम गोपाल कुरुप और अभयदेव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्ण वारियार एवं अभयदेव ने हिंदी एवं मलयालम कृतियों के अनुवाद से भाषाओं के रिश्ते को गहन बनाया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत मलयालम के साहित्यकार एम. टी. वासुदेवन नायर के प्रख्यात उपन्यास रंदामूजम(दूसरा मोड़), नालुकेट्टू (पैतृक घर) प्रसिद्ध है।

लोकप्रिय कथाकार पद्मश्री वैकम मुहम्मद बशीर, तकषी शिवशंकर पिल्लै द्वारा रचित उपन्यासों में 'झरा हुआ कमल', 'दलित का बेटा', 'दो सेर धान', 'चेम्मीन', 'ओसेप के बच्चे' उल्लेखनीय है। साथ-साथ प्रख्यात बहुभाषी साहित्यकार मुल्कराज आनंद के उपन्यास और लघुकथाएं मलयालम भाषा में अनुवादित है। हिंदी के कहानी सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का भी मलयालम में अनुवाद किया गया है। आज केरल के अनेक विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में हिंदी पढ़ने की सुविधा है। हिंदी के पाठ्यक्रमों में हिंदी प्रदेश के लेखकों की प्रतिष्ठित कृतियां निर्धारित की गयी हैं। कालीकट, केरल, को चीन जैसे विश्वविद्यालय के केंद्र में हिंदी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए भी सुविधाएं प्राप्त है। प्रयोजनमूलक हिंदी, राजभाषा, अनुवाद, पत्रकारिता और तुलनात्मक साहित्य भी केरल के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के विषय हैं। केरल हिंदी प्रचार सभा अपनी ओर से परीक्षाएं आयोजित करती हैं, साथ ही स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवा संगठन भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं।

केरल में शैक्षणिक और साहित्य के क्षेत्र में कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं जैसे केरल हिंदी मॉडल (एर्नाकुलम), केरल हिंदी परिषद (कालीकट), हिंदी विद्यापीठ (तिरुवनंतपुरम), केरल हिंदी साहित्य अकादमी (तिरुवनंतपुरम) आदि। इन संस्थाओं ने मलयालम साहित्य के श्रेष्ठ कृतियों का परिचय हिंदी भाषियों को देने का प्रयास किया है।

केरल में हिंदी की उपस्थिति विवादास्पद रही है, क्योंकि यहां के स्थानीय भाषा मलयालम है। लेकिन हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कई पहल और कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। उनमें से कुछ शिक्षा संस्थानों में हिंदी के पाठ्यक्रमों को समेत करना और हिंदी पर कार्यक्रमों का आयोजन है। साथ ही, हिंदी साहित्य के प्रसार के लिए कई साहित्यिक सम्मेलन और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में हिंदी के लेखक, कवियों और विद्वानों को बुलाया जाता है, जो हिंदी साहित्य को केरल के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, केरल में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो भाषा और साहित्य के समृद्ध विरासत को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत के अन्य हिन्दीत्तर प्रांतों की तरह केरल में भी हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार, अध्ययन, अध्यापन और प्रशासन में उल्लेखनीय प्रगति है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केरल में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है लेकिन हिंदी भाषा की आशातीत सफलता के लिए यह जरूरी है कि केरल में हिंदी प्रदेश के प्रख्यात लेखकों को केरल में आने का अवसर तथा, केरल के हिंदी लेखक, अध्यापक एवं अनुवादकों को हिंदी प्रदेश जाने तथा अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भरपूर अवसर होना चाहिए।

नवीन आजीवन सदस्य

डॉ. अविनाश श्रावण महाजन
श्रावण-पुष्प निवास, सागवन प्रकल्प के पास, यादव नगर रोड, बोरावके नगर, वार्ड नंबर–01, श्रीरामपुर– 413709, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र

डॉ० रेमी जायसवाल
78, सुदर्शन नगर, अन्नपूर्ण रोड़, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452009

डॉ० रीना सिंह
अमृत पर्ल, बिल्डिंग क्रमांक 4, फ्लैट नंबर-501, गुरु आत्मन सर्कल के पास, गौरीपद, कल्याण (पश्चिम), जिला ठाणे, महाराष्ट्र–421301

प्रा रतनलाल सोनग्रा
201 ,सहारा एनक्लेव, विमान नगर, पुणे–41104, महाराष्ट्र

डॉ० गौरी शंकर गुप्ता
प्लॉट नं० 135, कुमारन नगर, सेवनपेट रोड, त्रिरुर, तिरुवल्लुर, चेन्नई–602025, तमिलनाडु

श्री राजेंद्र आर्य,
मकान क्रमांक एफ 6/66, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089

डॉ० नागरत्ना एन. राव
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
यूनिवर्सिटी कॉलेज मंगलौर (मंगलौर यूनिवर्सिटी) कर्नाटक

सुश्री मंजरी गाडगिल
808ए, ब्लॉक, मौरिष्का पैलेस, कद्री कंबला, मैगलोर–575003, कर्नाटक

दक्षिण में हिन्दी का प्रचार

हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार एक आंदोलन था, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही आरंभ हो चुका था। हिन्दी भाषा के प्रचार के द्वारा जन-जागरण, प्रजातंत्र की जीवन-प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण को सिंचित करने के पावन उद्देश्य से सन् 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दक्षिण में भारत हिन्दी प्रचार सभा की नींव डाली थी और वे आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे। सभा की स्थापना मद्रास नगर के गोखले हॉल में डॉ. सी.पी. रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एनी बेसेन्ट ने की थी। सन् 1918 से मद्रास में हिन्दी वर्ग चलने लगे। गांधीजी के सुपुत्र देवदास गांधी प्रथम हिन्दी प्रचारक बने। जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे आदि मनीषियों ने सभा की गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया है।

गांधीजी आजीवन इसके सभापति रहे। उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए हिन्दी के महत्त्व एवं उसके प्रचार-प्रसार पर बल दिया। गांधीजी का विचार था कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का कार्य वहाँ के स्थानीय लोग ही करें। गांधी जी का विचार था कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का कार्य वहाँ के स्थानीय लोग ही करें। सन् 1920 तक सभा का कार्यालय जार्ज टाउन मद्रास में था, कुछ वर्ष बाद यह मालापुर में आ गया। इसके बाद यह ट्रिप्लिकेन में आ गया और 1936 तक वही बना रहा।

हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष व उनका कार्यकाल - दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के पूर्व अध्यक्ष इस प्रकार हैं -

1)महात्मा गांधी : 1918 से 1948
2)बाबू राजेन्द्र प्रसादः 1948 से 1965
3)लाल बहादुर शास्त्रीः1965 से 1966
4)श्रीमती इंदिरा गांधी :1966 से 1984
5)राजीव गांधीः 1984 से 1991
6)पी.वी. नरसिंह रावः 1991 से 1997
7)डॉ. बी.डी. जत्ती : 1997 से 1998
8)आर. वेंकटरामनः1998 से 2001
9)न्यायमूर्ति रंगनाथः 2001 से 2003
10)एम. महादेवः 2003 से 2005
11)एम.वी. राजशेखरन : 2005 से 2009
12)डॉ. न्यायमूर्ति वी. एस.- मालमथ-2009 से अब तक

सन् 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को ''राष्ट्रीय महत्व की संस्था" घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केन्द्रीय कार्यालय चेन्नई (मद्रास) में है। सभा की शाखा, दक्षिण के चारों प्रांतों, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में सम्पर्क कार्यालय है।

-स्मिता मिठोरा
शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, इंदौर, म०प्र०
निर्देशिका- डॉ० वंदना अग्निहोत्री
संपर्कः 124 महावीर नगर, रोड नं. 4, रतलाम, म.प्र. मो. 7000303479

सभा का उद्देश्य :-

1. सभा के प्रमाणित प्रचारकों के द्वारा दक्षिण के चारों प्रांतों के गाँव-गाँव में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था तथा राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के लिए दक्षिण भारत भर में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना, हिन्दी के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी को हर प्रकार से समृद्ध बनाने में योग देना।
2. राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ, कार्यशाला, विचारमंच, कवि गोष्ठियाँ, कवि, लेखक समादर, भाषण-मालाओं का आयोजन।
3. अनुवाद के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा अनुवाद कार्य के लिए सुविधाएँ।

सभा द्वारा उपलब्ध सेवाएँ :-

1) प्रारंभिक एवं उच्च परीक्षाएँ
2) पाठ्यपुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन
3) प्रचारक/शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रकाशन
4)एम.ए., डी.लिट., बी.एड. तथा स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा, पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी. ए, एम.ए.(हिन्दी), एम. फिल., पीएच.डी.
5)मानक शब्दकोषों का निर्माण

सभा के महत्वपूर्ण कार्यः- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवधारणा के अनुसार सभा ने बहुभाषी भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार तथा राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। दक्षिण के चारों प्रान्तों को राष्ट्रभाषा की दृष्टि से एक इकाई मानकर सभा ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सभा के प्रयत्नों का यह भी परिणाम है कि स्वतंत्रता के पहले अनेक जगहों में और स्वतंत्रता के बाद सर्वत्र दक्षिण के स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हिन्दी विषय तथा हिन्दी माध्यम का प्रवेश हुआ, हिन्दी के विभाग खोले गये, जिससे हजारों लोग हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हुए और यह क्रम आज भी जारी है।

स्त्री-शिक्षा की दिशा में सभा का काम महत्वपूर्ण है। सभा ने ऐसे कई युवकों को भी हिन्दी में शिक्षित किया, जो स्कूलों में नहीं जा पाते थे। कहने का तात्पर्य है कि सभा ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। सभा का एक और महत्वपूर्ण स्थान साहित्य के क्षेत्र में है। सभा ने दक्षिण की चारों भाषाओं में सैकड़ों ऐसे लोगों को तैयार किया, जिन्होंने हिन्दी तथा दक्षिणी भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान का कार्य किया और यदि कई मौलिक कृतियों की रचना कर साहित्य की अभिवृद्धि की।

राष्ट्रीय एकीकरण को सिंचित करने के पावन उद्देश्य से सन् 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण में भारत हिन्दी प्रचार सभा की नींव डाली थी और वे आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे। गांधीजी का विचार था कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का कार्य वहाँ के स्थानीय लोग ही करें।

सभा ने बोलचाल हिन्दी पर जोर देते हुए 'बच्चों की किताब', 'रोजमर्रा हिन्दी', 'बोलचाल की हिन्दी' एवं 'राष्ट्र संभाषण हिन्दी' नाम की पुस्तकों का प्रकाशन तथा बालकों को स्कूलों में अंशकालीन शिक्षा के लिए 'परिचय' परीक्षा संचालन कार्य भी शुरू किया है।

राष्ट्रीय हिन्दी अनुसंधान ग्रंथालय :- सभा ने अपनी अपनी शैक्षणिक, साहित्यिक तथा प्रचारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ग्रन्थालय शुरू किया, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए 40000 ग्रंथों का भण्डार बन गया है। इसके अलावा जब से सभा का उच्च शिक्षा और शोध संस्थान का प्रारम्भ हुआ और शोध कार्य भी होने लगा तब से एक विशाल हिन्दी ग्रंथालय की आवश्यकता अनुभव की गई है। इसके लिए एक करोड़ रूपये की लागत से चेन्नई में ''राष्ट्रीय हिन्दी अनुसंधान ग्रंथालय" भवन का निर्माण किया गया।

संदर्भ :-

1)''दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा" मूल से 20 दिसंबर 2018 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 17 जून 2019
2) ''दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की विवरण पत्रिका" मूल से 22 अगस्त 2017 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 17 जून 2019
3)''दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये महात्मा गांधी ने की थी 'हिन्दी सभा' की स्थापना मूल से 24 दिसंबर 2019 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 13 सितंबर 2020

रचनाकार : डॉ० अन्नपूर्णा श्रीवास्तव
मूल्य : 200/रुपये
प्रकाशक :
विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

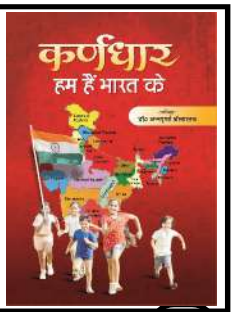

हिन्दी में मराठी का विकास कैसे?

नाम : हिना (शोधार्थी)
शोध निर्देशक : डॉ. वन्दना अग्निहोत्री
माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश
पता : 25-बी वन्दना नगर एक्सटेंशन इन्दौर, मध्य प्रदेश-452018
मो० : 7999390567
ईमेलः tomerheena7@gmail.com

हिन्दी कहने से आज हम जिस भाषा का अर्थ लेते हैं सदा से हिन्दी का वही अर्थ नहीं रहा है। हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वह एक भाषा समूह भी है। मैथिली, भोजपुरी, बुदेलखण्डी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि कई भाषाएँ, उपभाषाएँ और बोलियाँ हिन्दी के अन्तर्गत आती है।

भारत औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाला देश है परन्तु भारत में अनेक कारणों से आपसी सांस्कृतिक आकर्षक की स्थिति हमेशा विद्यमान रही है। हिन्दी साहित्य के विकास में आदिकाल से ही हिन्दी क्षेत्र की भाषाओं के साहित्य पर पड़ोसी भाषाओं के विभिन्न क्षेत्र की भाषाओं के रचनाकारों का हिन्दीतर क्षेत्र से और हिन्दीतर भाषाओं के रचनाकारों का हिन्दी क्षेत्र से गहन सांस्कृतिक आकर्षण था। धार्मिक यात्राओं की इसमें बड़ी भूमिका थी। इस कारण हिन्दी क्षेत्र में रची जा रही भक्तिपरक रचनाओं से प्रभावित होकर हिन्दी तर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने या तो हिन्दी क्षेत्र की भाषाओं में रचनाएँ की या अपनी भाषा में रचित साहित्य में उनसे प्रभाव ग्रहण किया।

रामधारी सिंह दिनकर ने हिन्दी की सांस्कृतिक परिधि पर विचार किया था। उन्होंने उस रोचक स्थिति का ध्यान दिलाया कि विद्यापति जितने हिन्दी, मैथिली के हैं, उतने ही बंग्ला के। हिन्दी के पश्चिमी छोर पर स्थित मीरा के साथ भी यही स्थिति है। मीरा जितनी हिन्दी, राजस्थानी की है, उतनी गुजराती भी। किसी बंग्ला भाषी से विद्यापति को हिन्दी का कहना ठीक उसी तरह है जिस तरह किसी गुजराती से मीरा की हिन्दी की कहना। यह हिन्दी की समस्या नहीं बल्कि ताकत है जिसकी वजह से नवजागरण काल के हिन्दीतर भाषी लेखकों और विचारकों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का स्वप्न पैदा था।

राहुल सांकृत्यायन नें जब खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवि के रूप में अमीर खुसरो को न देखकर दक्खिनी के कवियों से इसकी शुरूआत मानी जाती है, तब बहुत लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया था। ये वही लोग थे, जो इस बात की तह तक जाने की जरूरत नहीं समझते थे, जिसके कारण कभी गांधीजी और प्रेमचंद ने हिन्दी की जगह हिन्दुस्तली की बात कही थी। गांधी जी को पता था कि उर्दू से मिली हुई हिन्दी के बल पर ही हिन्दी को तमिलनाडु तक विस्तार किया था। वे दक्षिण भारत में सिर्फ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि उस हिन्दी प्रचार में उत्तर से दक्खिन के बीच दक्खिनी हिन्दी के उस सेतु धर्मी चरित्र की भी पहचान रखते थे जिसके लिए उन्हें हिन्दी से ज्यादा मुफीद हिन्दुस्तानी लगती थी। राहुल जी ने जब खड़ी बोली हिन्दी को दक्खिनी कवियों से जोड़ा था, तब हिन्दी का भूगोल ही नहीं, हिन्दी की भूमि और भूमियों का भी विस्तार किया। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश तक विस्तृत हिन्दी की परिधि से विपरीत मुखी नहीं थी, बल्कि उसका सम्बन्ध मुखामुखम का था।

हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के सन्तों का हिन्दी लेखन हिन्दी साहित्य सम्बन्धी विषयो की विस्तार देता है। इसी सन्दर्भ में विनय मोहन शर्मा ने महाराष्ट्र को ''महाराष्ट्र में हिन्दी के दो रूप विकसित हुए, एक वह जिसमें अरबी-फारसी के शब्दों का थोड़ा बहुत मिश्रण और स्थानीय भाषाओं

की छाया दिखाई देती है। इस रूप को दक्खिनी हिन्दी अथवा रेसता कहा गया है और दूसरा वह जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा आदि के मिश्रण के साथ मराठी का शुद्ध परिलक्षित हुआ। इसे मराठी हिन्दी के नाम से अभिहित किया जा सकता है।" राहुल सांकृत्यायन ने जिस तरह खड़ी बोली कविता की शुरूआत का श्रेय दक्खिनी काव्यधारा को दिया है उसी तरह विनय मोहनदास शर्मा ने इस किताब में निर्गुण पूछ की शुरूआत का श्रेय नामदेव को दिया। वे लिखते हैं -"क्या सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की रचनाएँ प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती परन्तु जो कुछ प्राप्य है उसमें उत्तर भारत की सन्त परम्परा का पर्व आभास मिलता है और उनके परवर्ती सन्तों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है, जिसे उन्होंने मुक्त-कण्ठ से स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हिन्दी जगत तक उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जिसके वे उत्तराधिकारी हैं।"

मराठी के हिन्दी में लिखने वाले सन्त कवियों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने मराठी में प्रचलित हिन्दी में कविताएँ लिखकर हिन्दी साहित्य को शिल्प के स्तर पर समृद्ध किया है। ओवो हन्द जो कि मराठी का एक लोकप्रिय लोक छन्द है, जिसमें महाराष्ट्र की ग्रामीण स्त्रियाँ अपने दैनिक व्यवहार में गीत गाती हैं 'चक्की पीसते हुए, बच्चों के लिए लोरी सुनाते हुए, खेतों में घान काटते हुए, खलिहान में उसे ओसाते हुए, अर्थात् जीवन के बिल्कुल सरल, सहज और दैनिक रूप का प्रतिनिधि है। यह छन्द, इन कवियों द्वारा हिन्दी साहित्य को मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। यह एक तरह से गुम्फित छन्द होता है जिसमें तीन चरण होते हैं। ओवी की तरह ही अभंग एक लोक छन्द है। नामदेव जैसे अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने इस छन्ह में अपने पदों की रचना की है। अभंग का अर्थ होता है 'जिसको भंग न किया जा सके अर्थात् अटूट। एक ऐसा छन्द जिसकी लम्बाई की कोई सीमा नहीं होती। अभंग और ओवी में समानता इस दृष्टि से है कि दोनों के दूसरे और तीसरे चरण में यमक अलंकार आता है।

नाम प्यारा है भगत उसे जानत है जगत
बम्मन आया घुंडत-घुंडन लगत-लगत
गाव मो
बम्मन के नामदेव, मुजे पूजना भूदेव
इति बात मूजे देव, कहा देव गंगा में,

अन्य प्रमुख मराठी छंदों जिसमे सन्त, कवियों ने अपनी रचनाएँ लिखी हैं, वे क्रमशः धुपद, रूयाल और लावनी है। लावनी मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान रचनाओं के लिए मफीद छन्द है। पेशवाओं के समय में इसका खूब प्रचार, प्रसार हुआ। हिन्दी रीतिकाल में जिस तरह राहि का कन्हाई सुमरिन के बहाने बने थे, उसी तर लावनियों के माध्यम से भक्तिपरक रचनाएँ श्रृंगार की ओर बढ़ चला। भक्ति और श्रृंगार के समम्वित प्रयोग के लिए लावनियाँ काफी प्रसिद्ध हैं। मराठी के इन सभी छन्दों ने हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य को जो विस्तार दिया है, उससे हिन्दी का शिल्प समग्र हुआ है।

सरंक्षक सदस्य

सं०1 / 2008 /महा०
डॉ० सुमि ओम शर्मा
ओम शर्मा हाऊस, प्रथम तल, 24, चारमिचेल रोड, मुबई-400026, महाराष्ट्र

सं०4 / 2021 /मेघालय
डॉ. श्रीमती अनीता पंडा
द्वारा श्री बी.के.पडा, अर्बन अफेयर्स रेसिडेसियल काम्पलेक्स, खार मलकी, शिलांग-793001, मेघालय

सं०5 / 2021 /छ०ग०
प्रो० (डॉ०) अनसूया अग्रवाल
क्लब वार्ड, पोस्ट एवं जिला -महासमुन्द्र, छ.ग.-493445

सं०6 / 2022 /बिहार
डॉ० सुधा सिन्हा
कुमुद इन्क्लेव, बी-1, कृष्णा निकेतन स्कूल के पास, बुद्ध कॉलोनी, पटना, बिहार

हिंदी को दक्षिण भारत की दक्षिणा

"हम सब एक राष्ट्र के वासी हमारी राष्ट्र भाषा एक है- हिंदी"

हिंदी भ्रातृत्व की भाषा है और इसका प्रमाण है- दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग। हिंदी मूलतः उत्तर भारत की भाषा है, किंतु समय-समय पर सभी महात्माओं, विद्वानों ने माना कि बहुभाषी भारत को यदि कोई भाषा जोड़ सकती है तो वह है हिंदी। एकता के इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत के मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। मैं एक हिंदी सेवक और हिंदी प्रेमी हूं। इसी कारण मौका मिलते ही मैं एकता के इस आंदोलन से जुड़ गई। मूलतः मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और 1989 से हिंदी प्राचार्य का कार्य कर रही हूं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने मुझमें आत्मविश्वास जगाया। इसी कारण मैं हिंदी से आजीवन जुड़ी हूं और इसी से अपनी आजीविका कमा रही हूं। इस आलेख में मैं एक दक्षिण भारतीय होने के नाते हिंदी के प्रति मेरी भूमिका और मेरे कार्यकलापों का लेखा-जोखा देना चाहती हूं। इससे पूर्व दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का परिचय देना चाहूंगी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र और कर्नाटक दक्षिण भारत के चार प्रांत में हिंदी का प्रचार बहुत जरूरी था।

हिंदीतर भाषा प्रदेश में हिंदी प्रचार करना एक सवाल ही था।...गांधी जी ने देश भर में एकता लाने के प्रयास में दक्षिण का पर्यटन किया। तमिलनाडु में हिंदी प्रचार का कार्य उतना आसान नहीं था जितना केरल, आंध्र, कर्नाटक, में था। तमिलनाडु का माहौल पूरा भिन्न था। फिर भी यहां हिंदी प्रचार का कार्य धीरे-धीरे होने लगा। तमिलनाडु में हिंदी प्रचार का कार्य सिर्फ कठिन ही नहीं, श्रममय भी था। हिंदी प्रचार को तीव्रतम तथा सफलतम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की थी।

महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में सन् 1918 के मार्च महीने में हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन इंदौर में हुआ। तब दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखने का कार्यभार महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को सौंपा था। उचित शिक्षक तथा आवश्यक सामग्री तैयार करके इस कार्य को शुरू करने का दायित्व हिंदी साहित्य सम्मेलन को दिया गया। मद्रास में उनके लिए एक प्रधान कार्यालय तथा उसके लिए एक भवन का भी निर्माण किया गया।

इसे जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक गतिविधियों का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत के चारों प्रांत तमिलनाडु, केरल, आंध्र तथा कर्नाटक के साथ पुडुचेरी में भी निःशुल्क हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 8 वर्ष की आयु से किसी भी व्यक्ति को हिंदी सीखने का महान कार्य शुरू किया गया। राष्ट्र

-कुसुम के. आर.
सहायक शिक्षिका (शोधार्थी)
मंगलूर विश्वविद्यालय, मंगलूर,
दक्षिणकन्नडा, कर्नाटक

की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हिंदी का प्रचार अति आवश्यक था।सभा का विधिवत् पंजीकरण कराने के बाद प्राथमिक, माध्यम राष्ट्रभाषा आदि परीक्षाएं नियमित रूप से चलाई गयी। 1929 से प्रवेशिका, सन् 1948 से उच्च परीक्षाएं प्रवेशिका, विशारद और राष्ट्रभाषा प्रवीण परीक्षा प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रचारक विद्यालय से चारों प्रांत में हिंदी प्रचारक विद्यालय शुरू किए गए।

हिंदी प्रचारक को परस्पर मिलाने के उद्देश्य से हिंदी प्रचारक सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। कवि सम्मेलन, नाटक प्रदर्शन, हिंदी पुस्तकों को प्रदर्शन सहित अनेक अन्य कार्यक्रम चलाये जाते हैं। सभा में प्रमाणित प्रचारक हिंदी प्रचार का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं।

इस तरह से हिंदी का प्रचार

करने का काम सभा से किया जा रहा है। हिंदी पत्रिका हिंदी प्रचार समाचार तथा दक्षिण भारत आदि पत्रिकाओं से सभा का संपूर्ण विवरण सबको दिया जाता है और साहित्य सेवा भी की जा रही है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा संसदीय अधिनियम 14, 1964 के अंदर एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था (An Institution Of National Importance And Parliament Act 14, 1964) है। इस संस्था द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में छात्र भाग लेते हैं। इसकी शाखाएं दक्षिण के चारों प्रातों में -आंध्र व तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हैं। दिल्ली में भी इसकी शाखाओं का प्रधान कार्यालय चेन्नई में स्थित है। यह कार्यालय 'केंद्र सभा' के नाम से जाना जाता है।

सभा की चारों प्रांतीय शाखाएं हिंदी के साथ अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती आ रही हैं। आंध्र शाखा से 'स्रवंति', कर्नाटक शाखा से 'भारतवाणी' केरल शाखा से 'केरल भारती' और तमिलनाडु से 'हिंदी पत्रिका' निकल रही हैं। केंद्र सभा से हिंदी प्रचार समाचार एवं 'दक्षिण भारत' प्रकाशित हो रही है। इन पत्रिकाओं से आम जनता और प्रचारक लाभांवित होते आ रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सन् 1918 में मद्रास (चेन्नई) में की। भारत बहुभाषी देश है। भारत के बहुभाषी लोगों को एक सूत्र में बांधने के विचार से गांधी जी ने इस संस्था की नींव डाली। वे खुद अजीवन इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी के उद्देश्यों को पूरा करने के विचार से सभा ने सन् 1918 में हिंदी वर्ग आरंभ किया।

दक्षिण भारतीय के रूप में हिंदी के प्रचार में मेरी भूमिका : मेरी माताजी का जन्म 27 जनवरी 1945 को हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा कर्नाटक के श्रृंगेरी में हुई। 24 अगस्त 1954 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद श्रृंगेरी जगतगुरु श्री श्री श्री चंद्रशेखर भारती को देखने और जगदगुरु की आशीर्वाद लेने श्रृंगेरी शारदा मठ में आए थे। तब मेरी माताजी अपने पिताजी के साथ उन्हें देखने गई, डॉ. राजेंद्र प्रसाद हिंदी में भाषण दे रहे थे। इससे प्रेरित होकर मेरी माताजी ने अपने पिताजी से अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे भी हिंदी भाषा सीखनी है। अपनी इच्छा अनुसार मेरी माताजी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में राष्ट्रभाषा प्रवीण तक की सभी परीक्षाएं लिखी और राष्ट्रभाषा प्रवीण उपाधि पाई। उससे प्रेरित होकर और उनकी मदद से मैंने भी हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, इसी का परिणाम है कि आज मैं एक हिंदी शिक्षिका के रूप में प्रख्यात हूं। मेरी मां के आशीर्वाद से आज मैं एक दक्षिण भारतीय होकर भी हिंदी क्षेत्र में काम कर रही हूं। आज मैं द क. जिला पंचायत हाईयर प्राइमरी पाठशाला में सहायक शिक्षिका के नाते काम कर रही हूं। प्रतिवर्ष दो बार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में 100 छात्र-छात्राएं भाग लेते हैं अब तक 5000 बच्चे परीक्षा दे चुके है। इनमें से कुछ छात्र शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 1996 से अब तक इस परीक्षा में बच्चे परीक्षा लिखकर उपाधि पाए हैं।

मेरी मां के आशीर्वाद से आज मैं एक दक्षिण भारतीय होकर भी हिंदी क्षेत्र में काम कर रही हूं। आज मैं द क.जिला पंचायत हाईयर प्राइमरी पाठशाला में सहायक शिक्षिका के नाते काम कर रही हूं। प्रतिवर्ष दो बार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा होती है।

गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी प्रथम प्रचारक बनकर मद्रास आए। सभी दक्षिण के चारों प्रांतो में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, जिससे हजारों की संख्या में हिंदी भाषा के कुशल प्रचारक निकल रहे हैं, यह प्रचारक दक्षिण भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान और हिंदी शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करते आ रहे हैं।

गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में हिंदी का प्रचार भी एक है। उनके इस रचनात्मक कार्यक्रम को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सफल बनाती आ रही है। विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए यह संस्था गांधी जी के सपनों को साकार बनाती आ रही है।

हिंदी भाषा के माध्यम से मैं सब बच्चों को एकता सूत्र में बांधने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हिंदी भाषा दिल की भाषा है, इस भाषा से पूरा भारत जुड़ गया है।

इनसे प्रेरणा लेकर मैं भी हिंदी प्रचारक बनी। दक्षिण भारतीय होने के नाते सभा ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। हिंदी प्रेमियों को प्रोत्साहित करना और युवाओं में हिंदी के प्रति प्रेम जागना ही 'हिंदी' के लिए मेरी दक्षिणा है।

कृपासिंधु

कहे व्यथित राम सुन ताज, जलधि हटो राह से आज।
प्रिये कहाँ ढूँढ़ता आस, लिए यहीं तट तनिक पास।।
सफल बनें वह बता बात, करूँ अभी आरती तात।
चढ़ा दिया पुष्प शिव गंग, अभी न माने हठी दंग।।१।।

करें तुम्हें प्रार्थना ध्यान, सुनो हमें दो अभी ठान।
पहर पहाड़ों किए पार, करो अभी अर्च्य स्वीकार।।
कहे कड़क कटु वचन हो बोध, दिवस बिता प्रभु किए क्रोध।
नहीं रहा अब कुटिल मान, अनुज करूँ अग्नि संधान।।२।।

अनल लिए खींच प्रभु चाप, अभी बढ़ा नीरनिधि ताप।
उदक लिए कुछ अभी सोख, धरे भरे बुद्धि अब चोख।।
अधम हठी हूँ क्षमा दान, सकल चराचर जगत शान।
दिए हमें आप ही ज्ञान, शरण - चरण दीजिए ठान।।३।।

मृदुल-सुखद बोल मनलाभ, किए द्रवित क्रोध का आभ।
कहें सभी मान आदेश, अभी कहें त्याग दूँ वेश।।
मुझे मिला ज्ञान हे कान्त, हुए कृपासिंधु प्रभु शान्त।
शरण पड़ा आपका दास, बनूँ सहायक यही आस।।४।।

-लक्ष्मीकान्त वैष्णव 'मनलाभ'
(व्याख्याता),
ग्राम व पोस्ट : रेड़ा,
जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़-495692
मो.: 7610306500

सातवीं लघु कथा सम्राट प्रतियोगिता

पुरस्कार राशि 5001/रुपये मात्र

इस प्रतियोगिता में उम्र का कोई बंधन नहीं है. देश-विदेश का कोई भी लघुकथाकार इसमें प्रतिभाग कर सकता है. आपको अपनी एक लघु कथा (अधिकतम 500 शब्दों तक) पठनीय हस्तलिपि अथवा टंकित कराकर भेजनी होगी। लघु कथा के साथ अपना पूरा नाम, पता, एक फोटो, ह्वाट्सएप नंबर अगर ई-मेल हो ईमेल आईडी भेजना होगा।

नियम एवं शर्तें: 1. रचना मौलिक होनी चाहिए तथा विवादित, राजनीति एवं धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए।. 2. मौलिकता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता के दो चरण है। दूसरे चरण के समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ती पत्र दिया जाएगा। विजेता को 5001रुपये नगर, स्मृति चिन्ह तथा लघु कथा सम्राट का ताज प्रदान किया जाएगा। 5. प्रतिभागियों को मांगे गये विवरण के साथ रुपये तीन सौ का चेक/डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट/आन लाईन अथवा सीधे संस्थान के खाते में जमा कर जमा रसीद की प्रति भेजना अनिवार्य होगा।

खाता धारक का नामः **'विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान'** बैंक : **युनियन बैंक ऑफ इंडिया** शाखा : **प्रीतम नगर, इलाहाबाद** खाता संख्याः **538702010009259** आई.एफ.एस. कोडः **यूबीआईएन0553875**

आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2024

सचिव, विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, एलआईजी–93, नीम सराय कॉलोनी, प्रयागराज-211011, ह्वाटसएप नं०: 9335155949, www.vhsss.in, sahityaseva@rediffmail.com, hindiseva15@gmail.com

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का अंतर्सम्बन्ध

द्रविड़ मूल की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल है। वैज्ञानिक दृष्टि से भले यह भाषा हिंदी से अलग परिवार की हो किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों में एक प्राणता है जैसे काँची और काशी जैसे स्थान संपूर्ण देश को 'श्रद्धा' के माध्यम से जोड़ते हैं, वैसे ही तमिल और हिंदी अपनी सर्जनात्मकता से संस्कृति को एकसूत्रता प्रदान करती है।

-गौरव गौतम
शोधार्थी-देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, शोध निर्देशक- डॉ० वंदना अग्निहोत्री
ईमेल gaurav7222919271@gmail.com
संपर्कः वार्ड नंबर 43 उत्तम नगर रीवा, मध्य प्रदेश-486001 मो० 6263610187

भाषा वैचारिक विनिमय का माध्यम होने के साथ-साथ संस्कृति को पोषण प्रदान करने वाली है जिससे सामुदायिकता का भाव पुष्पित, पल्लवित और फलित होकर मानव को एकता के सूत्र में बाँधता है। भारत देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक वैविध्य के कारण अनेक भाषाएँ अपनी विशिष्टता को सँजोते, सवारते हुए अन्य भाषाओं से संवाद करती हुई भारतीय संस्कृति के वैविध्य को एकत्व का रूप देती है।

भौगोलिक समीपता, शब्दानुरूपता, ध्वनि साम्य और व्याकरण की साम्यता के आधार पर भाषाओं को समझने, उनके सामीप्यता और भिन्नता को जानने के लिए भाषाओं को समूह में रखकर भाषा परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की गयी। डॉ० रामविलास शर्मा का मानना है कि "भारत में चार भाषा परिवार मुख्य हैं, आर्य, द्रविड़, कोल (अथवा मुंडा) और नाग (अथवा चीनी तिब्बती या तिब्बती बर्मी)। अत्यन्त प्राचीनकाल से ये परिवार एक दूसरे को प्रभावित करते आये हैं।"[1] जिससे इन परिवारों में भिन्नता ही नहीं वरन समरूपता भी है। मानव जीनोम परियोजना- जो मानवीय आनुवांशिकता के अध्ययन की एक परियोजना थी-ने अपने निष्कर्ष में बताया कि मानवों में आनुवांशिक भिन्नता केवल एक प्रतिशत है जो उन्हें विशिष्टता प्रदान के साथ अन्य मानव और प्राणी जगत के साथ सद्भाव के लिए उत्प्रेरित करती है इसी तरह भाषायी अंतर भी अन्य भाषा बोलने वालों से हमें अलगाता नहीं बल्कि जोड़ता है। जुड़ने की प्रक्रिया स्थैतिक नहीं वरन गतिशील है जिसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है अन्यथा संकीर्ण सोच के लोग निजी स्वार्थ के लिए भाषा के नाम पर भी समाज को विभाजित करने का कृत्य करते है जैसे औपनिवेशिक दौर में हुआ।

यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों में अपनी सत्ता की स्थापना के लिए उन देशों की भाषा-बोली को हीन एवं दोयम दर्जे का बताते हुए उन्हें क्षरित करने का प्रयास किया जैसे भारत में ही उत्तर भारत की भाषा को आर्यभाषा तथा दक्षिण भारत की भाषा को द्रविड़ भाषा में बाँटकर इसे नस्ल आधार के रूप में प्रचारित किया गया। देशों को एकता प्रदान करने वाली भाषा ताकत कीजगह राष्ट्र की एकजुटता के लिए आफत बन गयी। भाषायी भिन्नता को इतना ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया कि भाषाओं के बीच का 'आपसी संबंध' नेपथ्य में पहुँच गया। यह मंच पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों ने जो विश्वविद्यालय स्थापित किए थे वो ऐसी विद्या प्रदान करते थे जो अभारतीयता को पोषित करने वाली भारत विखंडन के लिए प्रेरक थी जिस पर विस्तार से धर्मपाल ने अपनी कृति 'The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century' में तथ्यात्मक रूप से 'शिक्षा की अभारतीयता' पर प्रकाश डाला है।

भारत में कवियों व विद्वानों के

लिए यह आवश्यक था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा भाषाएँ आये जिससे उनके शब्द ज्ञान में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार हो। यह भारतीय भाषाओं के मध्य मौजूद अंतर-संबंध के कारण ही संभव था। इस संबंध को बनाने व संवाद स्थापित करने का कार्य साधुओं, संतों व व्यापारियों ने किया। जिससे एक भाषा की विशेषता का प्रभाव अन्य पर पड़ा जिसका उदाहरण भक्ति आंदोलन है जिसका स्वरूप अखिल भारतीय था।

भारत में सर्वाधिक लोगों व सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है जो भारत की अन्य भाषाओं के लिए संपर्क भाषा के तौर पर भी प्रयुक्त होती है और दूसरी भाषाओं की विशेषता को आत्मसात कर स्‍ वयं को समृद्ध भी करती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसी तरह मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी में वाक्य निर्माण का क्रम हिंदी की ही तरह 'कर्ता कर्म क्रिया' का होता है। लेकिन मराठी में वर्तनी की भिन्नताएँ है। जो शब्द मराठी में दीर्घ 'ई' की मात्रा देकर लिखा जाताहै, वही हिंदी मेंकभी-कभी हस्व 'इ' की मात्रा देकर लिखा जाता है। जैसे संस्कृति, ध्वनि और प्रकृति को क्रमशः मराठी में संस्कृती, ध्वनी और प्रकृती लिखा जाता है। वर्तनी की भिन्नता के साथ-साथ कुछ मात्रा में हिंदी और मराठी के उच्चारण में भी अंतर है जैसे "मराठी में 'ज्ञ' ध्वनि का उच्चारण 'दन्य' होता है और ऋ ध्वनि का उच्चारण 'रू' होता है, परंतु हिंदी में 'ज्ञ' ध्वनि का उच्चारण 'ग्या' होता है और 'ऋ' का 'रि' होता है।" (2)

मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र के दक्षिण में कन्नड भाषी राज्य कर्नाटक अवस्थित है। "हिंदी के साथ कन्नडा का अंतर्संबन्ध प्रारंभ से ही माना जाता है। व्याकरण विशेषज्ञ डॉ. ए. जानकी के अनुसार 'हिंदी की संयुक्त क्रियाएँ द्रविड़ भाषा की उपज है।' हिंदी में कृदन्त की बहुलता मिलती है। अव्ययों के साथ विभक्ति प्रत्यय का उदाहरण दृष्ट है। इल्ली इलिंदा इल्लिगे यहाँ, यहाँ से, यहाँ पर आदि।" (3)

भारत के देव भूमि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है जो द्रविड भाषाओं में आधुनिकतम मानी जाती है। हिंदी का विकास संस्कृत से वियोगात्मक में हुआ है जिससे इसके शब्द भंडार अन्य भाषाओं के समीचीन है। जिस तरह तमिल मूल की भाषा होने के नाते मलयालम में भी तमिल की भाँति ही हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के 'म्' को जोड़ने से मलयालम रूप बन जाता है। जैसे हिंदी का अभिलाषा, आरोप, कचहरी जैसे शब्द मलयालम में अभिलाषम्, आरोपणम् और कच्चेरी के रूप में प्रयुक्त होते है।

भारत की सभी भाषाओं का जुड़ाव संस्कृत से रहा है जिसके कारण हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भिन्नार्थ शब्दों की तुलना में समानार्थ शब्दों की संख्या अधिक होती है। "हिंदी और कन्नडा के बीच समान अर्थ में प्रयुक्त शब्दों में संपर्क, नीति, समय, सहाय, नवीकरण, सचिवालय, सरकारी, निघंयु, अत्यंत, अधिकृत, बृहत, पद, निर्माण, प्राधिकार, कल्याण, वाणिज्य, क्रीड़ा आदि ऐसे असंख्य शब्द हैं जो कन्नडा और हिंदी के बीच समान अर्थ में व्यवहार में हैं। अतः दोनों भाषाओं के बोलने वालों के बीच समझ विकसित करने में ऐसे शब्दों की बड़ी भूमिका होती है। वैसे उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में जहाँ हलंत उच्चारण होता है, वहीं कन्नडा में संस्कृत की भाँति अकारांत उच्चारण होता है।"(4) कन्नड और हिंदी के मध्य शब्दों की समानार्थता के साथ-साथ लिंग निर्णय में भी समानता होती है। हालाँकि कन्नड में संस्कृत की तरह तीन लिंग होते है जबकि हिंदी में केवल दो ही लिंग है किंतु "हिंदी में जैसे कुछ प्राणि वाचक शब्दों के साथ नर, मादा लिंग निर्णय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कन्नडा में भी गंडु (नर), हेण्णु (मादा) शब्दों का प्रयोग होता है।"(5) कन्नड भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों की भी हिंदी से समानता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि भौगोलिक भिन्नता के बावजूद दोनों भाषा बोलने वालों के मध्य वैचारिक एक रूपता है।

द्रविड़ मूल की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल है जिसे भारत में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे भले यह हिंदी से अलग परिवार की हो किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों में एक प्राणता है जैसे काँची और काशी

जैसे स्थान संपूर्ण देश को 'श्रद्धा' के माध्यम से जोड़ते है वैसे ही तमिल और हिंदी अपनी सर्जनात्मकता से संस्कृति को एक सूत्रता प्रदान करती है। यदि तुलसी ने उत्तर भारत के कोने-कोने को रामकथा से गुंजायित किया तो कंबन ने तमिल में रामायण लिख राम के आदर्श को समाज में प्रतिष्ठापित किया। तोलकाप्पियम् के व्याकरण और पाणिनि के अष्टाध्यायी की अवधारणाओं में भी साम्य है। इसके अलावा ध्वनि, शब्द सूची और शब्द विचार के स्तर पर भी तमिल और हिंदी में अनेक एकरूपता है इनकी अपनी-अपनी वैशिष्ट्यता के साथ जैसे तमिल में महाप्राण व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है।

उपर्युक्त परिच्छेदों में यह देखा जा सकता है कि भाषाओं के बीच भिन्नता तो है किंतु समानता के ऐसे तत्त्व भी है जिससे इन भाषाओं में आपसी संपर्क और समझ को मजबूती प्रदान की जा सकती है। किंतु आजादी के 75 बसंत पार करने के बाद भी यदि भाषा के नाम पर विवाद है, भाषा की समस्या अभी भी समाधान का रास्ता न ढूढ़ पायी है वरन् अभी भी समस्या की फिसल पट्टी पर सरकर ही है तो उसका एक कारण यह है कि भाषा संबंधी प्रश्नों को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया। भाषायी नीति निर्धारण करने वालों ने देशीय भाषा के प्रति दोयम दर्जे का रुख अपनाया। क्योंकि नीति निर्धारित करने वालों में ज्यादा तर लोगों को आंग्लभाषा में शिक्षा मिली है जो रक्त और रंग से भारतीय और आचार विचार से अंग्रेज बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। "वास्तव में मैकाले ने जिस तरह के नकली साहब बनाने का स्वप्न देखा था- स्वप्न ही नहीं देखा था बल्कि सुनियोजित कार्य पद्धति की घोषणा की थी- वैसा नकली साहब आज भी न केवल हमारे बीच में है बल्कि हमारे मन पर अपनी सत्ता बनाए रखने कि जुटा हुआ है- और मानना होगा कि बहुत दूर तक सफल भी है। आजादी के युग की नीतियों ने विशेष रूप से भाषा नीति ने उसकी मदद की है।"(6) वर्तमान समय की शिक्षा के द्वारा भी भाषा की लगातार उपेक्षा हो रही है क्योंकि भारतीय परिवारों मे यह धारणा बन चुकी है कि रोजगार की भाषा अंग्रेजी ही है इसीलिए निम्न श्रेणी का परिवार भी अपनी संतानों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाना चाहता है भले उसे अपनी क्षमता के बाहर फीस का वहन करना पड़े। इसी क्रम में अंग्रेजी का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है और मध्य और उच्चवर्गीय भारतीय श्रेष्ठता के दंभ लगातार अपनी भाषा से कट रहा है किंतु अफसोस इस बात का ज्यादा है कि भाषा से दूर होने वाले को यह एहसास ही नहीं कि उससे क्या छूट रहा है। किस संपत्ति, धरोहर से वह वंचित हो रहा है। "भाषा एक तरफ सर्जना का आधार है तो दूसरी तरफ समूचे मानव- व्यापार का माध्यम भी। यह सर्वदा और सर्वथा वेध्य है। और यह पहचान और याद दिलाते रहने का काम सर्जक का है।"(7) भाषा को 'वेध्य' करने वालों की संख्या न तो औपनिवेशिक दौर में कम थी और नही अब है। ऐसे लोग जो 'भाषा' की जगह 'राज' को वरीयता देते है उनके कृत्यों से भाषा का क्षरण ही होगा। किंतु साहित्यिक सर्जना के अन्य भाषा में अनुवाद होने से लोगों के वैचारिक क्षितिज को नया आसमाँ मिलेगा तथा नई शिक्षा नीति में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने से इस बात की प्रबल संभावना है कि भाषाओं के अंतर-संबंध से भाषाओं के मध्य संवाद हो सकेगा जो विकसित भारत के लिए प्राथमिक अनिवार्यता है।

संदर्भसूची :

1—रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2008, पेज-13

2— शैलेश मरजी कदम और प्रिया शैलेश कदम, अक्षरा संपादक- मनोज श्रीवास्तव, अंक 228, मार्च 2024, पेज 98

3— उषा रानी राव, अक्षरा संपादक- मनोज श्रीवास्तव, अंक 228, मार्च 2024, पेज 98, पेज-118

4—आलूः राधिका, सी जयशंकर बाबु, अक्षरा, संपादक- मनोज श्रीवास्तव, अंक 228, मार्च 2024, पेज-121

5— वहीं

6—अज्ञेय, भारतीय कला दृष्टि, संस्करण 2010, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, पेज-174

7—अज्ञेय, भारतीय कला दृष्टि, संस्करण 2010 सस्ता साहित्य मंडल, पेज 171

कर्नाटक के प्रसिध्द हिन्दी नाटककार-जि.जे हरिजीत

-**मनोज कुमार**
(शोधार्थी)
विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूरू, मंगलूरू विश्वविद्यालय, कर्नाटक
मो० 9113067774
ईमेल:kumarmanojmk05@gmail.com

जि.जे हरिजीत कर्नाटक में रहते हुए भी उन्होंने हिन्दी के सांस्कृतिक इतिहास से पूरी तरह अवगत होकर वे ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक आदि के प्रणयन में प्रवृत्त हुए हैं। आधी सदी के पहले हिन्दी नाटककार के रूप में पहचाने जाने वाले जि.जे हरिजीत ने कन्नड़, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दर्जनों नाटक बनाए और राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार जीते हैं, मूल रूप से चित्रदुर्ग के रहने वाले, हरिजीत उत्तर भारत में प्रसिद्ध है।

जीवन परिचय : कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में सन् 26.07.1938 में जन्मे जि.जे हरिजीत भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि नाटककार हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चित्रदुर्ग में पूरी हुई और बी.ए मैसूर में दाखिल किया।

यह 1950 का दशक था। महाराज कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक देखने के लिए जाते थे और उन्हें एकांकी नाटकों का शौक था।

हिन्दी भारत की आत्मा है, हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिन्दी साहित्यिक भाषा भी है। आज हिन्दी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बन चुकी है। इन सभी के बावजूद दक्षिण भारत में करीब 75 वर्षों से हिन्दी का प्रचार को हो रहा है। अब करोड़ों लोग हिन्दी समझते हैं और लाखों लोग उसे पढ़ना-लिखना भी जानते हैं किन्तु हिन्दी में साहित्य लिखने वालों की संख्या गिनी चुनी ही है। उनमें मौलिक लेखन की कमी नजर आती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश साहित्यकार मौलिक कविता लिखना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि अच्छी कविता लिखना कठिन है, फिर भी उनकी यह प्रवृत्ति नहीं छूटती है। दक्षिण भारत में जो हिन्दीतर भाषी प्रदेश हैं, यहाँ मौलिक हिन्दी साहित्यकारों को मिलना कुछ मुश्किल ही है।

साहित्य में नाटक का विशेष स्थान है। नाटक लिखना कोई हँसी-मजाक नहीं है। इसके लिए विशेष कलाधिकार की अपेक्षा है। हिन्दी में हम देखते हैं कि यह कला किसी-किसी को ही मिली है। जिनकी मातृभाषा हिन्दी ही हो, वे भी इस खतरे से डरते हैं, किन्तु जिनकी मातृभाषा हिन्दी न हो उनके लिए हिन्दी में लिखना कोई आसान काम नहीं है। कर्नाटक में हम देखें तो श्रेष्ठ नाटककार के रूप में जि.जे. हरिजीत का नाम सबसे पहले आता है। यह असंभव तो नहीं, पर अधिकांश लोग परिश्रम से कतराते हैं। दक्षिण के हिन्दी नाटककारों में जि.जे.हरिजीत जी ने यह सब अपना लिया है और हिन्दी नाट्य साहित्य में श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त कर लिया है। एक हिन्दीतर भाषी होकर भी इनके नाटक हिन्दी मातृभाषा नाटककारों से किसी भी बात में कम नहीं है। उनकी भाषा हो या कथावस्तु(कथ्य हो या शिल्प) दोनों में असमानता मिलती है। हालांकि दक्षिण भारत में हिन्दी रंगमंच नहीं है फिर भी उत्तर के कुछ रंगकर्मियों ने मंचन का काम किया है और उसमें सफलता भी पायी है।

जि.जे.हरिजीत करीब एक दर्जन नाटक लिखे हैं। ज्यादातर सभी पुरस्कृत भी हुए हैं। उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं - 'रंगायन' (एकांकी संग्रह), 'हुमायूँ' (ऐतिहासिक नाटक), 'खरगोश की नौकरी' (एकांकी संग्रह), 'महाराज नंदकुमार' (ऐतिहासिक नाटक), 'संभवामि युगे युगे' (पौराणिक नाटक), 'स्कंदगुप्त' (ऐतिहासिक

नाटक), 'उत्तर मृच्छ्कटिक' (सामजिक नाटक), 'एक और विक्रमोर्वशीय' (सामाजिक नाटक), 'प्रिंसिपल परशुराम' (सामाजिक एवं मिथकीय नाटक), 'एक नाटक मूकनाटक' (सामाजिक नाटक), 'विद्रोही' (सामाजिक एवं मिथकीय नाटक), 'वैतरणी के पार' (सामाजिक एवं मिथकीय नाटक), 'एक संघर्ष कथा' (ऐतिहासिक नाटक) और अंग्रेजी में "ओह यूनिवर्सिटी" हैं।

जि.जे.हरिजीत के नाटकों में नवीन विषयवस्तु, नई रंगभाषा और समकालीन जीवन की छटपटाहट को हम देख सकते हैं। निश्चित ही समग्र रुप से देखने पर उनमें एक रचनाकार की आकुलता, प्रयोगशीलता, अन्वेषण और चिंतन की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

जि.जे.हरिजीत के नाटकों में नवीन विषयवस्तु, नई रंगभाषा और समकालीन जीवन की छटपटाहट को हम देख सकते हैं। निश्चित ही समग्र रुप से देखने पर उनमें एक रचनाकार की आकुलता, प्रयोगशीलता, अन्वेषण और चिंतन की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

नाटककार ने दो विशेषताओं को लेकर हिन्दी नाट्य जगत में अपनी पहचान रेखांकित की है- एक तो वे हिन्दीतर प्रांत कर्नाटक के होते हुए भी पूरे दम-खम के साथ हिन्दी नाट्य लेखन में सक्रिय हैं, दूसरे 'काम' को जीवन की धुरी मानकर समकालीन नाटक, जहाँ यौन वर्जनाओं से परे वैध-अवैध, काम संबंधों, काम कुंठाओं, स्वच्छंद यौनाचार तज्जन्य तनावों, अतृप्त यौनाकांक्षाओं, स्वच्छंद पूर्व एवं विवाहेतर काम संबंधों को परोसने में रुचि ले रहा था, वहाँ जि.जे.हरिजीत के नाटक इनके अलग होकर जीवन की भ्रष्ट आचरण और स्वार्थी मनोवृत्ति को छीलने का उपक्रम कर रहे हैं। इसके लिए इनके सभी नाटक सबूत बन सकते हैं। इनके नाटकों में ही 'विद्रोही' राष्ट्र के सबसे बड़े खतरे, एक अछूते विषय पर मानो आतंकवाद की समस्या पर अपनी संवेदना केंद्रित करता है। नाटककार ने वर्तमान भारत के राजनैतिक कुचक्रों को देखने का, परखने का और समझने का भी प्रयास किया है।

जि.जे.हरिजीत के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना की भावना को हम देख सकते हैं। हर एक नाटक राष्ट्र की किसी न किसी समस्या को लेकर ही उभर कर आया है। 'उत्तर मृच्छकटिक' जो इसका नाम बदलकर आज 'एक पहिए की गाड़ी' बना दिया गया है, उसके मुख्य पात्र प्राचीन संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिकम' के हैं और परिवेश भी अतीत का ही हैं, किन्तु कथ्य, स्वतंत्रता और उसके बाद की परिस्थितियों पर सटीक उतरता है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण के साथ-साथ बलप्रयोग द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण हूबहू किया गया है। सत्ता प्राप्ति और अधिकार की लालसा के कारण आदमी घटिया से घटिया काम करने से परहेज नहीं रखता है। राजनीति में उतरने के बाद सभी समान हैं। कोई किसी से कम नहीं होता। शत्रु-मित्र बन सकता है और मित्र-शत्रु बन जाता है।

'महाराज नंदकुमार' एक ऐतिहासिक नाटक है। महाराज नंदकुमार को झूठे आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया गया था। यह एक घटना नहीं थी बल्कि इसमें अंग्रेज के उस चरित्र की भी व्याख्या हुई है। राष्ट्रप्रेम को लेकर एक आदर्श को हमारे सामने पेश किया है।

'एक नाटक-मूक नाटक'- यह दो लघु नाटकों का संग्रह हैं, जिसमें 'रेल सत्याग्रह' तथा 'खामोश एमर्जेन्सी जारी है' नाटक हैं। इन नाटकों में आज के नेताओं की चारित्रिक दुर्बलताओं पर व्यंग्य किया गया है। राजनीति में सब दिखावा ही होता है, जब इस मुखौटे को उतारते हैं तो उनके स्वार्थ का असली चेहरा दिखाई देते हैं। दूसरा नाटक जो मूकनाटक है, वह हिन्दी साहित्य में ही सर्वप्रथम मूक नाटक कहलाता है। 'प्रिन्सिपल परशुराम' और 'एक और विक्रमोर्वशीय' दोनों शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित हैं। शिक्षा क्षेत्र, जो एकदम शुध्द और पवित्र समझा जाता था, वह आजकल अपवित्र हो चुका है।

वहाँ की दुर्गंध दश दिशाओं में फैल चुकी है। इन समस्याओं पर भी जि. जे हरिजीत अपने नाट्कों के माध्यम से कहलवाया है।

'वैतरणी के पार' एक मिथकीय नाटक है। इसमें मानव जीवन के आदर्श का चित्रण किया गया है। इस नाटक में विभिन्न चरित्रों के द्वारा जीवन का नया संदेश सुनाया है। 'संभवामि युगे-युगे' नाटक में भी लेखक ने पौराणिक पात्रों द्वारा राजनीतिक कुचक्रों को दर्शाया है।

'विद्रोही' नाटक में भारत की नवीन समस्या 'आतंकवाद' पर ध्यान आकर्षित किया गया है। आतंकवाद की समस्या भारत के सामने एक नई चुनौती है, जो पहले बिलकुल नहीं थी। भारत के पूर्वी क्षेत्र-असम, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में स्थानीय उग्रवादी तत्वों द्वारा फैलाई हिंसा की आग में जल रहे हैं। कुछ भारत विरोधी तत्व, शस्त्र भी दे रहे हैं, ताकि यह आग अधिकाधिक भड़कती रहे, तथापि विदेशी शक्तियों पर सारे आरोप मढ़कर समस्या का सरलीकरण भले ही कर लिया जाए किन्तु सत्य यह भी है कि इन क्षेत्रों की सत्तासीन सरकारों ने सत्ता में बने रहने के प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, आम आदमी की आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाता रहा। यह नाटक इस प्रकार की समस्या को लेकर पूरा बयान ही दे बैठा है। आज सिर्फ पूर्वी भारत में यह समस्या न रहकर भारत भर में फैल चुकी है।

'वैतरणी के पार' एक मिथकीय नाटक है। इसमें मानव जीवन के आदर्श का चित्रण किया गया है। इस नाटक में विभिन्न चरित्रों के द्वारा जीवन का नया संदेश सुनाया है। 'संभवामि युगे-युगे' नाटक में भी लेखक ने पौराणिक पात्रों द्वारा राजनीतिक कुचक्रों को दर्शाया है।

निष्कर्ष : हरिजीत के नाटकों में अर्थहीन और खुदगर्जी की राजनीति, मूल्यहीन समाज, में बेईमान प्रजावर्ग, राष्ट्रद्रोह, गैरजिम्मेदार युवावर्ग आदि का चित्रण मिल जाता है। इन सभी को दिखाकर भी लेखक भारत के उज्ज्वल भविष्य को दिखाने के लिए नहीं भूलते हैं। इनके हर एक नाटक अंत में कुछ आशावाद के साथ यानि भविष्य के प्रकाश के साथ समाप्त हो जाते है। वे कभी भारत को अंधकार में देखना नहीं चाहते हैं।

हिन्दी नाट्य साहित्य भी इन पर उम्मीद रखकर, कातर दृष्टि से देख रहा है। हिन्दी साहित्य में सूर्य- चंद्र जो भी हो किन्तु जि.जे.हरिजीत हिन्दीतर प्रदेश के जगमगाते सितारे है।

संदर्भ :-

विद्रोहिणी नाटक - जि.जे हरिजीत
दक्षिण भारत में हिन्दी-डॉ.रमेशचन्द्र शर्मा

प्रविष्टियां आमंत्रित है

काव्य के क्षेत्र में: कैलाश गौतम सम्मान-(हास्य/व्यंग्य रचना), स्व.किशोरी लाल सम्मान (श्रृंगार रस की एक रचना पर), महादेवी वर्मा सम्मान (छायावादी रचना पर)

गद्य के क्षेत्र में: डॉ. रामकुमार वर्मा सम्मान (नाटक) उपेन्द्र नाथ अष्क सम्मान (कहॉनी/उपन्यास/लघु कथा) **हिन्दी सेवी सम्मान**-ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से हिन्दी सेवा कर रहे हों अथवा हिन्दी का प्रचार/प्रसार, हिन्दी के विकास के लिए कार्य कर रहे हों।

समाज सेवा के क्षेत्र में: समदर्शी पवहारी शरण द्विवेदी स्मृति समाज सेवी सम्मान-ऐसे व्यक्ति जो कम से कम गत 5 वर्षो से समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दे रहे है.

कलाश्रीः (कला/संस्कृति/लोकनृत्य/शास्त्रीय संगीत/ अभिनय/संगीत/पेंटिग, नृत्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ठ योगदान के लिए)

राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान/राष्ट्रीय युवा प्रतिभा सम्मान-(हिन्दी सेवा के साथ-साथ किसी अन्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, प्रमाणिक विवरण) (युवाओं की उम्र 35 वर्ष से कम हो)

अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:- **अंतिम तिथिः 15 दिसम्बर 2024**

अध्यक्ष,

श्री पवहारी शरण द्विवेदी स्मृति न्यास

एल.आई.जी–93, नीम सराय कॉलोनी, मुण्डेरा, प्रयागराज-211011,
उ.प्र., मो०: 09335155949, ईमेल-psdiit@rediffmail.com

हिन्दी के प्रचार प्रसार में जनसंचार माध्यमों का योगदान

-डॉ० सुकन्या मेरी जे.
प्राचार्या एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
पूर्णप्रज्ञ संध्या महाविद्यालय, उडुपी, कर्नाटक-576101
मो. 09448262319

भारत एक विकासशील देश है। हिन्दी इसकी राष्ट्रभाषा है। किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने एवं उसमें अभिवृद्धि करने में उस देश की राष्ट्रभाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्नाटक अहिन्दी भाषी प्रदेश होने के कारण यहाँ के ज्यादातर लोग हिन्दी समझते हैं लेकिन बोलना और लिखना नहीं जानते हैं। सरकार ने सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा कई निजी संस्थाएँ स्वेच्छा से हिन्दी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हिन्दी के प्रसार में जनसंचार माध्यम तथा साहित्यकारों की भी बहुत बड़ी देन है।

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के महत्व को समझना और समझाना उसकी रोजगारोन्मुख संभावनाओं को जान लेना तथा हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में मजबूत करना समय की माँग है।

आधुनिक युग में हिन्दी को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने तथा उसे समूचे राष्ट्र की वाणी बनने का गौरव प्रदान करने और हिन्दी प्रचार को एक आंदोलन के रूप में हाथ में लेने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी को जाता है। समग्र भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि भारत जैसे बहुभाषी एवं संस्कृतियों के देश में भावात्मक एकता को स्थापित करने लिए और अंतर प्रांतीय स्तर पर संवाद बनाये रखने के लिए हिन्दी ही एकमात्र सशक्त माध्यम हो सकती है। गांधीजी ने प्रांतीय भाषाओं के विकास और उनके व्यापक प्रयोग पर बल देते हुए अंग्रेजी के स्थान पर देशभर में हिन्दी के प्रचार के लिए हिन्दी आंदोलन का सूत्रपात किया और हिन्दी को अपने रचनात्मक कार्यों में स्थान दिया। हिन्दी के प्रचार और प्रसार के महान संकल्प से उन्होंने सन् 1918 में मद्रास में हिन्दी का बीज बोया, जो बाद में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह बाद में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में विकसित हुई।

कर्नाटक एक हिन्दीतर प्रदेश है, यहाँ कन्नड़ प्रांतीय राजभाषा है, अतः राष्ट्र राजभाषा हिन्दी का व्यवहार सरकारी कार्यालयों में सहज ही नहीं होता। लेकिन केंद्र सरकार की संस्थाओं और विभागों में विज्ञापन, तख्ते, आवेदन वगैरह के प्रारुप अंग्रेजी और हिन्दी में छपते हैं, जिनकी वजह से कन्नड़ भाषियों को हिन्दी का परिचय हो गया है। पर यह भी सत्य है कि गाँव के निरक्षर लोग हिन्दी हो या अंग्रेजी, दोनों से अपरिचित रहे हैं। द्विभाषा की राजनीति के बावजूद पढ़े-लिखो में हिन्दी प्रचार की सुदशा है।

आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हुई। उद्‌बोधन, जागरण, क्रांति के पश्चात पत्रकारिता ने व्यक्तित्व निर्माण करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। हिन्दी भाषा को माध्यम बनाकर करोड़ों निरन्न, निर्वस्त्र नागरिकों का लेखा-जोखा शंखनाद के साथ प्रस्तुत करने में पत्रकार सफल हुए। राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु पत्रकारों की परंपरा ने राजनेताओं का पथ प्रदर्शन किया। नया आत्मबोध, नई चिंतनधारा, नूतन रचनात्मक तत्वों के व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य करने वाली हिन्दी पत्रकारिता को बल देने का महत्त्वपूर्ण कार्य श्सूचना प्रौद्योगिकीश ने किया।

हम देख सकते हैं कि इधर हिन्दी पत्रकारिता का स्वरुप बहुत बदल गया है। अनेक पत्रिकाएँ यद्यपि बंद हुई हैं परंतु अनेक नई पत्रिकाएँ

नए रुपाकार में शुरु भी हुई हैं। आज हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी और हिन्दीतर राज्यों का अंतर मिटता जा रहा है। हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का पाठक वर्ग तो संपूर्ण देश में है ही, उनका प्रकाशन भी देशभर से हो रहा है। डिजिटल तकनीक और बहुरंगे चित्रों के प्रकाशन की सुविधा ने हिन्दी पत्रकारिता जगत को आमूल परिवर्तित कर दिया है।

मूलतः संचार माध्यमों को तीन स्तर से विभाजित किया जाता है-

1. शब्द संचार माध्यम (मुद्रण-माध्यम) Press- समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि ।
2. श्रव्य-संचार माध्यम (Audio Media) रेडियो, आडियो कैसेट, टेपरिकार्डर।
3. दृश्य-संचार माध्यम (Video Media) टेलिविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, फिल्म आदि।

प्रकाशन जगत में भी वैश्वीकरण के साथ जुड़ी नई तकनीक के कारण मूलभूत क्रांति संभव हो सकती है। विभिन्न आयु ओर रुचियों के पाठकों के लिए हिन्दी में विविध प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है तथा मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा और परस्पर व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार हो रहा है।

यहाँ यदि मोबाइल और कंप्यूटर की संचार क्रांति की चर्चा न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। ये ऐसे माध्यम हैं जिन्होंने दुनिया को सचमुच मनुष्य की मुट्ठी में कर दिया है। सूचना, समाचार और संवाद प्रेषण के लिए इन्होंने हिन्दी को विकल्प के रुप में विकसित करके संचार-तकनीक को तो समृध्द किया ही है, हिन्दी को भी समृध्दतर बनाया है। इसी प्रकार इंटरनेट ओर वेबसाइट की सुविधा ने पत्र-पत्रिकाओं के ई-संस्करण तथा पूर्णतः ऑनलाइन पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध कराकर सर्वथा नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। आज हिन्दी की अनेक पत्रिकाएँ इस रुप में विश्वभर में कहीं भी कभी भी सुलभ है तथा अब हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट पर हिंदी में प्राप्त होने लगी है। इस तरह हिंदी भाषा ने 'बाजार' और 'कंप्यूटर' दोनों की भाषा के रुप में अपना सामर्थ्य सिद्ध कर दिया है। भविष्य की विश्वभाषा की ये ही तो दो कसौटियाँ बताई जाती रही हैं।

कर्नाटक एक हिन्दीतर प्रदेश है, यहाँ कन्नड़ प्रांतीय राजभाषा है, अतः राष्ट्र राजभाषा हिन्दी का व्यवहार सरकारी कार्यालयों में सहज ही नहीं होता। लेकिन केंद्र सरकार की संस्थाओं और विभागों में विज्ञापन, तख्ते, आवेदन वगैरह के प्रारुप अंग्रेजी और हिन्दी में छपते हैं, जिनकी वजह से कन्नड़ भाषियों को हिन्दी का परिचय हो गया है।

इंटरनेट के माध्यम से जिस हिन्दी भाषा को हम पढ़ते है वह 'रिमिक्स भाषा' (Remix Language) के रुप में सामने आ रही हैं। इस रुप का अनेक जगहों पर स्वागत हो रहा है तो कहीं विरोध। अतः भूमंडलीकरण के इस दौर में हिन्दी का चेहरा बदल रहा है। हिन्दी का यह चेहरा हिंग्लेजी, हिंगलिश, मिश्रित हिंदी अथवा बिगड़ी हुई हिन्दी (?) का है।

कालचक्र जिस तरह से राजनीतिक, सामाजिक बदलाव की ओर अग्रसर है, उसमें भाषायी समरसता समूचे विश्व में बहस का मुद्दा हो गई है। समूचे विश्व में भाषा भौगोलिक सीमाएँ टूट रही हैं। जिस तरह से अंग्रेजी व अन्य यूरोपीय भाषाओं में नए शब्दों को खुले मन से समाहित किया जा रहा है, उसी तरह हिन्दी में भी हर भाषा के, ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों लिया जा रहा है। जैसे-मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, फोन आदि।

इंटरनेट संचार-प्रक्रिया में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। 'इंटरनेट' के माध्यम से देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं तथा नवीनतम द्विभाषी शब्द संसाधक प्रणाली का विकास हो रहा है। विंडोज पर आधारित देवनागरी फॉण्ट उपलब्ध हो रहें हैं। अक्षरा-11, मल्टीवर्ड, शब्दमाला, शब्दरत्न सुपर, अलिशा, ए.एल.पी. विजन, वर्डसवर्थ, भाषा, शब्द सम्राट, आकृति, बरहा आदि द्विभाषी शब्द संसाधकों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हिंदी प्रेमियों को मिलने के कारण

हिन्दी भाषा विकास को नई रेडियो तो हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाला व्यापक माध्यम रहा है, प्रसन्नता की बात यह है कि टेलिविजन बहुत थोड़े समय के भीतर ही हिंदी-माध्यम बन गया है। प्रतिदिन होने वाले सर्वेक्षण इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी के कार्यक्रम चाहे किसी भी विषय से संबंधित हों, देश भर में सर्वाधिक देखे जाते हैं, अर्थात व्यवसायिकता की दृष्टि से हिन्दी संचार माध्यमों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि अंग्रेजी के तमाम, जानकारीपूर्ण और मनोरंजनात्मक दोनों प्रकार के, कार्यक्रम हिन्दी में डब करके प्रसारित करने की लत-सी लग गई है। इससे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उनके अनुवाद में सुविधा होती है। कहना न होगा कि टेलीविजन ने इस तरह हिन्दी के भाषा वैविध्य और संप्रेषण क्षमता को सर्वथा नई दिशाएँ प्रदान की हैं।

रेडियो, दूरदर्शन चैनलों के आकर्षण से कर्नाटक भी अछूता नहीं है। हिन्दी भाषा का प्रयोग बाहर भले ही कम हो, लेकिन घर-घर में हिन्दी धारावाहिक, चलचित्र, समाचार, परिचर्चाएँ आदि इतने जनप्रिय हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी की गूंज सर्वत्र सुनाई देती है।

इसी प्रकार फिल्म के माध्यम से भी हिन्दी को वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज अनेक फिल्मकार भारत ही नहीं यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं और हिन्दी सिनेमा अहस्कर तक पहुँच रहा है। दुनिया की संस्कृतियों को निकट लाने के क्षेत्र में निश्चय ही इस संचार माध्यम का योगदान चमत्कार कर सकता है। यदि मनोरंजन और अर्थ उत्पादन के साथ-साथ सार्थकता का भी ध्यान रखा जाए तो सिनेमा सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि सिनेमा ने हिन्दी की लोकप्रियता भी बढ़ाई है और व्यवहारिकता भी।

व्यवसाय आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जो हिन्दी की विकास यात्रा में सक्रिय रहे हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तानी अकादमी, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगीय हिन्दी मण्डल आदि संस्थाएँ हिन्दी के प्रचार में निःस्वार्थ कार्य कर रही हैं। हिन्दी में इन माध्यमों का और इन माध्यमों में हिन्दी का बहुत बड़ा महत्व रहा है।

कर्नाटक में भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी की उन्नत शिक्षा का प्रबंध है, जिसका सदुपयोग हजारों कन्नड़भाषी कर रहे हैं। हिन्दी में सामान्य कार्य साधक क्षमता ही नहीं, बल्कि विद्वत्ता प्राप्त करके अध्ययन-अध्यापन, लेखन कार्य से भी जुड़े हैं। आये दिन सेमिनार (गोष्ठियाँ), अध्यापकों के लिए कार्यशालाएँ, यूजीसी प्रायोजित संगोष्ठियाँ, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इत्यादि सहज ही आयोजित किये जा रहे हैं।

जनसंचार माध्यमों ने हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य, हिन्दी संस्कृति को समेटकर हमारे घर तक पहुँचा दिया है। अब हमारा भी कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को और समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाकर विश्व भाषा का दर्जा दिलाए। हिन्दी भाषा को जीवनोपयोगी, व्यवसायमूलक बनाने की दृष्टि से विकसित किया जाए। सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, स्कूलों, कालेजों में व्यापक तौर पर यदि हिन्दी भाषा विकास के लिए इन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा तो हिन्दी अंततः विश्व-मंच पर अपनी अलग पहचान बनायेगी। दिशा मिल रही है। यूनिकोड के प्रचलन से आज अलग-अलग कॉपीराइट फॉण्ट्स की चिंता दूर हो गयी है। 'इंटरनेट टेलीफोनी' के माध्यम से भी प्रचुर मात्रा में हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार विदेशों में हो रहा है। साहित्यकारों के लिए अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंटरनेट उपयुक्त सिध्द हो रहा है। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य हिन्दी के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाने का कार्य इंटरनेट के माध्यम से सुविधाजनक हो रहा है। इंटरनेट पर साहित्य, शब्दकोश, संगीत, इतिहास आदि विभिन्न विषयों की जानकारी होने के कारण अनुसंधाताओं को विचारों आदान-प्रदान करने में सफलता मिल रही है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा के अनुसंधानात्मक विकास में,

अनुसंधान क्षेत्र को नई दिशा देने में 'इंटरनेट' की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही दृष्टिगोचर होती है। "इंटरनेट के माध्यम से मानव के ज्ञान में तीव्रता से वृध्दि होती है। इंटरनेट पर एक सवाल का जवाब खोजने के सिलसिले में कई दूसरे तरह का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, जो अचानक ही खोज के दौरान जाहिर होते है। इंटरनेट की भाषा में इसे 'सिरेनडियिटी' आकस्मिक लाभवृत्ति कहा जाता है।"

हिन्दी भाषा के विकास में इस आकस्मिक लाभवृत्ति का उपयोग हो रहा है। हिन्दी पारिभाषिक शब्दों को सीखने हेतु अब इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, भले ही यह पारिभाषिक शब्दावली हिन्दी व्याकरण के नियम तोड़ रही हो, इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्राचुर्य हो, फिर भी 'इंटरनेट' के माध्यम से हिन्दी का जो सर्वथा भिन्न रुप सामने आ रहा है। इस रूप को हिन्दी पाठक अपना रहा है।

इंटरनेट के लिए हिन्दी का मानक कोश निर्माण करने की जिम्मेदारी समकालीन पीढ़ी की है। अतः इस ओर निर्णायक कदम उठाने होंगे। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोचित हिंदी सॉफ्टवेयर उपकर (Hindi Software Tools) विकसित किया गया है, जिसमें हिन्दी भाषा के यूनीकोड आधारित ओपन टाईप फॉन्ट्स्, कीबोर्ड, ड्राईवर, हिन्दी भाषा के शब्द-वर्तनी जाँचकर्ता, हिन्दी भाषा का शब्दानुवाद टूल आदि विषयों की जानकारी प्राप्त होती है।

वर्तमान समय का विचार किया जाए तो वर्तनीशोधक, कंम्यूटर, कोश, रुपात्मक और वाक्यात्मक विश्लेषक, स्पीच सिंथेसाइजर, रिकगनाइजर, डिकोडर आदि की उपलब्धता के कारण इंटरनेट के माध्यम से हिन्दीभाषा शिक्षण सुदूर पहुँच रहा है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में बदलाव नजर आ रहा है। इंटरनेट में दिन-ब-दिन बदलाव, भाषाई सुधार होकर हिन्दी भाषा शिक्षण पिछड़ी दशा से उभकर नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रख्यात वैज्ञानिक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी कहते हैं- "टेक्नॉलॉजी विज्ञान से भिन्न एक सामूहिक गतिविधि है। यह किसी एक व्यक्ति की बुध्दि या समझ पर आधारित नहीं होती बल्कि कई व्यक्तियों की आपसी बौध्दिक प्रतिभा पर आधारित होती है।" हिन्दी भाषा के विकास हेतु नवीनतम टेक्नॉलॉजी विज्ञान के साथ सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

कर्नाटक में भी इंटरनेट का व्यापक उपयोग आज बढ़ चला है। हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी क्षेत्र में झांकने, हिन्दी में काम करने के लिए एक नयी खिड़की मिल गयी है।

संस्थान के स्मृति शेष पदाधिकारी व कार्यकाल

श्री पवहारी शरण द्विवेदी
अध्यक्ष, कार्यकालः 15.06.1996 से 25.03.2012

स्व. रामकृष्ण गर्ग
कार्यकारी अध्यक्ष, जुलाई 2012 से 23.12.2014

स्व० राजरानी देवी
संरक्षिका, 15.06.1996–20.03.2017

श्री ओकार नाथ दूबे
उपाध्यक्ष, 15.06.1996–2000

डॉ० शहाबुद्दीन नियाज शेख
-कार्याध्यक्ष/अध्यक्ष- 01.10.2014 से 27.02.2024

सुश्री बी.एस.शांताबाई
संरक्षिका : 01.10.2014 से 15.03.2024

श्री विधिश्री पवन चौधरी 'मनमौजी'
-हिंदी सांसद- 30.11.2012 से 1.12.2014

श्री एस.बी.मुरकुटे
प्रचार प्रसार सचिव, 30.12.2004 से अप्रैल 2020

श्री मुखराम माकड़ 'माहिर'
हिंदी सांसद-राजस्थान प्रभारी, 31.10.2012 से मार्च 2018

स्व० गणेश प्रसाद महतो
बिहार हिन्दी सांसद, 30.10.2012 से 2017

हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार-प्रसार

-डॉ.ममता सत्यनारायण
-डॉ.ज्योत्स्ना विमला आरोजा
डी पाल डिग्री कॉलेज, बेलगोला,
मैसूर, कर्नाटक

भारत के दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला इन चार हिन्दीतर राज्यों को ही हम दक्षिण भारत के मुख्य राज्य मानते है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी भाषा ने एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण किया। दक्षिण में हिंदी प्रचार 14 वीं शताब्दी से पूर्व आरंभ हुआ, दक्षिण भारत के संत समाजों, भक्त मंडलियों, व्यापारी केंद्रों तथा तीर्थस्थानों में हिंदी वर्षों पहले से ही एक सामान्य भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी थी। गाँधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अनिवार्य मान लिया। सन् 1918 ई में हिंदी प्रचार के लिए मद्रास शहर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। देवदास गाँधी की निरंतर तपस्या के कारण दक्षिण मे हिंदी पढ़ने वालो की संख्या बढ़ने लगी। महात्मा गाँधी हिंदी सभा के आजीवन अध्यक्ष चुने गए। सन् 1936 मे आन्ध्र, तमिळनाडु, केरला तथा कर्नाटक में प्रांतीय सभाओं का निर्माण किया गया।

आन्ध्र में हिंदी का प्रचार प्रसारः
आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। अतीत में हिंदी भाषी क्षेत्रों से लोग आंध्र आये और वहीं बस गये। वे अपनी भाषा अपने साथ लाए और आंध्र में यह बदलने लगी और थोड़ी अलग होने लगी। आज भी, क्योंकि आंध्र की स्थानीय भाषा संस्कृत के समान है, इसलिए वहां के लोगों के लिए हिंदी सीखना और उसका उपयोग करना आसान है।

भारत के स्वतंत्र होने से पहले पुराने समय में, आंध्र नामक स्थान पर लोग सामान्य बातचीत करते समय एक प्रकार की हिंदी बोलते थे जिसे दक्षिण हिंदी कहा जाता था। लेकिन स्कूलों और मदरसों नामक विशेष धार्मिक स्कूलों में, वे उर्दू नामक एक अलग भाषा सीखते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी नामक भाषा भी सिखाई, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी। उन दिनों, नाटक समूह होते थे जो घूम-घूमकर नाटक करते थे। 1880 में एक बार कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान से नाटक समूह आंध्र प्रदेश आए और हिंदी में नाटक प्रस्तुत किए। इससे आंध्र में हिंदी के प्रयोग को फैलने में मदद मिली।

स्वतंत्र होने से पहले, आंध्र प्रांत और मद्रास को संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक समूह बनाने के लिए एक साथ मिला दिया गया था। स्वतंत्र होने से पहले ही, मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नामक एक समूह था। यह समूह पूरे दक्षिण में लोगों को हिंदी सीखने में मदद करने के लिए बनाया गया पहला समूह था। गांधीजी ने दक्षिण भारत में लोगों को हिंदी सिखाने के लिए 1918 में इस समूह की शुरुआत की थी। समूह ने 1947 तक लोगों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने सभी दक्षिणी राज्यों में हिंदी का प्रसार करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नामक संगठन की मदद और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से, देश के स्वतंत्र होने से पहले ही आंध्र प्रदेश के स्कूलों में हिंदी पढ़ाना शुरू हो गया था। उनका मानना था कि हिंदी पढ़ाना पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी कड़ी मेहनत के कारण, आंध्र प्रदेश में अधिक से अधिक लोग हिंदी सीखने और सराहने लगे।

कर्नाटक में हिंदी का प्रचार प्रसारः
कर्नाटक के लोगों ने हिंदी को बड़े प्रेम से अपनाया है। हिंदी को लोगों पर थोपा नहीं गया और साथ ही हिंदी के प्रचारकों ने राष्ट्रभाषा कन्नड़ का विरोध न करते हुए कन्नड़ के विकास का समर्थन किया। अतः सभी लोगों ने हिन्दी प्रचार आन्दोलन में भाग लिया। कर्नाटक में हिंदी का प्रचार-प्रसार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास में शुरू हुआ। कर्नाटक में प्रचार सभा का मुख्य कार्यालय धारवाड़ में खोला गया। 1924 के आसपास बंगलौर में आर्य समाज

की एक शाखा खोली गई। इसने कर्नाटक में भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया। कर्नाटक के कई हिस्सों में कांग्रेस नेताओं ने गांधीजी के प्रभाव में हिंदी सीखी। मैसूर की हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना 1931 में हुई।

मैसूर में हिंदी के प्रचार-प्रसार में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की बदौलत "हर घर में है हिंदी। चलो क्लास में चलते हैं." मैसूर शहर में, सुश्री सुशीला बाई नागेशराव ने अपने घर में स्थापित महिला संगठन "वनिता सदन" में कई वर्षों तक हिंदी का अध्ययन किया। यह हिन्दी पाठ्यक्रम अब वनिता सदन महाविद्यालय बन गया है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान, कर्नाटक में कठोर शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। विशेषकर गुलबर्ग आदि में। उत्तरी कर्नाटक में बहुत से लोग हिन्दी पढ़ने लगे हैं। जब से हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है तब से हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। केंद्रीय हिंदी विभाग ने कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। इसलिए, कर्नाटक में हिंदी संगठनों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए कई पहल की हैं।

कर्नाटक में हिंदी लेखन की गतिविधियाँ वैसी नहीं चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए। काव्य के क्षेत्र की तुलना में गद्य के क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधि बहुत कम है। आजादी के बाद कुछ युवा लेखकों ने कविता लिखना शुरू किया। उनमें से अधिकांश भारतीय प्रचारक थे। इनमें से कई लोगों ने हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद करना शुरू कर दिया। इनमें गुरुनाथ जोशी, भारती रामनाचार्य, प्रो. नागप्पा, चंद्रकांत कुथनूर प्रसिद्ध हैं।

1960 के बाद कर्नाटक के दो या तीन विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। समूह के कुछ प्रोफेसरों ने लिखना शुरू किया। हिंदी-कन्नड़ शब्दकोश मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहीं से मेरा हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ा।

मैसूर में हिंदी के प्रचार-प्रसार में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की बदौलत "हर घर में है हिंदी। चलो क्लास में चलते हैं." मैसूर शहर में, सुश्री सुशीला बाई नागेशराव ने अपने घर में स्थापित महिला संगठन 'वनिता सदन' में कई वर्षों तक हिंदी का अध्ययन किया। यह हिन्दी पाठ्यक्रम अब वनिता सदन महाविद्यालय बन गया है।

केरल में हिंदी का प्रचार प्रसार : हिंदी भाषा और साहित्य भी केरल में सर्वाधिक लोकप्रिय है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नेतृत्व में केरल के कोने-कोने में हिंदी की पैठ मजबूत हुई है। 1935 तक हिंदी भाषा का प्रसार केरल के गाँव-गाँव तक पहुँच गया था। महिलाएँ भी हिन्दी सीखने और सिखाने लगीं। कौमुदी नामक धौरा स्वयंसेवक ने अपना पूरा जीवन हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए गांधी जी के आह्वान पर समर्पित कर दिया। श्री केरल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दामोदरन उन्नी, जो अच्छी संस्कृत और हिंदी बोलते थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के अतिरिक्त केरल में अनेक हिन्दी सेवा संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। इनमें केरल हिंदी सभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसने अपनी गतिविधियों का दायरा काफी व्यापक रूप से विस्तारित किया है। उनके नेतृत्व में, तिरुवनंतपुरम परिसर में एक स्नातक विद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद केरल विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पूर्णकालिक पढ़ाई शुरू हुई। सभा की मासिक पत्रिका केरल ज्योति है। 1969 में हिंदी और हिंदी साहित्य को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कोच्चि में कोरल हिंदी साहित्य मंडल की स्थापना की गई। उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका को साहित्य मंडल कहा जाता है। इन संस्थानों के अलावा, हिंदी विद्यापीठ, गांधी मेमोरियल हिंदी प्रचार मंडल रामपुरम, गांधी मेमोरियल ग्रामसेवा केंद्र मारारिकुलम, हिंदी प्रेमी मंडल,

केरल हिंदी साहित्य अकादमी आदि संस्थान भी शामिल हैं। हिंदी के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

केरल में हिन्दी में अनेक मौलिक एवं अनूदित रचनाएँ हैं। कविता, उपन्यास, नाटक, आलोचना और निबंध सहित सभी क्षेत्रों में यहां महान योगदान दिया गया है। मूल कृतियों के अतिरिक्त अनेक अनुवादित कृतियाँ भी यहीं सम्पन्न हुईं। 19वीं सदी के अंत में, तिरुवितांकूर के राजा स्वाति तिरुनल, जो एक महान कला प्रेमी थे, ने हिंदुस्तानी में 40 से अधिक गीत लिखे। केरल श्री सबसे महत्वपूर्ण भारतीय कवियों में से एक थे- चन्द्रशेखरन नायर, पी. नारायण, श्रीमती पोन्नम्मा, लक्ष्मीकटियाम्मा, भारतीम्मा आदि। श्री चन्द्रशेखरन नायर की पुस्तक हिमालय गढ़ रहा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। डॉ. जैसे कई कवि एन. रामचन्द्रन नेहरू, डॉ. पी.वी. विजयन, ए. अरविंदाक्षन विशेष रूप से अपने नवाचार और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

कथा साहित्य के क्षेत्र में शोधकर्ता के. नारायण, डॉ. गोविंदा शनाई, श्री. चंद्रशकरण नर जैसे नाम सामने आए। डॉ.गोविंद शेनॉय मिस्टीरियस कुर्ता ओनर, एज कवन हवेल और चोगा एम्स्टर्डम प्रमुख हैं। उपन्यास के संदर्भ में, डॉ. गोविंदा शेनॉय की लघु कहानी 'किन्चिताचेशम' के नाम से जानी जाती है। एन. रमन नेहरू द्वारा लिखित सागर की गलियाँ केरल में लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास है। थिएटर में नमक, त्रियुनी, कुरुक्षेत्र जैता तथा चन्द्रशकरण नायर का योग संगम प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केरल में हिंदी भाषा का वातावरण बहुत समृद्ध है। यह स्पष्ट है कि केरल में भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार: तमिलनाडु में हिंदी के प्रसार का कार्य एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन गांधीजी के प्रयासों से यह आसान और सहनीय हो गया। 1920 के बाद से तमिलनाडु में हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगा। प्रताप नारायण वाजपेई पूर्णतः समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में हिंदी सेवा का आयोजन कर राष्ट्र की अद्वितीय सेवा की। तिरुचिरापल्ली और मदुरै हिंदी के प्रसार के प्रमुख केंद्र थे। एंजेल कई वर्षों तक मदुरै में छात्रा रही। हिन्दी शिक्षण का कार्य पूरा होने के बाद वहाँ के स्थानीय हिन्दी प्रचारकों द्वारा यह कार्य जारी रखा गया। इस दौरान तमिलनाडु के लगभग सभी प्रमुख शहरों में हिंदी का प्रचार-प्रसार शुरू हो गया। कोयम्बटूर में स्थानीय प्रचारकों से, तिरुनेलवेली में नागेश्वर से, कुम्भकोणम में रामचन्द्र शास्त्री से, मन्नारगुडी में कृतिवासा से, आदि।

जब 1930 में रघुवर दयालु मिश्र को तमिलनाडु की हिंदी प्रचार सभा का मंत्री नियुक्त किया गया, तो उनके प्रयासों से तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में हिंदी केंद्र स्थापित हो गये। अपने कार्यकाल के दौरान, के. राजगोपालाचारी ने 1937 में तमिलनाडु के सभी स्कूलों में हिंदी सीखना अनिवार्य करके इस दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की। तमिलनाडु में हिंदी के प्रसार को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए, 1942 में हिंदी प्रचारक विद्यालयों की स्थापना की गई। कोयंबटूर, कुंभकोणम, मन्नारगुडी, तिरुचिरापल्ली आदि शहरों में।

आज तमिलनाडु में बोलने, समझने और पढ़ने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण प्रचार सभा मद्रास और उसके वफादार प्रचारक, प्रोफेसर और कर्मचारी हैं। इस प्रकार, हजारों भारतीय प्रेमियों, देशभक्तों, भारतीय मिशनरियों, भारतीय विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय भाषा को तमिल में प्रचारित करने के लिए अपने-अपने तरीके से योगदान दिया। तमिलनाडु में हिन्दी में बहुत कम पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। समाचार पत्र 'सिटी एक्सप्रेस' प्रकाशित होता है। इसके अलावा, 'एक्सचेंज' यहां से प्रकाशित एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिका है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह काफी संतोषजनक है।

निष्कर्ष : हिंदी भाषा और कहानियों को दक्षिण भारत के उन हिस्सों तक फैलाने में मदद मिली जहां हिंदी आमतौर पर नहीं बोली जाती है।

दक्षिण भारत की प्राचीन हिंदी कहानियों पर नजर डालने से पता चलता है कि उस देश के इतिहास और संस्कृति ने हिंदी बोलने और लिखने के तरीके को प्रभावित किया है। जिन लोगों और संस्थाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी हिंदी को बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, वे प्रशंसा के पात्र हैं। आज हिन्दी इन क्षेत्रों में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उन क्षेत्रों में जहां हिन्दी प्राथमिक भाषा है।

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान के पदाधिकारी

संरक्षक

प्रो०(डॉ०) सूर्य प्रसाद दीक्षित

संरक्षक

श्री जुगुल किशोर तिवारी

संरक्षक

श्री राजकिशोर भारती

कार्याध्यक्ष

ओम प्रकाश त्रिपाठी
प्रबंध/वित्त सचिव

उपाध्यक्ष

डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके
संयुक्त सचिव

सचिव

डॉ० गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी
विदेश सचिव

लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ० जया शुक्ला

ईश्वर शरण शुक्ल

डॉ० रेवानंदन द्विवेदी

तेलुगु और हिन्दी भाषा में साम्यभाव

-डॉ.वैशाली सालियान
प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय संध्या कॉलेज, मंगलूरु, कर्नाटक

हमारा भारत एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। प्रत्येक भाषा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इन बाह्य विभिन्नताओं में आंतरिक एकता को स्थापित करने वाली मूल शक्तियों में भाषा और साहित्य का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ तक हम हिन्दी भाषा और उसके साहित्य की बात करें तो वारान्निकोव ने स्पष्ट लिखा है कि -"एक ही जनगण को, जिसमें निर्माणधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि, एक राज्य के ढ़ाँचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न-भिन्न भाषाएं अर्थात् हिन्दी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता।"[1] अतः हिन्दीतर क्षेत्र में हिन्दी भाषा और साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्क संगत और वैज्ञानिक है। भाषा वैज्ञानिकों ने भारत में आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाओं को प्रमुख माना है। आधुनिक युग के संदर्भ में दक्षिण के चार प्रान्तों की भाषाएँ द्रविड़ परिवार से आती हैं वे है- तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम शेष भारत की आर्य भाषाएँ है। दक्षिण की इन चारों भाषाओं की अपनी- अपनी एक विशिष्ट लिपि है। हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी द्वितीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। दक्षिण में हिन्दी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं होती है। यहाँ हिन्दी राजभाषा की अनिवार्यता के रूप में व हिन्दी भाषियों के आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त होती है। कहना उचित ही होगा कि हिन्दी भाषा का दक्षिणी भाषाओं के साथ एक साम्य का भाव रहा है। विलियम कैरे ने हिन्दी के साम्यभाव के प्रति विस्तार से बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है, "इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूँगा।"[2]

भारत की ज्यादातर भाषाओं के साहित्य की बात की जाए तो सभी का साहित्य एक ही प्रकार की सांस्कृतिक विचारधारा से ओत-प्रोत है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ की विविध भाषाओं के बीच में सांस्कृतिक कार्यों का आदान-प्रदान संस्कृत के माध्यम से हुआ।

बाद में पालि, प्राकृत जैसी भाषाओं दक्षिणी भाषाओं के द्वारा यह कार्य संपन्न होने लगा। सांस्कृतिक कार्यों का आदान-प्रदान के इस महान कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम आंध्र से हुआ। आपस्तम्ब हाल, वल्लभाचार्य, पंडितराज जगन्नाथ आदि महर्षियों, विद्वतजनों, मनस्वियों की कर्मठता ने आंध्र को समग्र भारत से मिला दिया। हिन्दी साहित्य को स्वर्णिम शोभा प्रदान करने वाली कृष्ण भक्ति शाखा को ऊर्जस्वित करने का श्रेय श्री वल्लभाचार्य की 'नखचंद्र छटा' को ही जाता है। सूरदास ने हिन्दी साहित्य को हृदय दिया, वहीं श्री वल्लभाचार्य ने पवित्र गोदावरी से अभिमिश्रित स्फीत बुद्धि से ब्रज को परिशुद्ध किया था। आन्ध्र का हिन्दी भाषा और साहित्य के साथ दो प्रकार का संबंध रहा है - पहला राष्ट्रीय दूसरा सांस्कृतिक। राष्ट्रीय सम्बन्ध सन् 1918 के बाद ही यथार्थ रूप में उभर कर आता है। उससे पहले सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ही आन्ध्र ने अपनाया था। इस बात का साक्षात प्रमाण पद्माकर की प्रभातिक 'काव्य माधुरी' है। इसी संदर्भ में पुरुषोत्तम नादेल्ल, श्री कृष्णमूर्ति शिष्टु आदि विद्वानों ने अपनी सांस्कृतिक तथा साहित्यिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। श्री कृष्णमूर्ति शिष्टु ने तुलसीदास के 'रामचरितमानस' का पद्यानुवाद तेलुगू में किया। अब तक के प्राप्त अनुवादों में यही 'मानस' का पहला आन्ध्रनुवाद है। इसे दोहा, चौपाई,

छन्दों में अनुवाद किया गया है। श्री कृष्णमूर्ति ने इसका अनुवाद अरण्यकाण्ड में मारीच वध तक किया है। बाकी का अनुवाद मण्डनहरि जी ने किया। इसका रचनाकाल 1880 के लगभग है। 'मानस' के अनुवाद की ओर जब लेखकों का ध्यान आकृष्ट हुआ उसी अवधि के दौरान हिन्दी नाटकों का प्रदर्शन आन्ध्र में होने लगा था। इस में नादेल्ल पुरुषोत्तम का नाम नाटककारों की श्रेणी में आता है। 1884 से 1886 के बीच कई हिन्दी नाटकों का रंगमंचन किया। इनके द्वारा रचित 13 हिन्दी नाटक की पाण्डुलिपियाँ वारंगल आर्टस कॉलेज के प्राध्यापक श्री भीमसेन निर्मल के पास है। इस युग को 'प्राचीन युग' के नाम से जाना जाता है ।

इसके उपरांत अठारहवीं शती के अंतिम चरण में तैलंग ब्राह्मण 'पद्माकर' भी इसी परंपरा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उपर्युक्त महानुभावों ने भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण को एक नया दृष्टिकोण दिया। भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण को राष्ट्रीय रूप में परिणित करने का श्रेय सर्वप्रथम सन् 1918 में महात्मा गांधी को जाता है। उन्होंने ही भारतीय सांस्कृतिक चेतना को भाषा के सहारे ही आगे बढ़ाया। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इन्दौर में हुआ था। गाँधीजी ने इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी को अखिल भारतीय रूप प्रदान करके उसका राष्ट्रीय महत्त्व समझाया था। उस समय तक नागरी प्रचारिणी सभा, काशी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का दृष्टिकोण हिन्दी भाषी प्रांतों तक ही सीमित था। इसके पश्चात ही दक्षिण में हिन्दी का प्रचार-प्रसार आरंभ हुआ और मई सन् 1918 में साहित्य सम्मेलन का कार्यालय मद्रास में स्थापित हो गया। महात्मा गाँधी के पुत्र देवदास गांधी के द्वारा ही राष्ट्रवाणी हिन्दी की आराधना दक्षिण में प्रारंभ हुई। इसी समय हिन्दी भाषा ने आन्ध्र से भी अपना संपर्क स्थापित कर लिया था। रामानंद शर्मा, रामभरोसे, देवदास गाँधी के साथ हृषीकेश शर्मा, मोटूरि सत्यानारयण जैसे उत्साही आंध्र युवकों ने भी राष्ट्र के स्पृहणीय कार्य में अपना अहम योगदान दिया व हिन्दी साहित्य के सर्जन की संजीवनी प्रेरणा संचरित कर गए थे। इस राष्ट्रीय धारा के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित साहित्यिक साधना भी उमड़ उठी। सर्वश्री जन्ध्याल शिवन्न शास्त्री, ओरुगण्टि वेंकटेश्वर शर्मा आदि उत्कृष्ट लेखकों ने हिन्दी में लिखने का सराहनीय कार्य किया। इस काल को 'प्रबोध युग' माना गया। सन् 1918 से 1935 तक का प्रबोध काल आंध्र के हिन्दी आन्दोलन में देखा जा सकता है। इसे 'जागरण काल' के नाम से भी संबोधित किया गया। आंध्र ने एक सामान्य भाषा की आवश्यकता को महसूस किया। जिससे सांस्कृतिक समरसता द्वारा भारत को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सके। सन् 1936 तक हिन्दी का प्रचार-प्रसार आन्ध्र की शिक्षित जनता ने किया। इसके पश्चात आन्ध्र सरकार ने हिन्दी भाषा को मान्यता देकर इसे विद्यालय में प्रवेश दिया। सन् 1937 से सन् 1938 तक आन्ध्र में हजारों की संख्या में युवकों को हिन्दी पढ़ने व लिखने के लिए प्रेरित किया गया। तेइस साल की इस अवधि को 'प्रचार युग' या 'साधना-युग' माना जा सकता है। इस अवधि में सर्वश्री राममूर्ति रेणु, आरिगपूडि, सूर्यनारायण चार्वाल, नरसिंह मूर्ति राचरॉड, हनुअमच्छास्त्री अयाचित आदि कई उभरते लेखक आन्ध्र में स्थापित हो गए थे, जिन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दी उत्तर भारत की एक प्रान्तीय भाषा नहीं है वरन् सारे राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सन्

हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी द्वितीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। दक्षिण में हिन्दी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं होती है। यहाँ हिन्दी राजभाषा की अनिवार्यता के रूप में व हिन्दी भाषियों के आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त होती है। कहना उचित ही होगा कि हिन्दी भाषा का साथ एक साम्य का भाव रहा है।

1950 में भारत के संविधान को आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि आन्ध्र में भी हिन्दी का प्रचार पहले से दो गुना अधिक हो गया। अतः 1950 से लेकर अब तक का यह दशक 'विकास युग' के रूप में जाना जाने लगा। इस संपूर्ण विवेचना से हम यह कह सकते है कि आन्ध्र प्रदेश में हिन्द साहित्य की व्याप्ति को चार युगों में हम विभाजित कर सकते है- प्राचीन युग-सन् 1918 से पहले, प्रबोध युग-सन् 1918 से 1935 तक, साधना युग-सन् 1937 से 1949 विकास युग-सन् 1950 से अब तक।

आधुनिक समय संदर्भ में यदि हम शोध कार्य की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें तो आन्ध्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रथम आचार्य श्री ओरुगण्टि वेंकटेश्वर शर्मा ने पहली बार तुलनात्मक अध्ययन का महत्त्व तेलुगू भाषी विद्वानों के समक्ष रखा। शोधकर्ताओं में पाण्डुरंगराव मुरली ने सन् 1957 में तेलुगू और हिन्दी नाटक साहित्य की तुलना करके नागपुर विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। साथ ही राजन राजू ने हिन्दी और तेलुगू के आधुनिक काव्य साहित्य की तुलना और सूर्यनारायण 'धवल' ने दोनों भाषाओं के प्रबन्धों के काव्य शिल्प की तुलना की है। वर्तमान में आन्ध्र के समस्त विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन और शोध हो रहा है। साथ ही तेलुगू की प्रमुख कृतियाँ हिन्दी में अनदित होकर उपलब्ध हैं।

इस प्रकार हम कह सकते है कि हिन्दी साहित्य की अनेक रूपात्मक साधना आज तेलुगू भाषा में दिखाई दे रही है। 'आन्ध्र के हिन्दी कवि' में 43 कवियों की रचनाएँ उनके परिचय के साथ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। इस पुस्तक को मगनचन्द वेदी, 'सहकारी जन साहित्य प्रकाशन समिति' हैदराबाद की ओर से प्रकाशित किया गया है। हिन्दी में प्रकाशित 'कल्पना' व 'संकल्प' अनेक वर्षों से प्रकाशित पत्रिका है। इस प्रकार हम कह सकते है कि दक्षिण के आन्ध्र क्षेत्र की तेलुगू भाषा का संबंध हिन्दी से सर्वाधिक निकट है। अतः भारत की बहुभाषी राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में हिन्दी का दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ एक अटूट संबंध स्थापित हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :

1– बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास-हिन्दी भाषा, जाति और साहित्य पृष्ठ- 21

2– हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास-हिन्दी का स्वरूप और हिन्दी भाषी क्षेत्र, पृष्ठ- 18

3– भारतीय साहित्य- लक्ष्मीकान्त पाण्डेय व प्रमिला अवस्थी, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद

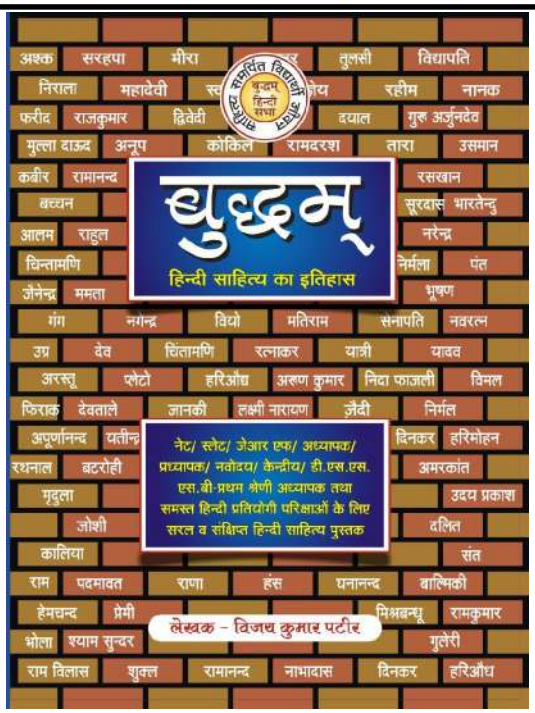

लेखक : विजय कुमार पटीर (हिन्दी साहित्य का साहित्य)

मूल्य : 500/रुपये

प्रकाशक : विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

राजभाषा कैसे बने राष्ट्रभाषा!

-डॉ. सुबिया फैसल
संपर्क सूत्र- 9525520360
रायपुर, छतीसगढ़

विश्व की भाषा बनने के सभी गुण हिन्दी में विद्यमान है। हिन्दी प्राचीनकाल से पूरे भारत की जन-जन के परस्पर संपर्क की भाषा रही है। भक्तिकाल के कवियों ने हिन्दी में साहित्य रचनाएँ की और मार्गदर्शन किया। केवल उत्तरी भारत के नही बल्कि दक्षिण भारत के साहित्यकारों व आचार्यों आदि ने भी हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने-अपने विचारों को प्रस्तुत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक सम्मेलन में भाषण के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। यह संभव हो सकता है, जब हिन्दी को बिना भेदभाव के पूरे भारत में अपनाया जाए। इसके लिए हमें हर क्षेत्र में प्रयास करना होगा। अहिन्दी राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल देना होगा। हिन्दी भाषा की क्लिष्टता को कम करना होगा ताकि बोलने समझने में सरलता आए। मनुष्य का स्वभाव है कि वह आवश्यकता होने पर ही नई चीजों को अपनाता है। अगर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा की तो वैश्विक प्रसार के कारण और हर क्षेत्र में अनिवार्य होने के कारणा अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ है, इसी तरह अगर हम हिन्दी भाषा को अपने देश के अधिकतर क्षेत्रों जैसे व्यापार, रोजगार, शिक्षा संबंधित क्षेत्रों से अनिवार्य रूप से जोड़ दें तो वह दिन दूर नहीं कि हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर न केवल बैठेगी अपितु पूरे देश पर राज करेगी।

यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो इसके लिए हमें एक ही भाषा को अपनाना होगा जो कि स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रधान साधन होती है। इसी के चलते हिन्दी भाषा के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला स्वतंत्रता के पश्चात लिया गया। "हिन्दी भाषा को संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा माना और 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई।"[1] स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस कानून के साथ-साथ एक कानून और बना और उसमें यह बात सामने आई कि अनुच्छेद 343 के तहत 15 वर्ष तक हिन्दी, अंग्रेजी की सहभाषा के रूप में प्रयोग होगी"[2] और आज तक यह कानून लागू है। यही वजह है कि स्वतंत्रता के इतने दिन बाद भी हिन्दी भाषा को वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह हकदार है। भारत देश के ही कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में तो हिन्दी भाषा की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे देश के गिनती के राज्यों में ही हिन्दी पूर्ण रूप से प्रयोग की जाती है। यह राज्य, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब आदि। अब सवाल यह उठता है कि हमारी राजभाषा एवं मातृभाषा हिन्दी अपने ही देश में अपने अस्तित्व को बना, रखने की चिंताजनक स्थिति में क्यों है?

जबकि देखा जाय तो वर्तमान परिदृश्य में बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत् में धीरे-धीरे अपना स्वरूप बिंबित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है, वैसी

किसी और भाषा में नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र-पत्रिकाएँ लगभग नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित हो रही है।

हिन्दी भाषा का विकास, समस्या व समाधान :- संविधान में जब हिन्दी को अंग्रेजी की सहभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई इसी बात ने हिन्दी की लोकप्रियता को समाप्त कर दिया और अहिन्दी राज्यों को उनकी मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को चुनने का विकल्प सामने आया यही कारण है कि अहिन्दी राज्यों में हिन्दी भाषा की स्थिति आज भी चिंताजनक है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि हिन्दी की लोकप्रियता हिन्दी के क्लिष्ट और कठोर रूप के कारण भी कम हो रही है। हिन्दी का संस्कृत भरा तत्सम कठोर रूप, जो भाषा वैज्ञानिकों को तो रास आता है परन्तु आम बोलचाल की हिन्दी भाषा इससे बहुत दूर है। पुस्तकों में प्रयोग होने वाली भाषा और घरों में रोजमर्रा के जीवन में बोले जानी वाली भाषा दोनों अलग-अलग है। अहिन्दी राज्यों में अगर बोल-चाल की भाषा के रूप में हिन्दी का विकास हो भी जाए तो पुस्तकों में हिन्दी भाषा का क्लिष्ट रूप इसके विकास में बाधक बनेगा। इसका समाधान यही होना चाहिए कि हमें हिन्दी का सरल, सुगम रूप का प्रचार-प्रसार करना होगा जहां संस्कृत शब्दों का प्रयोग कम से कम हो पढ़ने व प्रयोग में लाई जाने वाली हिन्दी भाषा का एक जैसा रूप होना बहुत आवश्यक है।

हिन्दी भाषा का देश की अन्य भाषा के साथ सौहाद्र और सामंजस्य

वर्तमान परिदृश्य में बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत् में धीरे-धीरे अपना स्वरूप बिंबित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है, वैसी किसी और भाषा में नहीं।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के विकास को बल देगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है- हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी "जिनकी मातृभाषा गुजराती भाषा थी और उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी स्वराज गुजराती में ही लिखी। अंग्रेजी भाषा से उन्होंने बैरिस्टरी की और वह उनकी आजीविका एवं विश्व संपर्क की भाषा थी। उनकी भाषा-नीति का आधार स्वतंत्रता, एकता स्थापित करने वाली भाषा हिन्दी भाषा परस्पर सौहार्द्र की भाषा रही।"[3] वर्तमान में हिन्दी भाषा राजभाषा के संदर्भ में बात करें तो "वर्तमान में हमारी हालत क्या है? हम आपस में पत्र व्यवहार गलत-सलत अंग्रेजी में करते हैं। हमारे एम.ए. पास युवा भी इस मानसिकता से मुक्त नहीं है। हमारे विद्वान अच्छे से अच्छे विचार अंग्रेजी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्या यह दुखद नहीं कि न्याय के लिए न्यायालय जाता हूं तो मुझे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, बैरिस्टर बन जाने के बावजूद मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी दूसरे को मुझे मेरी भाषा में अनुवाद करके समझाना होगा। यह कितना हास्यास्पद है।"[4] अंग्रेजी भाषा बुरी भाषा नहीं है। आधुनिकता के चलते अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। परन्तु अपने संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने के लिए, हिन्दी भाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हिन्दी भाषा से जुड़ा रहना और हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार करना अब जरूरी हो गया है। हिन्दी हमारी पहचान है। हमें अपनी राजभाषा मातृभाषा हिन्दी पर गर्व होना चाहिए। हिन्दी भाषा का अहिन्दी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने व हिन्दी भाषा को सरलता से दूसरी भाषाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के

बिन्दु पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी पुस्तक में गिरिराज किशोर जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि हर सभ्य भारतीय को अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दू है तो संस्कृत, मुस्लिम है तो अरबी, पारसी है तो फारसी सीखनी चाहिए हिन्दी का ज्ञान सबको होना चाहिए। कुछ हिन्दुओं को अरबी और फारसी आनी चाहिए, कुछ मुसलमाान और पारसी संस्कृत सीखे। उत्तर और पश्चिम भारत के लोग तमिल सीखे और सम्पूर्ण भारत के लिए सार्वभौमिक भाषा के रूप में हिन्दी रहे।"5

हम सभी यह मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आगे नहीं बढ़ता, नये अनुभवों का स्वागत नहीं करता, वह पीछे रह जाता है। यही नियम हिन्दी भाषा के लिए है। हमें अहिन्दी राज्यों में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषा के सरल सुगम रूप को वहां तक पहुंचाना होगा। सभी भाषाओं से सामंजस्य स्थापित करने वाली हिन्दी के सरल व सुगम रूप से सभी को परिचय करवाना होगा। वर्तमान में विश्व की दस सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से हिन्दी एक है। जनतांत्रिक आधार पर हिन्दी विश्व भाषा है और पूरे भारत में कहीं कम व कहीं ज्यादा आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम भाषा हिन्दी सारे देश के लिए परम आवश्यक है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी एक जगह राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। यह संभव होगा जब हर क्षेत्र में हिन्दी के विकास पर बल दिया जाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को प्राथमिक भाषा बनाकर, हिन्दी भाषा को इंटरनेट से अधिक से अधिक जोड़ कर, देश के कोने-कोने में हिन्दी साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और फिर प्रोत्साहन करके, हिन्दी भाषा को रोजगार के क्षेत्रों में बढ़ावा देकर, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अन्य ऑनलाईन क्षेत्रों में हिन्दी की सामग्री प्रस्तुत करने आदि से हम अहिन्दी राज्यों के साथ-साथ पूरे विश्व में हिन्दी भाषा का परचम लहरा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थः

1–भाटिया कैलाशचन्द्र, चतुर्वेदी मोतीलाल "हिन्दी भाषा विकास और स्वरूप" प्रकाशन-ग्रन्थ अकादमी, पुराना दरियागंज, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या-162

2-डॉ- मिश्रा कुमार महेन्द्र 'हिन्दी पत्रकारिता' प्रकाशन-दिव्यम् प्रकाशन दिल्ली, 2022, पृष्ठ संख्या-35

3-भाटिया कैलाशचन्द्र चतुर्वेदी मोतीलाल 'हिन्दी भाषा विकास और स्वरूप', ग्रन्थ अकादमी पुराना दरियागंज, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या-11

4-किशोर गिरिराज, "हिन्दी स्वराज गांधी का शब्द अवतार", सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली 2009, पृष्ठ संख्या-169

5----वही ----, पृष्ठ संख्या-170

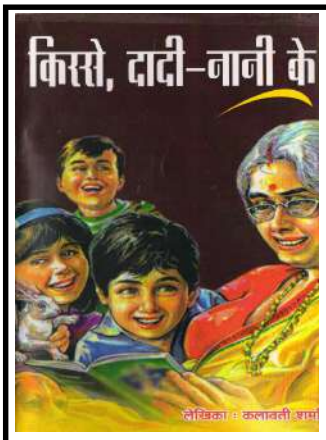

उपन्यासकार : कलावती शर्मा (बाल उपन्यास)

मूल्य : 200/रुपये

प्रकाशक :

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

लेखक : डॉ० गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

मूल्य : 150/रुपये

प्रकाशक :

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

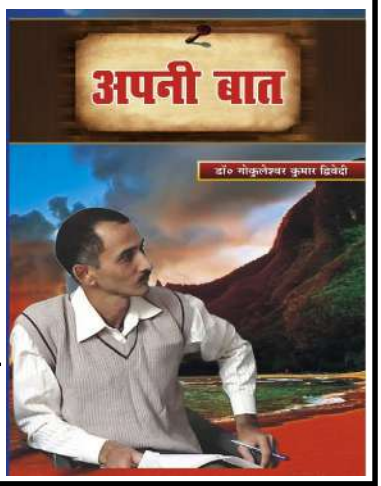

उसका सूरज

बहुत सोचती थी वह
आज काली रात है
कल
जरूर सुबह होगी
दूसरे दिन देखा
सूरज तो निकलने वाला था
कि अचानक
काले बादल छा गए
सोचा कोई बात नहीं
कल जरूर उगेगा सूरज
मेरे जीवन का अंधकार जरूर खत्म होगा
अगली सुबह
सूरज तो निकला
लेकिन अफसोस
सूरज को खग्रास ग्रहण था
और एक दिन सूरज बिना बीत गया
इस तरह एक एक दिन बीतता रहा
उसके हिस्से का सूरज
टुकडों टुकड़ों में
औरों को
रोशनी बांटता रहा
जिंदगी का सूरज देखने की चाह में
उसके जीवन का अंधियारा अधिक गहराता रहा
अचानक
एक दिन वह अस्सी वर्ष की हो गई
और
उसके जीवन का प्याला रीत गया

नहीं माँ

नहीं माँ
मैं
अभी जन्म नहीं लूंगी
अभी
अगर मैं जन्म लूं
तो
तुम्हें माँ का दर्जा नहीं मिलेगा
बेटी को
जन्म देने की सजा मिलेगी।
मेरे पिता के लिए
मैं
संतान नहीं
एक बोझ हूं
और तुम
एक प्रतिष्ठित माँ नहीं
एक
मजबूर माँ हो।
तुम
मुझे देखकर रोओगी
पता नहीं
अपने आँचल की
छाँव दे पाओगी या नहीं
ममता से मुझे सहला पाओगी या नहीं।
तुम कायर हो
तुम्हें मुक्ति की चाह नहीं
घायल होना, बेचारी कहलाना
खुद को आहत करना
तुम्हें अच्छा लगता है।
ये तुम्हारी बेबसी नहीं
जर्जर खोखली व्यवस्था
के प्रति समर्पण है।
मुझे
बेचारी बनकर नहीं, स्वतंत्र मनुष्य
बनकर जीने की
चाह है माँ।
अगर मैं अभी जन्मी
तो
विरासत में

तेरी
कुण्ठा, लाचारी
कायरता ही पाऊंगी
और
या तो
मार डाली जाऊंगी
या

कितनी परीक्षाएँ देनी होगी
मुझे अपनी पवित्रता की
कितनी बार मेरा दामन
हटाया जाएगा
ये देखने के लिए कि
उसमें कोई दाग तो नहीं
कितनी बार मेरे चेहरे
को देखा जाएगा
उसमें लगी कालिख
को ढूंढने में।
कितनी बार पूछा जाएगा
हर शख्स से जोर देकर
मेरे अतीत के बारे में
माता ने उस युग

मुझे सपने नहीं आते
रोमांस के
न हँसी आती है
नग्नता पर!
मेरे कानों में
गूंजती हैं..
चीखें
युद्ध में अनाथ हुए
बच्चों की
और
वक्षस्थल ढांपने को
प्रयासरत..
अर्ध-जीवित स्त्रियों की
एक दिन
तुझ जैसी
बेबस कायर
माँ कहलाऊँगी।
नहीं माँ..
मैं अभी जन्म नहीं लूंगी।

सीता की व्यथा

में अग्नि परीक्षा दे दी थी
यह तो तय नहीं था
हर युग में परीक्षा
उसे देनी होगी।
कभी परीक्षा लेने
वाले शख्स से भी
पूछा जाना चाहिए
कि उसने भी
कभी कोई परीक्षा
उत्तीर्ण की है
मेरा मत है कि
धातु उतनी खोटी नहीं
जितनी कसौटियां झूठी है

चुप्पी

सिसकियां।

मुझे लगता है
धिक्कारते हैं
दूर तक बिखरी राख को
थरथराती सांसों से छूते हुए बुजुर्ग!
मुझे टीसती हैं
बिना सपनों की
असंख्य आँखें।
मुझे बहुत बेचैन करते हैं
उन आँखों के
संघर्षरत..

-डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके
सुशिला सोसायटी, प्लॉट क्रमांक 5, जरी पटका, पोस्ट आफिस, अजय जीम के पीछे, जरी पटका रींग रोड, नागपुर–440014, महाराष्ट्र
का0: 9145248527

-डॉ० कैलाश नाथ चतुर्वेदी
निवर्तमान अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश
संपर्क : 992, सुदामा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश-452009

प्रश्न!
सुनो..
मुझे नींद के साथ-साथ
अब..
सपने भी नहीं आते!

-रश्मि 'लहर'
इक्षुपुरी कालोनी, लखनऊ -226002
मो०: 9794473806

नित्य अवतरण है

तुम्हारी सांसों से मिली जिंदगी
उनकी खुशबू ही मेरी बंदगी
चाँद सी घटा समेटे
नित्य अवतरण है।

आँखों में ममतामयी छवि
पलकों पर सपनों का रवि
इन बोलती आँखों का
नित्य अवतरण है।

वाणी से पिघले सत्य
कार्मिका निष्ठा निर्भया
अमृता सी वांगमयी का
नित्य अवतरण है।
अनन्य प्रेम में खोया अज्ञानी
तन-मन समर्पित अमानी
ब्रह्माण्डीय ऊर्जा का
नित्य अवतरण है।

अलकों में मधुमास लिए
नव सष्जन का साध लिए
इंद्रधनुषीय तूलिका सी
नित्य अवतरण है।

प्रेम पराग समेटे अंक में
मधुर स्नेहाचरण कर्म में
दिनमान सी तेजस्विता का
नित्य अवतरण है।
चंद्रमा सी शीतल
कर दे तन-मन निर्मल
सौम्या सी मूरत का
नित्य अवतरण है।

सुपथ की नेत्री दर्शाता
ओजमयी प्रखर दिव्यता
देवी स्वरूपा दुर्गा का
नित्य अवतरण है।

-डॉ. कृष्णा मणिश्री
संपर्क : ब्लॉक अ-601, डैमडेन सोलारियंम, हेब्बाल इंडस्ट्रियल एरिया, राणे मैड्रास फैक्टरी रोड, मैसूर-570018, कर्नाटक

आज की स्त्री

कभी-कभी वह नहाने में अधिक
समय लगा देती है
ताकि वह खुद के साथ
अकेले में रो सके।
आँसुओं के साथ दुखों को धो सके

तैयार होते हुए
अकेले कमरे में भी
गुजार देती है ज्यादा वक्त
ताकि ढक सके मेकअप से
चेहरे की उदासी
और ला सके वह नूर जिससे
उसके पति की लाज बच सके।

कभी कभी वह
इंतजार करती है
कब सब घर से बाहर निकलें
और उसे समय मिले
कि वह रो सके
दिल खोल कर।
अकसर बाहर जाते वक्त
जींस को कस कर बांध लेती है
बेल्ट से
ताकि लोगों को
अपनी मजबूती का सबूत दे सके
बता सके वह कितनी आजाद है।

खर्च कर देती है किसी
मॉल में ज्यादा वक्त
यह सोच कर
बाजार में मोल भाव करने में
वक्त जाया होगा।

अक्सर देर रात वह ऑर्डर कर लेती है
खाना बाहर से
क्योंकि उसे समय नहीं मिला
खाना बनाने का।

वो वक्त जो उसे देने के लिए
किसी के पास होता ही नहीं।

-डा. शाफिया फरहिन
7/95/1, गुट्टाल रोड, सादत नगर, मंड्या, कर्नाटक-571403
shafiyafarheen01@gmail.com,
मो0: 9035506186

लिखना है गर

भूली बिसरी यादें लिखना
बीते पल की बातें लिखना
कोरे पन्ने पर जीवन की
बचकानी शरारतें लिखना।
इक पल भी गर मिला हो कोई
कुछ उसकी मुस्कुराहटें लिखना
गुमसुम काटी है जो तुमने
वो उजियारी रातें लिखना।
लिखना ना तुम दर्द कहीं भी
दिल के सब जज्बातें लिखना
याद आएं जब ख्वाब बुरे तो
सपनों की बारातें लिखना।
बिन मांगी बद्दुआ छोड़कर
तुम माँगी हुई मुरादें लिखना
थाम लिया गर दोस्त किसी का
छूटे ना वो साथें लिखना।
लिखना है गर 'शान' तुम्हें तो
बिन बादल बरसातें लिखना
तेरी कलम भी लिखती हों तो
बस प्यारी सौगातें लिखना।
मीठी मीठी बातें लिखना
भूली बिसरी यादें लिखना।

-संतोष शर्मा 'शान'
संपर्क : ग्राम सूरतपुर, पोस्ट-मैंडू, जिला- हाथरस, उ.प्र.
मो०: 8650803221

मेरी नन्ही परी

तुम्हारा आना
इस दुनिया में
तुम्हारे आने का
इंतजार करना
मेरा दूसरा नाम बन गया था।
जब गर्भ में,
तब भी इंतजार
दिन, हफ्ते और महीने
हर पल इंतजार।
इस दुनिया में
आने की घोषित तिथि
अंत में लंबे
इंतजार के बाद
तुम्हारा आना।
तुम्हारा इस दुनिया में
पहली बार
आंखें खोलना
मुझे पहचानने की
कोशिश करना
तुम मुश्किल से
इस दुनिया में आई
सबने कहा
ये मेरा दूसरा जन्म है
पर तुम्हारे लिए
मैं हजारों जन्म
ले सकती हूँ।
तुम्हारा धीरे - धीरे बढ़ना
मेरे धैर्य की परीक्षा थी
तुम्हें जिंदगी की
एक बूंद
पिलाने के लिए
मैं सारी जिंदगी
लाइन में लग सकती हूँ।
आज तुम्हें बड़ा देखकर
मेरा मन हर्षित है
तुम्हारी हर उपलब्धि पर
मैं गर्व करती हूँ।
जीवन में
हो सकता है
कभी तुम्हारा साया भी
तुम्हारा साथ छोड़ दें
पर मुझे तुम
हमेशा अपने
पास पाओगी
मैं दुनिया में
रहूँ या न रहूँ,
मेरी आत्मा हमेशा
तुम्हारे साथ रहेगी।

-कनुप्रिया चतुर्वेदी
पत्नी श्री वरुण चतुर्वेदी फ्लैट नबंर-203 सिनकौन सिटी नियर टा नाहर अमृत शक्ति रोड, चांदीवली मुंबई, महाराष्ट्र-40072

आदिवासी कैसे बना है!

आदिवासी अपमानों को सहकर बना है।
आदिवासी आत्मावलोकन से बना है।
आदिवासी इच्छाओं से बना है।
आदिवासी ईर्ष्या छोड़कर बना है।
आदिवासी उमंग और उत्साह से बना है।
आदिवासी ऊर्जा अर्जित करके बना है।
आदिवासी ऋजु मार्ग से बना है।
आदिवासी एहसान से बना है।
आदिवासी ऐंद्रिय निग्रह से बना है।
आदिवासी ओज से बना है।
आदिवासी औदार्य से बना है।
आदिवासी अंतर्युद्ध से बना है।
अतः आदिवासी बना है।

आदिवासी कर्तव्य पालन से बना है।
आदिवासी खरा उतरकर बना है।
आदिवासी गर्व से बना है।
आदिवासी घसीटने से बना है।
आदिवासी चतुराई से बना है।
आदिवासी छड़ी की मार सहते हुए बना है।
आदिवासी जज़्बातों से बना है।
आदिवासी झंझटों का सामना करके बना है।
आदिवासी टस से मस न होकर बना है।
आदिवासी ठहाकों को झेलकर बना है।
आदिवासी डर से निडर होकर बना है।
आदिवासी भर्त्सना सहकर बना है।
आदिवासी तपने से बना है।
आदिवासी थकान से बना है।
आदिवासी दक्षता से बना है।
आदिवासी धड़कन से बना है।
आदिवासी नम्रता से बना है।
आदिवासी पहचान से बना है।
आदिवासी फटकार से बना है।
आदिवासी बचने से बना है।
आदिवासी भरसक कोशिशों से बना है।
आदिवासी मजबूती से बना है।

आदिवासी यत्न से बना है।
आदिवासी रवैये से बना है।
आदिवासी लक्ष्य से बना है।
आदिवासी वर्चस्व से बना है।
आदिवासी शराफत से बना है।
आदिवासी षड्यंत्र से बचकर बना है।
आदिवासी सत्संग से बना है।
आदिवासी हर्ष से बना है।

आदिवासी बना है वर्णमाला के अक्षरों की तरह
कभी ह्रस्व, कभी दीर्घ
कभी अल्प, कभी वृहद
कभी बंद, कभी खुला
कभी टकराहट, कभी घबराहट
कभी गोल, कभी ढोल।
यही है आदिवासी का अब तक का सफर,
उस पर लिखते-लिखते बीत जाएँगे पहर।

-रामाकृष्णना के. एस.
सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, सुलिया, डी.के., कर्नाटक मो०: 9845392610

हिन्दी

हिंदी हिंद की भाषा है
सदा कीजिए मान।
अलंकृत होती इक बिंदी से
बढ़ाती भाषा का अभिमान।
हिंदी का इतिहास पुराना
व्याकरण का अंतहीन खजाना।
बावन वर्णों का अजायब घर
दो अयोगवाह, ग्यारह स्वर।
कंठ, तालु, मुर्धा, दंत, ओष्ठ से ध्वनि निकलते
ऊष्म, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन से ध्वनि अभिव्यंजित होते।
नव शब्द निर्माण का अदभुत सामर्थ्य रखती हिंदी
सबका मान बढ़ाती हिंदी।

संस्कृत से जन्मी है हिंदी
जन जन की भाषा है हिंदी।
भविष्य की आशा है हिंदी
साहित्य ने जब अपनाई हिंदी।
गौरव गुणगान तब बढ़ाती हिंदी
हमें संस्कार दिलाती हिंदी।

हमारी संस्कृति हमारी पहचान हिंदी
हमारे देश की गौरव भाषा हिंदी
रमणीय, सहज, सरल मनभावन हिंदी।
एक सूत्र में जोड़ने वाली धागा है हिंदी
एकता की अद्वितीय मिसाल है हिंदी।
काल को जीतने वाली कालजयी भाषा है हिंदी
सरल शब्दों में जीवन की परिभाषा है हिंदी।

-सुश्री नम्रता ध्रुव
सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव, सेक्टर-28, नवारायपुर, अटलनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ मो०: 7987556128
ईमेल : namratadhruw2020@gmail.com

यह जीवन क्या है?

"जीवन चलती श्वासों का खेला है।"

पहले दिन उत्सव हुआ
जब धरती पर आये
माता-पिता प्रियजन प्रसन्न हुए
लोगों संग खुशियाँ खूब मनाए।

वर्ष तीन तक बचपन मिला
स्कूल में हुआ दाखिला
सभी सिखाते पढ़ना-लिखना
मोबाइल संग होता सीखना
अब जीव इंटरनेट का चेला है
यह जीवन चलती श्वासों का खेला है;

खेल-खेल में पढ़ते-लिखते बड़े हुए
पढ़-लिखकर जब अपने पैरों पर खड़े हुए
बड़े अरमान से युवावस्था में ब्याह हुआ
गृहस्थी शुरू हुई जिम्मेदारियों का प्रवाह हुआ
रम गये अपनी घर गृहस्थी में
मन लगा दुनिया की मौज-मस्ती में
अहंकार बढ़ा तब लड़ने लगे
पराये हो गये सब रिश्ते सगे

अब जीव इंटरनेट का चेला है
यह जीवन चलती श्वासों का
यह सब तो घर-घर का झमेला है
यह जीवन चलती श्वासों का खेला है;
कुछ पद-प्रतिष्ठा, पाकर परोपकारी जीवन जिए
बहुतेरे अक्ल लगाकर व्यापार किए

रिश्वत लेकर मिलावटी सामान बनाने लगे
गर्व से स्वयं को बड़ा आदमी बताने लगे
बीमारियों के बढ़ने से दुखी हुआ तन-मन
लोभी स्वार्थियों के कारण राष्ट्र का होने लगा पतन
सदा नही रहना जग में लोभी हे मानव जागो!
साथ न जायेगा कुछ भी छल-कपट त्यागो
रिश्ता नाता सब तजकर जाता प्राण अकेला है
यह जीवन चलती श्वासों का खेला है;
हम ही श्रेष्ठ हम ही कर रहे
यह भ्रम मन में न पालो
अहंकार वश होता यह सब
अहं को मन से शीघ्र निकालो
कर्ता धर्ता ईश्वर है यह स्वीकार करो
हम करते तो अपनो को क्या मरने देते? इस पर जरा विचार करो
पूजनीय वृद्ध जने संग सुखद अवसर आज बिता लो
नहीं भरोसा कल का, कल पर कुछ न टालो
कल तो जाने की बेला है
यह जीवन चलती श्वासों का खेला है;
खास जिम्मेदारी दे प्रभु ने, धरती पर भेजा है
कार्य अधूरा है जब तक बड़े जतन से सहेजा है
धरा एक है गगन एक है एक है संसार
भेद-भाव बैर भुलाकर करें सद् व्यवहार
प्रकाश जल वायु करते सदा सम उपकार
अपनापन स्नेह ही सांसारिक कलह का उपचार
हर शरीर में रक्त एक सा एक प्राण है बसता
एक समान सभी मानव है श्रेष्ठ धर्म है 'मानवता'
अपनत्व और मानवता से ही पर्व व मेला है
यह जीवन चलती श्वासों का खेला है;
संसार में जो कोई अपना है
श्वास निकलने पर सपना है
सद्कर्म सुयश ही मानव का मान बढ़ाते है
जाने वाले पुनः कहाँ इस जग में आते हैं;
नहीं पता जाने का कुछ भी
तत्काल यहाँ टिकट कटता है
उसी शक्ल में नहीं आ सकते
कठिन घड़ी विकट रास्ता है
जाने का न कोई मुहुर्त न शुभ बेला है
श्वास बंद होते ही खत्म होता सब खेला है;

यह जीवन चलती श्वासों का खेला है।

-श्रीमती अनीता सक्सेना
नई शारदा पुरम कॉलोनी, निकट मंगलदीप हेल्थकेयर, इलाहाबाद रोड, उसरू, अयोध्या-224001, उ०प्र०
मो०: 9889209884

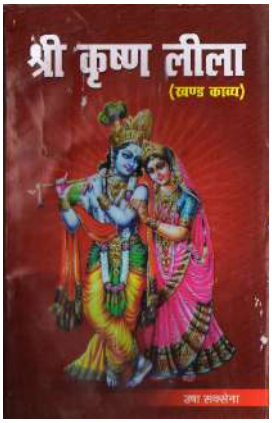

रचनाकार : उषा सक्सेना (खण्ड काव्य)
मूल्य : 250/रुपये
प्रकाशक : **विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,** प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

रचनाकार : मुखराम माकड़ 'माहिर'
मूल्य : 50/रुपये
प्रकाशक : **विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,** प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

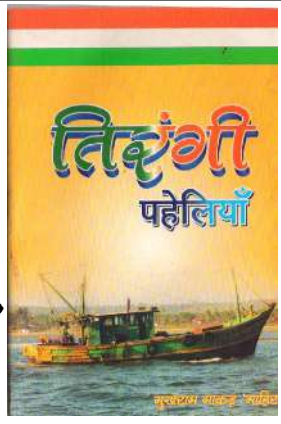

संस्मरण

सेंस

-रणजीत सिंह अरोड़ा "अर्श"
अवंतिका रेजीडेंसी 58/59,
सोमवार पेठ, नागेश्वर रास्ता, पुणे
41101, महाराष्ट्र
मोबाइल-9096222223
ईमेल-arshpune18@gmail.com

संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा फहरा कर मनाया गया, आने वाली पीढ़ी को यहां आनंदोत्सव/जलसा तिरंगे के साथ देशभक्ति अर्जित कर रोमांचित करती है परंतु हमें यह अहसास होना अत्यंत आवश्यक है कि इस आजादी को पाने के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी थी। हजारों नहीं, लाखों लोग बेघर हुए थे। यह सब कत्लेआम और खून-खराबा और किसी के साथ नहीं, अपितु हमारे ही बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ था। इस भारत-पाक विभाजन की विभीषिका में प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक इंसान की सच्ची घटनाओं पर अनेक किस्से-कहानियां, कथानक और आप बीती समय की धुंध में छुप कर कहीं गुम से गये हैं। यह अनकहे, असहनीय, अत्यंत दर्दनाक हृदय को द्रवित करने वाली सच्ची घटनाएं और कथानक आज भी उस समय मजहब के नाम पर इंसान में पनपी राक्षसी वृत्ति के कारण हुए कत्लेआम के लिये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं।

हमें एक नेक इंसान बनकर अच्छी नीयत से, अपने परिवारों से मिलकर, अच्छे ढंग से जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अपने आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए बुरी सोच और बुरे विचारों से आजादी पाना ही असल में आजादी का अमृत महोत्सव होगा। हमारी आजादी की कीमत और विभाजन की विभीषिका का वर्णन करने वाली एक सच्ची घटना के कथानक को आप स्नेही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

एक पुरानी और बंद हो चुकी मॉडल के कार के पुर्जे की तलाश के लिए मुझे आखिरकार लुधियाना के 'गिल रोड' पर जाना ही पड़ा। किसी जानकार ने बताया कि इस बाजार में सेखुपुरि या खरादियां की एक दुकान अगले चौराहे पर है, जहां पर जैसा पुर्जा चाहिए, वह दुकानदार तुरंत बना कर दे देते हैं।

जब मैं उस दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर बैठे खुशमिजाज सरदार जी ने दुकान में काम करने वाले लड़के को आवाज देकर बुलाया और कार का पुराना/कंडम पुर्जा मेरे हाथ से लेकर उन्होंने उस लड़के को बनाने के लिए दे दिया। लड़का वह पुर्जा लेकर दुकान पर स्थित सीढ़ियां चढ़कर अंदर की ओर चला गया। मैं दुकान के काउंटर के सामने लगी हुई कुर्सी पर बैठ गया और मेरा ध्यान काउंटर पर बैठे सरदार जी के पीछे लगी हुई फोटो पर चला गया था। इस फोटो को पासपोर्ट साइज की फोटो से बढ़ा कर फ्रेम में जड़ा गया था। इस फोटो में गंभीर मुद्रा में दार्शनिक सा चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। फोटो फ्रेम के नीचे लिखा था 01/01/1930 से 10/12/2010 तक। वैसे तो मेरे गणित का ज्ञान ठीक-ठाक है परंतु पुर्जा बनने के इंतजार में बैठे मैंने उस गंभीर वातावरण को तोड़ने के लिए उस फोटो-फ्रेम पर अंकित तारीख का एक मोटा-मोटा हिसाब लगाकर कहा कि यदि आपके बुजुर्ग और 20 दिनों तक जीवित रहते तो वह अपनी पूरी 80 वर्ष की आयु को पूर्ण कर के जाते थे परंतु मेरी आशा के विपरीत वातावरण की चुप्पी और गहन एवं गहरी हो चुकी थी। उस समय में, मैं काउंटर पर बैठे सरदार

जी के कुछ बोलने की आशा करके अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर, मैंने मोबाइल के स्क्रीन से खेलना प्रारंभ किया तो एक गहरी सांस को छोड़ते हुए सरदार जी ने बड़ी ही गंभीरता से धीरे से कहा, "क्या करते 20 दिन और जी कर, अपने ना चाहते हुए भी किए गए गुनाह की सजा भुगत कर?" उस फोटो-फ्रेम की तस्वीर से वह बीमार तो नहीं लगते थे, इस कारण से मैंने पूछा कि बीमार तो नहीं लगते थे, क्या समस्या थी? सरदार जी ने बैठे हुए कुर्सी पर अपने-आपको ढ़हा लिया था और आंखें बंद कर अपने अतीत में कहीं खो गए. . . . .।

उन्होंने मुझे बताया कि भारत-पाक विभाजन के समय मेरे बापू सरदार सन्मुख सिंह जी केवल 17 वर्ष की आयु के थे, उनका जन्म जंडियाला शेरखां के पास स्थित ग्राम (पाकिस्तान) में हुआ था। घर में खाना-पीना बहुत अच्छा था, करीब सवा 6 फीट उनकी ऊंचाई थी और अपने अंतिम समय तक अत्यंत उद्यमी थे। मेरे दादा जी के प्रथम पुत्र मेरे बापू सन्मुख सिंह जी थे और 2 वर्ष के पश्चात एक बेटी गुड्डी ने उनके घर में जन्म लिया था। जन्म से ही इस बेटी के हाथ-पैर अपाहिज/अपंग थे। यह दिव्यांग बेटी गुड्डी चल फिर नहीं सकती थी, दादा जी बताते थे कि अपने बचपन में छोटी आयु में ही मेरे बापू उस अपनी दिव्यांग बहन गुड्डी को अपनी पीठ पर उठाकर पूरे गांव में अंदर-बाहर घुमाते, कभी वह अपनी बहन को लेकर घर के चौबारे पर चढ़ जाते तो कभी खेतों में घुमा लाते थे। अपनी तमाम जिंदगी खामोशी से गुजारने वाले मेरे बापू का अपनी उस छोटी दिव्यांग बहन गुड्डी के साथ अत्यधिक मोह था। अपनी छोटी बहन गुड्डी के दिव्यांग होने के कारण वह उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। पूरे इलाके में भाई-बहन का प्यार एक मिसाल था, परिवार में कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी बहन गुड्डी दिव्यांग/अपाहिज है। भाई-बहन, हंसते-खेलते हमेशा घर में रौनक लगाकर रखते थे।

काउंटर पर बैठे सरदार जी ने बताया कि हमारा मूल गांव (पिंड) जंडियाला शेर खां के पास था। इस गांव में सिखों के थोड़े से ही घर थे पर जितने सिख थे वह सामर्थ्य शाली एवं अच्छी जमीन-जायदाद के मालिक थे। गांव के निवासी बताते हैं कि उन्हें उस समय की सरकार ने यकीन दिलाया था कि विभाजन की लकीर खींचने वाला कमीशन ननकाना साहिब से सेखुपुरा जिले के आगे सांगला हिल तक सिखों को विभाजित नहीं करेगा। सरकार के द्वारा इस तरह के झूठे वादे कर, अपनी ही आवाम को दंगे की आग में झोंक देना निश्चित ही हमारे समाज की मूल्यहीनता एवं संस्कृति की अधोगति का प्रतीक था।

इस कमीशन के फैसले के इंतजार में गांव के निवासी 15 अगस्त सन् 1947 तक गांव में ही बैठे रहे थे, इसके पश्चात गांव में हमले होना प्रारंभ हो गए थे, इन हमलों का स्थानीय सिखों ने करारा जवाब भी दिया था परंतु उस समय इलाके के चौधरी के लड़के की लाश हमारे गांव से बरामद हुई थी। चौधरी ने इलाके के सभी फिरका परस्त गुंडों को और फौजियों को अपने मरे हुए पुत्र का वास्ता देकर कहा कि गांव से कोई भी सिख बचकर नहीं जाना चाहिए। गांव में स्थित हमारे बुजुर्गों को हमले की खबर प्राप्त हो चुकी थी परंतु उस समय गांव से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत से गांव के निवासियों ने अपने बच्चों और औरतों को अपनी रिश्तेदारी में पहले ही गांव से रवाना कर दिया था परंतु अभी भी गांव में कई जवान बहू-बेटियां थी। उस समय गांव में स्थित गुरुद्वारे में सिख इकठ्ठा हुए और इस इकठ्ठे में हमारे दादा सरदार सेवा सिंह जी भी उपस्थित थे, गुरुद्वारे में यह फैसला हुआ कि दूसरे गांव की तरह जवान बहू-बेटियां, अपनी इज़्ज़त और आबरू बचाने के लिए गांव में स्थित कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे और बचे हुए लोग काफिला बनाकर बिना देरी करें गांव को छोड़कर चले जाएं।

समाचार मिलने पर गांव की बहू-बेटियां स्वयं ही गुरुद्वारे के समीप वाले कुएं की ओर पहुंची और गुरु साहिब का ध्यान लगाकर अरदास (प्रार्थना) कर, अपने परिवार की खैरियत मांगकर, एक के बाद एक इन सभी महिलाओं ने उस गहरे कुएं में छलांग मार दी थी। बाबा सेवा सिंह जी जब अपने निवास पर पहुंचे तो हाथ-पैर से अपाहिज अपनी दिव्यांग बेटी गुड्डी को देखकर कहीं गुम से हो गए थे, घरवालों ने जब पूछा तो गुरुद्वारे में हुए फैसले की जानकारी दी एवं तुरंत अपने कीमती सामान की गठरी बांधना प्रारंभ कर ली थी, सरदार सन्मुख सिंह ने भी हुए फैसले को सुन लिया था और घर के बरामदे में मंजी (खाट) पर पड़ी हुई अपनी सबसे कीमती वस्तु अर्थात अपनी दिव्यांग बहन गुड्डी को झोली में डाल कर, अपने कंधे पर डालने लगा . . . तो पिताजी ने अत्यंत भारी मन से अपने जवान बेटे को बताया कि बेटा हमारे जीने की भी कोई आस नहीं बची है, हो सकता है कि हम अपने ग्राम जंडियाला में भी पहुंच ना सके, इस बेचारी को क्यों दरिंदों को नोचने के लिये तुम अपने साथ उठाकर ले जा रहे हो?

सरदार सन्मुख सिंह ने अपनी बहन के लिए स्वयं की जान हथेली पर रखकर बहन की जिंदगी बचाने की बार-बार मिन्नतें अपने बापू सेवा सिंह से की थी, बापू ने भी बार-बार समझाया कि इसे हम किसी भी तरह बचा नहीं सकेंगे, फिर उस दिन दिव्यांग बहन ने अपने भाई की सुख और लंबी उम्र उस वाहिगुरु जी से मांगी और अपनी जान का वास्ता देकर कहा कि वीरां (भाई) आप मुझे भी गांव की उन बहनों की तरह उस कुएं में फेंक आओ! यदि मैं स्वयं जाने जैसीहोती तो सबसे पहले उस कुएं में मैं छलांग लगाती, बस्स. . . मेरा भाई सलामत रहे, ऐसी जिंदगी मेरे भाई के बिना किस काम की? सन्मुख सिंह के कंधे पर रखी झोली की पकड़ ढीली हो चुकी थी। 17 वर्षीय गबरु जवान सरदार सन्मुख सिंह भावनाओं में बह गया था। बापू ने धीरे से समझाया और समझा कर कहा, "बेटा यह भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है, गांव के निवासी जंडियाला की और रवाना हो गए हैं।" बरामदे में स्थित आटे की चक्की के समीप रखे हुए सिलबट्टे के पत्थर की और इशारा कर बापू कहने लगा कि आंखें मीजकर गुड्डी के सिर पर जोर से एक वार कर और हम तुरंत आगे की ओर चल पड़ेंगे। कठोर ईश्वर कई बार ऐसा समय बना देता है कि वह अपने मानने वालों का भी कठिन इम्तिहान लेता है। इस दिव्यांग बहन गुड्डी ने भी भाई के पजामे का पोछा पकड़ लिया और जोर से खींचा एवं कहने लगी कि वीरां (भाई) देर मतकर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, मैंने एक पल भी तेरे से दूर नहीं जाना है, मुझे इस दिव्यांग शरीर से आजाद कर दे भाई! छोटी बहन के इन वचनों ने इतनी ताकत दी कि भीगी आंखों से और मरे हुए मन से, रुसवा वजूद को लेकर मनसुख सिंह ने उस सिलबट्टे के बड़े पत्थर को उठा लिया था, आँसुओं का जैसे आँखों में सैलाब सा आ गया था, कांपते हुए हाथों से जब पत्थर का एक प्रहार अपनी छोटी दिव्यांग बहन के सिर पर किया तो उसके सिर का एक हिस्सा खुल गया था। छोटी बहन की चीख से सन्मुख सिंह के कान सुन्न हो गए थे, धरती-आसमान पलट गए थे, मुंह में कलेजा आ गया था, छोटी बहन गुड्डी की चीखे शांत हुई, तो आँखों को साफ करके सन्मुख सिंह ने जब अपनी छोटी दिव्यांग बहन की ओर देखा तो छोटी बहन एक छोटी सी मुस्कुराहट से उंगली ऊपर उठा कर इशारा से इंगित कर रही थी कि भाई एक बार और!

इस घटना को सुनाते हुए काउंटर पर बैठे हुए सरदार जी के हृदय से सिसकारियां निकल रही थी, मैं स्वयं संवेदनशील और गंभीर हो कर दुकान से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठ कर अपने आंसुओं को रास्ता देकर, मैंने अपनी आँखों को रुमाल से साफ किया। जब मैं पुनः काउंटर पर आया तो सरदार ने अपने आपको

संभाल लिया था। मुझसे यह ना पूछा गया कि सरदार सन्मुख सिंह ने दोबारा उस पत्थर से अपनी छोटी बहन के सिर पर वार किया था क्या? इतने में दुकान का लड़का मेरे पुर्जे को बना कर ले आया था। सरदार जी ने मुझे चाय पीने के लिए रोक लिया था। मैंने सरदार जी से पूछा कि इस घटना के पश्चात परिवार बचकर आ गया था क्या? तब सरदार जी ने उत्तर दिया कि आधे लोग ही पहुंच पाए, कोई भी परिवार पूरा पहुंच नहीं पाया था। सरदार जी ने आगे बताया कि दादा जी को रास्ते में ही हमारी दादी को भी स्वयं कत्ल करना पड़ा था। बापू सन्मुख सिंह पंजाब के इस चढ़ते पंजाब के टुकडे/ में यहां आकर 63 साल तक अपनी जिंदगी जिए परंतु उसने तांउम्र किसी से बात नहीं की थी। जब बापू का विवाह हुआ हम तीन भाई पैदा हुए, इन 60 सालों में कई खुशी और गमों के मौके बने पर बापू के होठों को कभी भी फड़कते हुए नहीं देखा था। इस शहर में मजदूरी करते-करते बापू हमें इस आलीशान दुकान और मकान का मालिक बना गया था। बापू सन्मुख सिंह! परंतु अपनी संपूर्ण उम्र में बापू कभी ना हंसा था और ना ही रोया था। 'मेडिकल साइंस' के हिसाब से तो यह संभव नहीं था कि किसी इंसान को "सेंस" हो तो वह अपनी खुशी या गमी को जाहिर ना करें, हो सकता है बापू उस घटना के सदमे से अपना "सेंस" खो चुका हो, यह वैज्ञानिक तथ्य मैंने स्वयं तर्कशील हो कर अपने स्वयं से निकाला था। सरदार साहिब की इस बात का कोई जवाब देना मैंने मुनासिब नहीं समझा था, मैंने उस अकाल पुरख परमेश्वर को वाहिगुरु-वाहिगुरु कहकर याद किया एवं अपना चित्तशांत किया। वर्तमान में निश्चित ही ऐसे कथानक हमारी निरीहता, व्याकुलता और अंतर्मन की जुबान बनकर रह गये हैं। सरदार जी ने उस दुकान के काउंटर पर स्टैंड वाले कैलेंडर पर अंकित गुरबाणी की इन पंक्तियों को पढ़कर मुझे सुनाया था :-

मानै हुकमु सोहै दरि साचौ आकी मरहि अफारी।। (अंग क्रमांक 992)

अर्थात जो भी परमात्मा के हुक्म का पालन करता है, वो ही सच्चे दरबार में शोभा का पात्र बनता है परंतु घमंडी और विमुख जीव आवागमनों के चक्कर में पड़े रहते हैं।

(यह सच्ची घटना सन् 2013–14 में गिल रोड लुधियाना में बुजुर्ग दुकानदार से सुनी थी, तारीख ध्यान में नहीं है इसे शब्दांकित ना करने का मन में बहुत अफसोस था, निश्चित ही ऐसे कथानक शब्दांकित नहीं किये जाते है अपितु मन में चल रहें अंतर्द्वंद के हस्तकरघे पर हौले-हौले बुने जाते है। इस कथानक के द्वारा इस घटना को शब्दांकित कर संभालने का यत्न किया गया है।)

क्या आप लिखते हैं?

अपने काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, आलेख संग्रह इत्यादि के प्रकाशन हेतु संपर्क करें।

विशेष आकर्षण

1.प्रकाशन मात्र लागत मूल्य पर
2. बिक्री की व्यवस्था
3.प्रचार-प्रसार की व्यवस्था
4.विमोचन की व्यवस्था
5. ऑन लाईन/ऑफ लाइन संस्करण में पुस्तक का प्रकाशन

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
प्रसार सचिव, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, एल.आई.जी-93, नीम सरॉय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद-211011
ई–मेलः sahityaseva@rediffmail.com

कहानी

मजहबी रिश्ता

-ममता एच. वी
नेहरू मेमोरियल कॉलेज, सुल्या, कर्नाटक मो0: 7619214512
ईमेल-mamtahv067@gmail.com

तनुजा 50 वर्ष की उम्र से गुजर चुकी है, लेकिन उसके यौवन की सुंदरता अब भी उसके चेहरे पर झलक रही है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अलग-अलग शहरों में अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। पति परमेश्वर काम के सिलसिले से हफ्तों भर के लिए बाहर गया है। छुट्टी का माहौल था, इसलिए वह अत्यंत खुश थी। उसे अकेले ही कहीं यात्रा पर जाने का मन हुआ। उसने दो दिन अपनी बड़ी बहन के घर जाने का निश्चय किया। उसके लिए उसे रेल यात्रा करनी थी। तैयार होकर ठीक समय पर वह रेलवे स्टेशन पहुंची। अपनी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में खिड़की के पासवाली सीट पर बैठकर कानों में इयरफोन लगाकर 80—90 के दशकों के गाने सुनाने लगी थी। एक-दो स्टेशन के बाद, उसी डिब्बे में, एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे-धीरे आकर बगल वाली सीट पर बैठा। उनके बैठते ही तनुज उनको एकटक देखती रही और तब उसको करीब 15 साल पहले की घटना उसके आंखों के सामने घूमने लगी और उसकी आंखें नम होने लगी। वह घटना इस प्रकार थी -उस दिन तनुजा दोपहर के 2:30 बजे को चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ी और मुश्किल से उसे बैठने के लिए सीट मिली। उस दिन वह अकेले ही यात्रा कर रही थी। उसका बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में और छोटी बेटी एल.के.जी में पढ़ रही थी। उन दिनों उसका पति परमेश्वर कंपनी की तरफ से विदेश में सात-आठ महीनों के लिए काम पर गया था। गर्मी की छुट्टियों में अपने दोनों बच्चों को अपने मायके छोड़कर वापस वह चेन्नई जा रही थी। उसकी शैक्षणिक ड्यूटी अभी बाकी थी। इसलिए उसे चेन्नई अकेले ही जाना पड़ा। करीब 3:00 बजते-बजते उसे भूख लगने लगी। अपने टिफिन बॉक्स में से दो तीन रोटियां और साग सब्जी मिलाकर खाने लगी। बड़े आराम से उसने खाना खाया। ट्रेन के तेज रफ्तार पकड़ने के कारण करीब दो ही घंटों में दो-तीन स्टेशन रुक कर निकल गई थी। कालिकट के आसपास किसी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या एकदम बढ़ गई। देखते ही देखते एक सीट पर कहीं 7 लोग बैठने लगे। तभी तनुजा ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, करीब 75—80 के बीच उम्र का लाठी के सहारे सीट से सट कर खड़ा था। उसको उस खड़े हुए वृद्ध पर बहुत दया आई। उसने अपनी आधी सीट उस वृद्ध के लिए छोड़कर उनसे बैठने के लिए इशारा किया। वह दुबला पतला वृद्ध थोड़ी सी जगह पर बैठ गया। लेकिन वे दोनों मौन ही रहे।

गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी और करीब आधे घंटे में ही कॅलिकट स्टेशन पहुंच गई। वहां करीब 10 मिनट तक गाड़ी रुकी। उसी समय शरबत, पानी, बिरयानी, पुलाव, चटपटा खाना, आदि के बिक्रेता जोर- शोर से बोलते हुए खिड़कियों के पास से गुजर रहे थे। तभी इस वृद्ध को बिरयानी खाने का मन हुआ। वह अपनी जगह से उठे और अपनी जेब से रु०10 का नोट निकाल कर खिड़की के पास गए। तब बिरयानी वाले ने कहा, "दादा रु०10 के बिरयानी नहीं मिलेगा, इसके तो पूरे रु०50 हैं।" बेचारा वृद्ध खाली हाथ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गये क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तब तनुजा को लगा अगर इस वक्त मेरे बच्चे साथ में होते तो उनके लिए 100—200 रुपए देकर बिरयानी खरीदती और यह वृद्ध तो उनके दादा के उम्र

का है। उसने तुरंत उठकर रु50 देकर बिरयानी खरीदी और आकर अपनी जगह बैठ गई। उसने धीरे से वह खाना वृद्ध की तरफ बढ़ाया। वृद्ध, तनुजा की ओर आश्चर्य और अविश्वसनीय नजरों से देखने लगा और सोचने लगा, "लूं ..या न लूं ३.. । ' लेकिन तनुजा ने फिर से मुस्कुराते हुए खाना उनकी तरफ बढ़ाया। वृद्ध के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह भूख से तड़प रहा था। इसलिए उसने खाना लिया और खुशी-खुशी बड़े चाव से खाया। खाना खाकर हाथ धोकर वापस वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से रु०10 निकाल कर तनुजा की और बढ़ाते हुए कहा, "यह रख लो बेटी।" तभी तनुजा ने रुपए लेने से इनकार करते हुए कहा, "नहीं, नहीं यह अपने खर्च के लिए रख लीजिए।"

इसके बाद दोनों परिचित के समान आपस में बातें करने लगे। उन्होंने अपना नाम अलाउद्दीन अली बताया - वह मस्जिद में कुछ मौलवी लोगों के साथ रहते हैं। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता है।

शाम होते होते चाय, चनें, चिप्स आदि के विक्रेता डिब्बे में आने लगे, तो अलाउद्दीन जी ने रु०10 देकर दो पैकेट गरम-गरम चने खरीदे और एक पैकेट तनुजा को दिया और मुस्कुराते हुए कहा "यह खा लो।" तनुजा ने पूछा, "आपने रु०10 क्यों खर्च किए, अपने लिए रख लिया होता।" वे मुस्कुराते हुए बोले, "रुपए का क्या आज आएंगे, कल जाएंगे।"

तनुजा को शौचालय जाना था। लेकिन गाड़ी में भारी भीड़ थी, सबको पार करते-करते किसी तरह वह शौचालय पहुंची, तो उसने देखा, वहां और भी 8—10 जवान मौलवी जमीन पर बैठे हैं तो तनुजा को लगा शायद इन लोगों के साथ अलाउद्दीन दादा आए हैं।

वापस अपनी जगह पर आकर उसने उनसे पूछा, "आपके साथ और कितने लोग हैं?" तब उन्होंने जवाब दिया, "करीब सात-आठ लोग हैं।" उन्होंने अपने उतरने वाले स्टेशन का नाम भी बताया। तनुजा ने अंदाजा लगाया, हां यह स्टेशन तो उसके स्टेशन के पहले आता है और करीब सुबह के 3:00—3:30बजे तक गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंचेगी। इस तरह सोचते-बातें करते करते उसे नींद आने लगी।

करीब सुबह के 3:00 बजे गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची, जहां अलाउद्दीन जी को उतरना था। लेकिन वे वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत से यात्री उसी स्टेशन पर उतरे। तभी उनके साथ जो मौलवी आए थे, वे सभी गाड़ी से उतरे। गाड़ी करीब खाली-खाली दिखने लगा। कुछ मौलवी खिड़की के पास आए और अलाउद्दीन जी को उतरने के लिए जोर-जोर से बुलाने लगे। लेकिन इन्होंने उतरने से इनकार किया, और कहा, "मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता।" तनुजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, "मैं इनके साथ चेन्नई जाऊंगा, बाकी जिंदगी वहां गुजार लूंगा।" तनुजा को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दूं। तभी कोई चार मौलवी डिब्बे के अंदर आए और सब मिलकर अलाउद्दीन जी को उठाकर जबरदस्ती डिब्बे से बाहर ले गए। अलाउद्दीन चीखने-चिल्लाने लगे। तभी डिब्बे के सभी यात्रियों का ध्यान उनकी ओर गया। तनुजा को जैसे सदमा-सा लगा। उसकी सोच-समझ एकदम मंद हो गई थी क्योंकि वह चीखते चिल्लाते कह रहे थे, "बेटी, मुझे रोको, मैं जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहीं भी तंग नहीं करूंगा। मुझे बुला लो बेटी, बेटी मुझे छुड़ाओ!" तनुजा खिड़की से बाहर देखती रही। वे मौलवी उनको उठकर बिना रुके लिए जा रहे थे और अलाउद्दीन चिल्लाए जा रहे थे। तनुजा की आंखों में आंसू भर गई वह समझ नहीं पाई, "मैंने उनको थोड़ा-सा सहारा दिया था.... क्या मैंने कोई गलती की है? हम दोनों अलग-अलग मजहब के हैं। अगर मैं उन्हें रोकूंगी तो क्या समाज यह स्वीकार करेगा? क्या हिंदू मुझे माफ करेंगे? क्या मुसलमान मुझे इसकी इजाजत देंगे? उसके लिए तो मानवीयता ही सबसे बड़ा मजहब था। तनुजा के कानों में अब भी अलाउद्दीन की चीख बार-बार गूंजती दृ सी लगी। भले ही थोड़े समय के लिए उन दोनों में 'बाप-बेटी' का-सा रिश्ता बन गया था। लेकिन

अल्लाउद्दीन ने तनुजा पर पूरा विश्वास रखकर उसके साथ बाकी जीवन बिताने का फैसला किया था। यह कैसा रिश्ता था?

उस घटना को याद करते-करते तनुजा ने इस वृद्ध की ओर देखा, जो अपनी आंखें मूंदे अकेले ही बैठे-बैठे सोया था। गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर आकर रुकी, जहां तनुजा को उतरना था। वह गाड़ी से उतरी। लेकिन अब उसके मन में यह अफसोस था कि वह इस वृद्ध के लिए कुछ नहीं कर पाई।

मातृभूमि

हे! मातृभूमि।
रंग तेरा चमके सदा,
जन-जन की आँखों में।
गुणगान हो तेरा सदा,
जन-जन की साँसों में।
तुझसे ही सब त्योहार मेरा,
तू ही मेरा पर्व है।

गर मिट सकूं तेरे चरणों में,
इससे बड़ा ना कोई गर्व है।

तेरी हिफाजत ही मेरा धर्म है।
हे मातृभूमि
तुम्हारे कण-कण को संवारना मेरा कर्म है।

भगवान इतनी अर्जी है
तेरी माटी, बिंदिया सजती रहे।
हो खुशियों का मेला यहां,
रुनझुन पायल बजती रहे।

तिरंगा कफन कब सजे।
आँखों में यह सपना पलता रहे।
और ना कुछ मैं चाहूं,
विजय पताका तेरी यूं लहराता रहे।

मिटा दे लुटा दे मुझे,
रेशे-रेशे में तुझमें गुँथ जाने दे।
राख तलक बनकर भी,
इस मिट्टी में मुझे मिल जाने दे।

जन्म धरा इस माटी पर
धन्य है यह भाग्य मेरा।
भारत मां तू महान है
बस यही हो एक राग मेरा।।।

-सीमा रानी प्रधान
(सहायक प्राध्यापक हिंदी)
शास महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय
महासमुंद, छत्तीसगढ़

संस्मरण

होली, प्रकृति और आत्मा

-डॉ.रश्मि चौबे

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत पीएचडी-देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, अध्यक्ष-उत्तर प्रदेश इकाई 'लम्हें जिंदगी की', राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, महिला इकाई-राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, उपाध्यक्ष-वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, राष्ट्रीय बाल संसद प्रभारी-विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सदस्य-नागरी लिपि परिषद।

होली का दिन था। सुबह से सभी बड़ों और छोटों को होली की बधाई देना लेना हो रहा था। आज रोशनी के घर उसकी कुछ सहेलियां होली मिलने आई हुई थीं। रोशनी के पैर में चोट आने के कारण और उसके परिवार में सूतक है (किसी की मृत्यु या जन्म होने पर 10 या 13 दिन लगता है)। वह कल होली खेलने सोसाइटी में नहीं गई इसलिए वहां की सारी सखियां मिलने चली आई थीं। रंगों में मिले केमिकल के कारण या खाने की वजह और गीले होने के कारण किसी को बुखार, तो किसी की आँख में रंग चला गया, चाय पीते हंसी ठहाकों के साथ सभी जिंदगी के रंगों और रूपों पर चर्चा कर रहे थे। सभी कह रही थीं कि पिछली बार की होली कितनी अच्छी थीद्य रोशनी सचमुच बहुत अच्छी व्यवस्था थी और हमने बहुत इंजह्य किया था। रोशनी अचानक उनके जाने के बाद एकांत में बैठी तो जैसे कलम ने कहा कि, "विचारों के रंगों को पन्नों पर उडेल दो, होली है भाई"। रोशनी पिछली होली की और इस बार की होली की तुलना करने लगी। पिछले वर्ष अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सोसायटी के लोग अच्छे से होली का आनंद उठा पाऐं, इस व्यवस्था के कार्यभार को सुचारू रूप से निभाने में लगी हुई उसने समाज में व्याप्त अनेक रंगों में स्त्री पुरुषों की मानसिकता समझी। कुछ लोग सहयोग दे रहे थे तो, कुछ उसकी बनी बनाई बात को बिगाड़ने में लगे हुए थे। सच, आज समाज में एक के साथ एक ग्यारह नहीं बल्कि एक से घटकर शून्य करने की मानसिकता अधिक प्रबल है। स्वयं के नाम के लिए इंसान अच्छे से अच्छे कार्यक्रम में जहर फैलाने में माहिर दिखाई देते हैं। तभी उसे याद आया कि, कुछ दिन पहले ही ज्यादातर युवा जो उससे मिले थे, उसके पूछते ही कि आप क्या कर रहे हैं? उत्तर में कहा कि, मनोविज्ञान में एम.ए. कर रहे हैं, इसका बहुत स्कोप है आंटी। इन शब्दों का अर्थ शायद समझ आज आ रहा था। इस बार की होली में पैरों में चोट के कारण वह होली खेलने के लिए तो जा नहीं पाई। रोशनी ने सोचा बचपन से ही उसे होली कहां पसंद थी पर शादी के बाद होली खेल लेती थी पर आज विचार उसे कुछ और ही समझना चाहते थे।

उसे अचानक में घर में अलग-अलग तरह के रंग दिखाई देने लगे। सर्वप्रथम उसे खाने की टेबल पर रखे हुए हरे अंगूर और केसरिया संतरे, लाल सेब और पीला पपीता फलों में अलग-अलग रंग टेबल पर दिखाई देने लगे, फिर जैसे ही वह भोजन की व्यवस्था देखने गई तो उसे दिखा कि, हरे रंग की मूंग दाल, काले रंग की उड़द दाल, लाल रंग की मसूर और पीला चना और सब्जियां भी अलग-अलग रंग की रंगों से भरी हुई फ्रिज खुला तो लाल टमाटर, हरी मिर्च, बैगनी रंग का बैगन, पीले रंग का नींबू अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे थे। सतरंगों से सजा हुआ घर फिर जैसे ही वह बालकनी में गई तो प्रकृति कह उठी देखा, तुमने पौधों में पानी देकर मुझे पीले गेंदे, नीली अपराजिता, लाल रुकमणी के फूल, सफेद सदाबहार और हरे पौधे से सतरंग कर दिया है, तुमने मुझे रंग दिये हैं, इसलिए आज मैंने तुम्हारे घर को रंगों से भर दिया है। उसकी नजर हाथ में

पहने नवरत्न और रंगे हुए नाखूनों पर भी पड़ी द्यरंग ही रंग दिखाई देने लगे। शाम हुई तो सामने चाँदनी की रोशनी के रंग दिखाई दिए। उसे याद आया सुबह सूरज भी होली खेलने आया था फिर, सामने की भी चारों ओर जो कारें सड़क पर चल रही थीं उनकी लाइटें थीं। उसके प्रकाश ने उसका ध्यान आकर्षित किया, लाल रंग की और सफेद रंग की कार की लाइट दिख रही थी वो सब प्रकृति में रोशनी भरते हुए लग रहे थे और कहीं ना कहीं रोशनी आत्मा को भी प्रकाशित कर रही थी।

अचानक गुड़िया ने कहा, "आंटी आपकी चाय और अंकल की कॉफी दोनों एक ही टेबल पर रख दिए हैं और साथ ही साथ मोबाइल पर गजल गूंज रही थी और पति साथ-साथ गा रहे थे 'आप जिनके करीब होते हैं, वह बड़े खुशनसीब होते हैं'। समझ में आ गया था ईश्वर ने समझा दिया था कि, होली तन को नहीं मन को भी रंगती है। रोशनी को महसूस हो रहा था कि, परमात्मा के रंगों ने चारों ओर से रंग दिया है। बेटे ने भी वीडियो काल पर इंद्रधनुष (रेनवो) दिखाकर कहा, "माँ विदेश में होली नहीं होती पर ये रंग आपके लिए हैं," रोशनी भाव विभोर हुई। दूसरे दिन सुबह-सुबह रोशनी की भाभी (जो दिल्ली वीजा बनवाने आई थी रोशनी के घर ठहरी थी) ने उठकर कहा कि, दीदी मैं आपके मंदिर में पूजा कर देती हूं। रोशनी के कहा, "सब रंगों के फूल तोड़कर प्रभु को अर्पित कर दो और फिर वो गाने लगी 'आप जिनके करीब होते हैं, वह बड़े खुशनसीब होते हैं।' 'पंकज उदास कलाकार तो चले गए पर उनके गाए शब्द बहुत कुछ समझा गए।

संस्थापक पदाधिकारी/सदस्य

संरक्षिकाः
श्रीमती राजरानी देवी

अध्यक्षः
श्री पवहारी शरण द्विवेदी

उपाध्यक्ष :
श्री जेड.ए.अन्सारी
श्री ओंकार नाथ दुबे
श्रीमती रत्ना दूबे

निदेशक/प्रबंधक/सचिव
श्री गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

कला निर्देशकः
कु० जया शुक्ला

सलाहकार निदेशक
-श्री अजय प्रभात
- श्रीमती सलोनी ग्रोवर
- मिस सोसन एलिजाबेथ सिंह
- मो. तारिक ज्या

विदेश सचिव : श्री राजेश मिश्रा

वित्त सचिव : श्री गिरिराज दूबे

गृह सचिवः श्री श्याम किशोर सिंह

प्रशासन सचिवः श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

सहायक विज्ञापन/बिक्री सचिव
श्री अजय सरवई

पृष्ठ 14 का शेष.... विभिन्न हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु किये गए उपक्रम.

....बांगला भाषा बोलने वाले लोग (55%) तथा अल्पसंख्यकों का बड़ा भाग (20%) राजस्थानी, मैथिली व भोजपुरी आदि भाषाएँ बोलता है। इन दोनों समुदायों की भाषाओं के मिलन से कलकतिया हिंदी का विकास हुआ है।

ओडिशा या उड़ीसा भी हिंदीत्तर राज्य में आता है परन्तु "संकल्प" नामक संस्था के प्रयत्न स्वरुप भारत की गंगा जमुनी तहजीब को आबद्ध कर नए आयाम दिए गए। संकल्प की नींव के सर्वाधिक बहुमूल्य व्यक्तित्व हैं- प्रसिद्द गजलकार एवं संस्था के अध्यक्ष डॉ० कृष्ण कुमार प्रजापति और जाने माने नवगीतकार डॉ. मधु सूदन साहा। इसके अतिरिक्त सन् 1932 में पुरी में कांग्रेस अधिवेशन के कर्मियों को हिंदी सिखाने के उद्देश्य से बाबा राघवदास की प्रेरणा से पंडित अनुसइया प्रसाद पाठकतथा पंडित रामानंद शर्मा द्वारा अथक परिश्रम के पश्चात पुरी राष्ट्रभाषा समिति की स्थापना की गयी थी। 1937 से 1954 तक यह वर्धा की सहायता से चलती रही और बाद में वर्धा से अलग होकर ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद के नाम से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सामने आई। इस संस्था का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्य में तथा यहाँ के पिछड़े आदिवासी अंचलों में हिंदी का प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी हिंदी का प्रचार करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिषद अपने अधीन पांच परीक्षाओं का भी संचालन करती है और कुल मिलाकर इसके 300 परीक्षा केंद्र है। इन परीक्षाओं को राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों से मान्यता मिली हुई है।

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना 4 अगस्त 1964 को दिल्ली में हुई थी। इस संघ के द्वारा हिंदी तथा हिंदीतर प्रदेशों के विद्वानों के भाषाओं की व्यवस्था, हिंदीतर वरिष्ठ साहित्यकारों की हिंदी प्रदेशों में सद्भावना यात्राएं, हिंदीतर भाषी लेखकों की पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन के अतिरिक्त हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित अन्य कई कार्य भी किए जाते हैं, जिनमें परीक्षा की व्यवस्था, शिविरों का आयोजन, विचार विनिमय, नई परीक्षाओं को मान्यता देना इत्यादि कार्य सम्मिलित है। संघ के द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार के इतिहास का भी प्रकाशन किया गया है और यह सच्चे अर्थ में हिंदी प्रचार के लिए राष्ट्रीय एवं सहयोगी मंच है।

हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद की स्थापना सन् 1932 में निजाम की सामंती शासनकाल के समय में हुई। सभा द्वारा संचालित विशारद, भाषण तथा विद्वान की परीक्षाओं को भारत सरकार ने क्रमशः मैट्रिक, इंटर तथा बी.ए के हिंदी स्तर के समकक्ष स्थायी मान्यता प्रदान की है। आंध्र प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों और उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा भी ये परीक्षाएं मान्य हैं। सभा इस तरह की एक उच्च परीक्षा हिंदी वाचस्पति भी चलाती हैं।

अक्टूबर 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। ये एक ऐसी केंद्रीय संस्था है जो हिंदी सेवी संस्थाओं की बिखरी शक्ति को एकत्रित करके हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करती है। यह सम्मेलन अपनी परीक्षाएं मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम तथा बर्मा एवं गुयाना में भी संचालित करता है। राष्ट्रभाषा संदेश के प्रकाशन में, सामग्री संचयन में और राष्ट्रभाषा आंदोलन संबंधी सामग्री को नए ढंग से प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्य विभाग सम्मेलन की साहित्यिक गतिविधियों और साहित्यिक मान्यताओं को विकसित करने का माध्यम है और इस विभाग का मूल उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथों का प्रकाशन इत्यादि हैं।

हिंदुस्तानी प्रचार सभा बम्बई या मुंबई महात्मा गाँधी जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना बम्बई में सन् 1938 में हुई। उर्दू और हिंदी दोनों के मिश्रण से बनी हुई भाषा को महात्मा गाँधी हिंदुस्तानी कहते थे। अब तक इस सभा के माध्यम से लगभग 2,00,000 विद्यार्थियों ने

हिंदुस्तानी की शिक्षा प्राप्त की है।

सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा महात्मा गाँधी जी ने जब विधिवत हिंदी प्रचार का काम शुरू किया तब आचार्य काका कालेलकर की प्रेरणा से भावनगर में श्री बाजू भाई शाह ने हिंदी प्रचार का श्रीगणेश किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मई 1939 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा संचालित परीक्षाओं के वर्गों का भावनगर में उद्घाटन किया थाद्य उन दिनों सौराष्ट्र काठियावाड़ कहलाता था। हिंदी प्रचार का काम काठियाबाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार नामक संस्था नाम से होने लगा। स्वतंत्रता के बाद सौराष्ट्र की रियासतों का अंगीकरण हुआ और नए सौराष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। काठियाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार ने सौराष्ट्र हिंदी समिति में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का कार्य किया।

मणिपुर हिंदी परिषद, इम्फाल मणिपुर हिंदी परिषद एक स्वतंत्र संस्था है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। यह परिषद इतने लम्बे समय से हिंदी प्रचार कार्य निष्ठापूर्वक कर रही है और यह परिषद छह परीक्षाएं संचालित करती हैं- हिंदी प्रारंभिक, हिंदी प्रवेश, हिंदी परिचय, हिंदी प्रबोध, हिंदी विशारद, और हिंदी रत्नद्य परिषद का सुव्यवस्थित पुस्तकालय है और पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों, हिंदी के विभिन्न मासिक पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य सामग्रियों की संपूर्ण संख्या इस समय करीब 2000 से अधिक है।

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे- मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने हेतु महात्मा गाँधी की प्रेरणा से महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना हुई और आचार्य काका साहब कालेलकर जी की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पूना में महाराष्ट्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं राजनीतिक व सांस्कृतिक नेताओं आदि का सम्मेलन संपन्न हुआ और अक्तूबर को यह समिति महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे के नाम से काम करने लगी। इसके द्वारा भी कई परीक्षाएं आयोजित की जाती है और अब तक 5,00,000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास/चेन्नई- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने सन् 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके फलस्वरूप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास नगर के गोखले हॉल में स्वर्गीय डॉ० सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में स्वर्गीय डॉ. एनी बेसेंट ने की थी। सभा का अपना एक शाखा कार्यालय दिल्ली में भी स्थापित है और सभा की चार प्रांतीय शाखाएँ हैदराबाद, धारबार, तिरुचिरापल्ली तथा एर्नाकुलम में स्थापित है, जो क्रमशः आन्ध्रप्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु व केरल राज्यों में हिंदी प्रचार का कार्य करती है। हिंदी प्रचार समाचार मासिक पत्रिका सभा के मुख्य पत्र के रूप में प्रकाशित होती है। दक्षिण भारत नामक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका भी सभा में प्रकाशित होती है। इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं की रचनाओं के हिंदी अनुवाद और उच्च स्तर के मौलिक साहित्यिक लेख छपते हैं। सभा के अंतर्गत एक बड़ा हिंदी पुस्तकालय चलता है तथा इसमें हिंदी की सभी पत्रिकाएं हैं। हिंदी की उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभा की ओर से सन् 1964 में एक उच्च शिक्षा तथा शोध संस्थान भी खोला गया है। इस विभाग की व्यवस्था स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान परिषद् एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के सुझावों के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव, हिंदी विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापकगण करते हैं। शोध करने वाले छात्र भी इस विभाग में अध्ययन करते हैं।

मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, बेंगलुरु राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के पुनीत कार्य को संपन्न करने के महान उद्देश्य को लेकर वर्ष 1943 में मैसूर हिंदी प्रचार परिषद की स्थापना हुई। अहिन्दी भाषियों में हिंदी का प्रचार करना, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना और प्रांतीय भाषाओं से हिंदी का परस्पर आदान प्रदान एवं स्नेह बढ़ाना- संस्था के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। परिषद द्वारा संचालित हिंदी प्रवेश, हिंदू उत्तमा और हिंदी रत्न उच्च परीक्षाएं हैं। इन तीन परीक्षाओं को क्रमशः हिंदी स्तर में मैट्रिक, इंटर और बीए के समकक्ष मान्यता केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है। परिषद का

अपना एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है, जिसकी अमूल्य साहित्यिक पुस्तकों का उपयोग स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र कर रहे हैं। 'मैसूर हिंदी प्रचार परिषद पत्रिका' के नाम से परिषद एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में हिंदी प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1939 में मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति का गठन हुआ। समिति सन् 1961 तक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के ही पाठ्यक्रम का उपयोग करती रहीं ओर परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती रही। 1961 में बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समिति स्वतंत्र हो गई और तब तक समिति के लगभग 3,00,000 छात्र सभा की परीक्षाओं में सफल हुए थे। समिति 125 परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षाओं का संचालन करती है। समिति की परीक्षाओं को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों तथा बेंगलुरु, मैसूर, कर्नाटक, वैंकटेश्वर, उस्मानिया आदि विश्वविद्यालयों से भी मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार के सहयोग से समिति 50 हिंदी विद्यालय चलाती है, जिनमें से 30 में प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए तथा 20 में उच्च परीक्षाओं के लिए अध्यापन की सुविधा है। समिति द्वारा संचालित केन्द्रीय हिंदी पुस्तकालय में लगभग 3000 पुस्तकें हैं। समिति ने अनेक कृतियों का प्रकाशन भी किया है, जिनमें से कर्नाटक साहित्य का इतिहास, कर्नाटक दर्शन, चिंतामणी, सम्राट चंद्रगुप्त, कथा भारत, राजभाषा प्रवेश, सात झरोखे, पम्पा यात्रा आदि है। समिति की "भाषा पीयूष" नाम की त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है।

केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम केरल के हिंदी प्रचारकों में अग्रणी स्वर्गीय के वासुदेव पिल्ले ने सितंबर 1934 में सभा की स्थापना की। 1948 से पहले यह सभा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती थी। हिंदी साहित्य के प्रति केरल वासियों के मन में रुचि उत्पन्न करने, स्थानीय लेखकों को प्रोत्साहन देने और सर्वोपरि, भाषाओं के बीच सद्भावना और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सभा "राष्ट्रवीणा" नामक एक त्रिभाषा साप्ताहिक (हिंदी, मलयालम, तमिल) चलाती रही। सभा की प्रेरणा से केरल भर में अनेक हिंदी विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें हजारों विद्यार्थी तथा प्रौढ़ व्यक्ति राष्ट्र भाषा के अध्ययन में जुटे हुए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 13 जुलाई 1962 को सभा के संस्थापक मंत्री की पावन स्मृति ग्रन्थालय का नाम "श्री के वासुदेववन पिल्लै स्मारक हिंदी ग्रंथालय" रखा गया है। इस ग्रंथालय में लगभग 10,000 पुस्तकें हैं।

कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार की स्थापना 1952 में हुई। इसके निर्माण में श्री शिवानंद स्वामी तथा आओबाई जी का योगदान है। हिंदी क्षेत्र में महिलाओं में अधिक जागृति लाने के उद्देश्य से यह समिति केवल महिलाओं के द्वारा संगठित हुई। इसकी सभी पदाधिकारी महिलाएं ही हैं किंतु यह क्षेत्र केवल महिलाओं के लिए ही सीमित नहीं है। कार्यक्रमों में स्त्री या पुरुष दोनों कार्य कर रहे हैं। समिति प्रकाशन, साहित्यनिर्माण, पुस्तक बिक्री, परीक्षा, राज्य स्तरीय हिंदी लेखक, भाषा प्रतियोगिताएं, नाटक व कला प्रदर्शन, आदि कार्य करती हैं और दैनिक समाचारों से छात्रों को अवगत कराने व साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिंदी की प्रगति को जानकारी देने के उद्देश्य से कई केंद्रों में समिति ने 10 वाचनालय भी चलाए हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है अनेक पुस्तकालयों का संचालन किया है तथा विभिन्न पाठ्यक्रम का संचालन करती है।

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी सन् 1934 में महात्मा गाँधी जी के अनुयायी उत्तर प्रदेश के जन नेता व समाज सेवक स्वर्गीय बाबा राघवदास जी ने बापू के आदेश से असम में हिंदी प्रचार आरंभ किया, जिसका नाम बाद में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पड़ा। 1953 में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना भी गुवाहाटी शहर में हुई।

इस प्रकार उपरोक्त स्वैच्छिक, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रभाषा हिंदी के

प्रचार एवं प्रसार हेतु अनेक उपक्रम किए गए हैं और इन उपक्रमों के अंतर्गत कई संस्थाएँ आरंभ की गई और सभी संस्थाओं के अंतर्गत विधि विधान से एक प्रक्रिया के तहत हिंदी भाषा की शिक्षा इस प्रकार दी गई कि अहिन्दी भाषी हिंदी भाषा के वर्ण ज्ञान को आत्मसात करने के साथ साथ हिंदी के वृहद् साहित्य को न केवल पढ़ सकें वरन हिंदीत्तर राज्य में भी हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कोटि के रचयिता की संख्या में वृद्धि हो।

सन्दर्भ ग्रन्थः (स्वतंत्र आलेख, स्त्रोत-इन्टरनेट)

1—आलेख- शुभ्रता मिश्रा (हिंदीत्तर राज्यों में व्यवहारिक हिंदी की दशा, दिशा और संभावनाएं)

2— हिंदीत्तर प्रदेशों की हिंदी - एक परिचय

3-हिंदीत्तर प्रदेश में अनूठी साहित्य साधना

4—हिंदी की स्वैच्छिक संस्थाएं - शंकर राव लोंढे

5—हिंदी साहित्य का इतिहास - श्री रामचंद्र शुक्ल

6— www.abhivyakti&hindi.org

7- ampbharatdiscovery.org

8— विकिपीडिया

हिन्दी भाषा : प्रयोग की समस्या .....शेष पृष्ठ 17 का

.....दिखाकर देश को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इतना कुछ हमारे पास है जैसा सरकारी प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किया जाता है अथवा विभिन्न राजनैतिक और वैज्ञानिक मंचों से घोषित किया जाता है, तब यह विचारणीय है कि अब तक हमोर देश में वैज्ञानिक तेवर क्यों नहीं बन पाया है? अनाधुनिकता और अवैज्ञानिकता का खतरा क्यों नहीं है? देश की 98% जनता ज्ञान के अभाव में क्यों उपेक्षित है, जबकि विश्व के अन्य देश जहाँ शिक्षा का माध्यम उनकी भाषाएं है, तकनीकी ज्ञान के शीर्ष पर स्थित हैं। उपर्युक्त प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो अन्य कारणों के अलावा भाषा की समस्या भी इसके मूल कारणों में से एक है। भाषा के प्रश्न पर हमारे देश में अब तक न कोई आम राय बन पाई है और न ही कोई समुचित समाधान निकल पाया है। भारतीय शिक्षा के व्यवस्थापक सर्वमान्य समुचित निर्णय लेने में आज भी असमर्थ हैं और भाषा के संबंध में पर-निर्भरता की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की सार्धा का प्रश्न है, उसमें भाषा का माध्यम तब जरूर आड़े आएगा जब तक हम आयात किये गये तकनीकी ज्ञान के अनुवाद पर निर्भर करेंगे अथवा देश की चंद प्रतिमाओं के सहारे रहेंगे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है। हमें उस विशान जनसमुदाय के विषय में सोचना है जो पिछड़ा है और जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारे देश के विकास का मानदण्ड है और हमारे अस्तित्व का मेरूदण्ड है। हमारी जनसंख्या के घटक जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है लेकिन जिन्होंने सदियों से हमारी सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखा है।

हमें कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे हम हमारी मातृभूमि के सहस्त्रों पुष्पों को अपनी भूमि पर अपने वातावरण और पोषक तत्त्वों के बल पर पल्लवित कर सकें। निश्चय ही अपनी भाषा द्वारा ज्ञान का पोषण और संवर्धन भावी पीढ़ी के लिए सर्वोत्तम होगा। शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित किये बगैर हिन्दी के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है।

सहाय्यक संदर्भ ग्रन्थ :-

१) राजभाषा हिन्दी - डॉ. भाटिया

२) भारतीय शिक्षा का इतिहास - जे. पी. नायक एंड सैय्यद नुरूल्ला

३) हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन में ईसाई मिशनरियों का योगदान- डॉ० पंजाबराव रामराव जाधव

४) हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण-डॉ० शुल्क

५) राष्ट्रभाषा हिन्दीः समस्याएं और समाधान -देवेन्द्रनाथ शर्मा

हिन्दी का अन्य भारतीय भाषाओं से साम्य और वैषम्य....शेष पृष्ठ 38 का

शब्द स्थानसूचक रहवासी को ध्वनित करने वाले थे, उसी तरह उन्होंने यह बात स्थापित करने का प्रयास किया कि उत्तर व दक्षिण भारत की भाषाओं में कोई संबंध नहीं है।

ऊपर हमने तेलगु और तमिल भाषा से हिंदी के संबंधों को देखा और भक्ति आंदोलन तथा स्वाधीनता संग्राम

के दौरान देशवासियों को नजदीक लाने में भाषा की भूमिका भी देखी किंतु यूरोपीय भाषाविदों और दार्शनिकों ने, जिनमें हेगल और मैक्समूलर प्रमुख थे और भारतीयों के लिए यूरोपीय हित के अनुरूप नीति निर्माण करने वाले मैकाले के विचारों के अनुयायी भारत में अब भी है, जिनकी विश्वविद्यालयों में मजबूत उपस्थिति है, जिससे भारतीय भाषाओं में एक्य बढ़ाने का जो प्रयास किया गया वह ज्यादा प्रभावी न हो पाया।

सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के उन्नयन के लिए नीति बनाई गयी है जिससे समाज से यह अपेक्षा है कि वह भारतीय भाषाओं में मौजूद अंतर्संबंध को उभारने के लिए ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को सीखे जिससे ज्ञान का विस्तार तो होगा ही साथ ही अपनी भाषा में बेहतर अभिव्यक्ति से ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में हमारी पकड़ होगी, जो विकसित भारत की पहली सीढ़ी है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1– साहित्य का आत्म सत्य, निर्मल वर्मा, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2006, पेज नंबर-11

2– आचार्य रामचंद्र शुक्ला का चिंतन जगत, कृष्णदत पालीवाल, आर्य प्रकाशन मंडल, संस्करण 2016, पेज नंबर 48

3– तमिल और हिन्दी के बीच अंतर्संबंध सी.जयशंकर बाबु, अक्षरा पत्रिका संपादक-मनोज श्रीवास्तव, अंक-228, मार्च 2024, (भारतीय भाषा विशेषांक)

4– ढलान से उतरते हुए पृष्ठ, निर्मल वर्मा, वाणी प्रकाशन, पेज-71

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान 2023–25 प्रदेश प्रभारी

श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश प्रभारी

डॉ० वंदना अग्निहोत्री
मध्य प्रदेश प्रभारी

डॉ० सुमा टी. रोडनवर
कर्नाटक प्रभारी

डॉ० भरत त्रयंबक शेणकर
महाराष्ट्र प्रभारी

डॉ० मुक्ता कौशिक
छत्तीसगड़ प्रभारी

डॉ० नूरजहाँ रहमतुल्ला
असम प्रभारी

डॉ० जैनब बी.
तमिलनाडु प्रभारी

डॉ० नज़मा बानो मलेक
गुजरात प्रभारी

डॉ० प्रिया ए
केरल प्रभारी

डॉ० अन्नपूर्णा श्रीवास्तव
बिहार प्रभारी

डॉ० मीतू सिन्हा
झारखंड प्रभारी

हरिहर चौधरी
उड़ीसा प्रभारी

डॉ० जेबा रसीद
राजस्थान प्रभारी

अनुप भदानी
पंश्चिम बंगाल प्रभारी

डॉ० सुनीता प्रेम यादव
सांस्कृतिक आयोजन प्रभारी

लक्ष्मीकांत वैष्णव
युवा संसद प्रभारी

डॉ० रश्मि चौबे
बाल संसद प्रभारी

प्रा० रोहिणी डावरे
युवा संसद कार्याध्यक्ष

डॉ० कृष्णा मणिश्री
स्नेहाश्रम प्रभारी

फरहत उन्नीसा ख़ान
बाल संसद सह प्रभारी

डॉ० सरस्वती वर्मा
सह प्रभारी छत्तीसगढ़

शुभ द्विवेदी
अध्यक्ष : बाल संसद

स्वरा त्रिपाठी
सचिव : बाल संसद

यशिका चतुर्वेदी
राजस्थान प्रभारी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

डॉ० सुनील कुमार चतुर्वेदी-झारखंड
डॉ० माधुरी त्रिपाठी-छत्तीसगढ़
प्रो. (डॉ०) प्रतिभा गंगाधर येरेकर-महाराष्ट्र
डॉ० संजीवनी एस पाटिल-महाराष्ट्र
डॉ० जी.एस.सरोजा-कर्नाटक
प्रा० पूर्णिमा उमेश झेंडे-महाराष्ट्र
डॉ० रजिया शहनाज शेख-महाराष्ट्र
डॉ० सरस्वती वर्मा -छत्तीसगढ़
श्री निगम प्रकाश कश्यप-उत्तर प्रदेश

राज्य कार्यकारिणी

महाराष्ट्र

डॉ० रंजीत सिंह अरोड़ा
डॉ० कविता अरुण सोनवणे
श्रीमती पूर्णिमा जयप्रकाश पाण्डेय
डॉ० रजिया शहनाज शेख-महाराष्ट्र
प्रा० मधु भंभानी -महाराष्ट्र

कर्नाटक

डॉ० रश्मि बी.वी
डॉ० सुकन्या मैरी जे.
डॉ० तसलिमा
श्री रामकष्णा के.एस.
श्रीमती वैशाली सालियान

उत्तर प्रदेश

डॉ० पूर्णिमा मालवीय
श्रीमती मणि बेन द्विवेदी
श्रीमती संतोष शर्मा शान
श्रीमती अनीता सक्सेना
श्रीमती वंदना श्रीवास्तव 'वान्या'

मध्य प्रदेश

डॉ० सुमन अग्रवाल
डॉ० अर्चना चतुर्वेदी

छत्तीसगढ़

डॉ० रीता यादव
सुश्री नम्रता ध्रुव
श्रीमती सीमा रानी प्रधान

बिहार

डॉ० शिप्रा स्वर्णिम मिश्रा
डॉ० सुधा सिन्हा
श्रीमती उषा किरण
श्रीमती रजनी प्रभा
डॉ० कृष्णा मणिश्री

स्नेहाश्रम संचालन समिति

(वृद्धाश्रम, नारी आश्रय एवं निराश्रित आश्रय, पुस्तकालय)

अध्यक्ष
डॉ० गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

प्रभारी
डॉ० कृष्णा मणिश्री
-मैसूर, कर्नाटक

संचालन समिति सदस्यः

■**डॉ० शेख रजिया शहनाज शेख**
अब्दुल्ला-बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र

■**प्रो डॉ० शेख शहेनाज अहेमद**
हिमायतनगर नांदेड, महाराष्ट्र

■ **डॉ० अर्चना चतुर्वेदी**
इन्दौर, मध्य प्रदेश

■**श्रीमती रश्मि संजय श्रीवास्तव**
लखनऊ, उ०प्र०

■**प्रा. मधु भंभानी**
नागपुर, महाराष्ट्र

■**प्रा. डॉ. नवनाथ रघुनाथ जगताप**
मंगलवेढा, सोलापुर, महाराष्ट्र

■**श्रीमती श्वेता मिश्र**
पुणे, महाराष्ट्र

■ **डॉ०रश्मि चौबे**
गाजियाबाद, उ०प्र०

■**डॉ० लतिका जाधव**
, पुणे, महाराष्ट्र।

■श्रीमती मणि बेन द्विवेदी
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

■प्रो० डॉ० अरुणा राजेंद्र शुक्ला
नांदेड, महाराष्ट्र

अन्य समितियां

सम्मान प्रभारी
डॉ० रश्मि चौबे
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

लघु कथा सम्राट प्रभारी
श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव 'शैली'
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

काव्य सम्राट प्रतियोगिता प्रभारी
डॉ० कृष्णा मणिश्री
मैसूर, कर्नाटक

श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव
सक्ति, छत्तीसगढ़

बाल संसद

बाआ015–486 / 2023 / बिहार
सुश्री अविष्का
पुत्री श्री संतोश कुमार मेहता
संदलपुर, बाजार समिति (केला मंडी के पीछे), मु०-शिवशक्ति नगर, बहादुरपुर, पोस्ट- महेन्द्र, पटना–6, बिहार

नवीनीकृत सदस्य

आ17/2010/महा०
डॉ० विजया लक्ष्मी रामटेके
सुशिला सोसायटी, प्लॉट क्रमांक ५, जरी पटका, पोस्ट आफिस, अजय जीम के पीछे, जरी पटका रींग रोड, नागपुर-४४००१४, महाराष्ट्र

आ030–503 / 2013 / महाराष्ट्र
श्रीमती कामिनी बल्लाल
न्यायाधीश
घर नं० 639ए, अरुणोदय कॉलोनी, सिडको, एन–5, संभाजी नगर (औरंगाबाद)–431003, महाराष्ट्र

आ03 / 2008 / 506 / म0प्र0
लायन डॉ. वीरेन्द्र कुमार दुबे
9, ब्रहमपुरी हाउसिंग सोसायटी, एम.जी. एम स्कूल के पीछे, हाथीताल, गुप्तेश्वर, जबलपुर, म0प्र. 482001

क्या आप चाहते हैं कि हिन्दी जन-जन की भाषा बने, समाज में वृद्धों, निराश्रितों को स्वावलम्बी आश्रय मिले, हमारे बच्चों को भारतीय संस्कार की जानकारी हो, उसका पालन हो।

हिन्दी सेवा/समाज सेवा/सम्मान/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति के लिए विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ना अब बिल्कुल आसान

जुड़ने से फायदे :

- संस्कार की शिक्षा
- समाज सेवा करने का सुनहरा मौका
- बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए विविध मंच
- बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का योग्यतानुसार सम्मान
- बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का योग्यतानुसार पद

संस्थान की वेबसाईट www.vhsss.in पर जाएं, हमसे जुड़ें पर क्लिक करें, अपनी इच्छानुसार मुख्य शाखा, युवा शाखा एवं बाल शाखा में जाकर साधारण, स्थायी, पंचवर्षीय, आजीवन या संरक्षक सदस्य पर क्लिक कर साईन अप करें। अपना विवरण भरें, सदस्यता शुल्क 9335155949 पर गूगल पे करे अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में खाता आईएफएससी : यूबीआईएन 553875 बचत खाता संख्या : 538702010009259 में विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज। अपना नाम, पता और फोटो हमें ईमेल कर देवे।

विलम्ब किस बात का आज ही जुड़ें और अवसर का लाभ उठायें

ई-मेल : hindiseva15@gmail.com
Website : www.vhsss.in

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज के मंगलुर अधिवेशन
की सफलता की शुभकामनाएं

AEM

Ranjeet Singh Arora
(Managing Director)
Mobile : 9371010244
9096222223

ARORA ELECTROMAGNETICS PVT. LTD.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
58-59, Somwar Peth, Nageshwar Road, Pune-411011
Tel.: 020-26050378 • Email : aem_arora@yahoo.co.in
MFG. : OF AUTO ELECTRONIC & ELECTRICAL TEST JIGS,
MICRO PROCESSOR BASED INSTRUMENTS & PARTS

समबद्धता क्रमांक : 2512/2023

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान
सम्बद्ध इसरो (इंडिया स्पेस वीक)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा संचालित
इंडिया स्पेस वीक के अन्तर्गत कक्षा तीन से लेकर एम.ए.(परास्नातक) तक प्रवेश प्रारंभ

1- बच्चों की रुचि के अनुसार कई तरह के कोर्स एक माह से लेकर 9 माह तक के नवंबर से संचालित होंगे।
2- बच्चों को इसरों का सर्टिफिकेट ग्रेडिग के अनुसार दिया जाएगा। अंतरिक्ष शिक्षा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगें।
3- अंतरिक्ष कार्यक्रम 2023 के अनुसार भविष्य में जो बच्चे इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेगें उनको वरियता मिलेगी।
4- परीक्षा पास करने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशीप और फैलोशीप।
5- इसमें पूरे भारत से किसी भी राज्य के छात्र/छात्राएं प्रवेश ले सकते है।

विस्तृत जानकारी के लिए इंडिया स्पेस वीक की वेबसाईट
www.indiaspaceweek.org/student_admission का अवलोकन करें।
प्रवेश के लिए जानकारी के लिए 9335155949 समय अपराहन 2 से 7 बजे

प्रवेश प्रारम्भ है।

स्वामी, संपादक, प्रकाशक, मुद्रक गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी द्वारा भार्गव प्रेस बाई बाग से मुद्रित कराकर एल.आई.जी.-93, नीम सरांय कालोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद से प्रकाशित किया
डाक पंजीयन संख्या : एडी-306/2008-11 आर.एन.आई. नं0 यूपीहिन्दी2001/8380 सम्पादक : गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी